खण्ड-308, अंक-3
गुरूवार, 6 आषाढ़, शक संवत् 1896
(27 जून, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 308 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

क्रम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, 27 जून, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--381

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमीं मियां (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राम, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रउफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिल अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र मोहिनीं, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काशी नाथ मेंहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण वीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द्र, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री

गायत्री देबी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोषी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविंद प्रसाद गैरोला, श्री
गोविंद सिंह महरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविंद सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल , चौधरी , श्री
जंगबहादुर ,श्री (अतरौलिया,जिला आजमगढ़)
जंगबहादुर , श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंगबहादुर , श्री (जिला बाराबंकी)
जंगबहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेई, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमीं, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा0
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजमरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायन बन महन्थ, श्री
दीप नारायण पान्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देबी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र, श्री
धर्म पाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
देव नारायन सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथूराम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निसा अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला मिर्जापुर)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रिय दर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री

प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
वंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव ,श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बैचन राम, श्री
बेनीं प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भोखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान बहादुर सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मन्नूलाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
महम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अय्यूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुवीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री

राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पान्डेय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय ,श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम सबुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्षमण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शकीकुल रहमान वर्क, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह, कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री

शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्य वीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैय्यद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप रानी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट :—लघु उद्योग मंत्री, श्री इस्तफा हुसैन भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 27 जून, 1974

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

मेडिकल कालेज, लखनऊ में टिटनेस से बच्चे की मृत्यु

**1—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि लखनऊ स्थित मेडिकल कालेज के हड्डी विभाग में दिनांक 18 जून, 1974 को अपरेशन के बाद टिटनेस से दो रोगियों की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो वास्तविकता क्या है तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

जी नहीं । किंग जार्ज मेडिकल कालेज के आर्थोपीडिक्स विभाग में 18 जून, 1974 को आपरेशन के बाद टिटनेस से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस जून के महीने में, किसी हफ्ते में, आपरेशन के बाद टिटनेस के कारण मृत्यु हुई ? यदि हां, तो किस की ?

श्री राजमंगल पांडेय--

16 जून को 1 चार वर्षीय बालक की मृत्यु हुई, टिटनेस से ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या टिटनेस के कारण मृत्यु हुई थी ।

श्री राजमंगल पांडेय--

इसकी जांच करायी जा रही है । सारा थिएटर सील कर दिया गया है, उसका एक-एक आइटम टेस्ट हो रहा है, आखिर यह टिटनेस कहां से हुआ, पहले ये रोगी के था, आपरेशन के वक्त हुआ या उसके बाद हुआ । सारे थिएटर को सील कर दिया गया है, यह काम दूसरी जगह हो रहा है ताकि देख सकें कि उसका क्या कारण है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह जांच कौन कर रहा है और जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री राजमंगल पांडेय--

जांच मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष कर रहे हैं । जांच इस महीने के अन्त तक पूरी हो जायगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

बच्चा तो मर गया अब जांच किस चीज की कर रहे हैं ? माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि जब बच्चा दाखिल किया गया था तो उस समय क्या डायगनोसिस था कि उसको टिटनेस हो गया है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

इसकी पूरी जिम्मेदारी है कि उसके कोई ऐसा जखम नहीं था जिससे टिटनेस की गुंजायश हो सकती थी । इसलिये टिटनेस का इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं थी ।

स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग में सहायक शोध अधिकारी के पद के लिए साक्षात्कार

**2--चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के लिये सहायक शोध अधिकारियों (असिस्टेन्ट रिसर्च आफीसर्स) के पद पर नियुक्ति के लिये जून, 1974 के प्रथम सप्ताह में साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो उसमें कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा प्रत्येक की योग्यतायें क्या थीं ? क्या यह सही है कि अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को उपेक्षा कर कम योग्यता वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

प्रश्न का प्रथम भाग:

जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग:

20 अभ्यर्थी उपस्थित हुए जिनकी योग्यताओं का विवरण संलग्नक में दिया हुआ है ।

प्रश्न का तृतीय भाग:

जी नहीं, अभ्यर्थियों में से सबसे श्रेष्ठ को सुना गया है। जिन लोगों ने रिसर्च कर लिया है या कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी गई। चुने हुए लोगों में दो (phd) है और दो को डेढ़ दो वर्ष के रिसर्च का अनुभव है। उम्मीदवारों में योग्यता के अलावा और बातों पर भी ध्यान दिया गया जैसे आयु, (Aptitude) कहीं और काम कर रहें हैं कि नहीं, इस विभाग में रहेंगे या थोड़े दिनों के लिये काम करना चाहते हैं।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 319 पर।)

सरदार करतार सिंह आलुवालिया, सब इन्सपेक्टर पुलिस, सहारनपुर को पेंशन मिलने में विलम्ब

**3--सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सदार करतार सिंह आलुवालिया, सब इन्सपेक्टर पुलिस, सहारनपुर का जो दिनांक 30 नवम्बर, 1956 को रिटायर हुये थ? अभी तक पेंशन नहीं दी गयी? यदि हां तो पेन्शन देने में इतने विलम्ब का क्या कारण है और अब कब तक उनको पेन्शन मिलनी आरम्भ हो जायगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सेवा निवृत्त सब इन्सेक्टर सरदार करतार सिंह आलुवालिया को उत्तर प्रदेश शासन से पेंशन नहीं स्वीकृत की गई। सरदार करतार सिंह आलुवालिया अविभाजित पंजाब में पुलिस सब-इन्सपेक्टर थे। ये 3-4-1948 से यू0 पी0 पुलिस में इसी पद पर नियुक्त हुये। सरदार आलुवालिया उत्तर प्रदेश पुलिस 3-4-1948 से 30-11-1956 तक इसी पद पर रहे और सेवा निवृत्त हुये।

पेंशन के नियमों के अनुसार 10 वर्ष से कम की अहंकारी सेवा के लिये सरकारी अधिकारी/कर्मचारी पेंशन के पात्र नहीं होते हैं। अतः इन्हें पेंशन नहीं दी गई।

सरदार करतार सिंह आलुवालिया की अ-विभाजित पंजाब में की गई सेवा के संबंध में पेंशन का दायित्व पंजाब सरकार का है। पंजाब सरकार से लम्बे अर्से तक लिखा पढ़ी चलती रही अन्ततोगत्वा पंजाब सरकार ने वर्ष 1973 में सरकार करतार सिंह आलुवालिया को अविभाजित पंजाब में की गई सेवा के संबंध में सूचित किया कि वे पेंशन का पूर्ण दायित्व वहन करने को तयार नहीं है। तत्पश्चात इस मामले को भारत सरकार को संदर्भित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी अलग से निर्णय लिया जा रहा है जिससे इन्हें पेंशन मिल सके।

सरदार कुलतार सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग रिफ्यूजी उधर से आये हैं, उनकी जिम्मेदारी यहां की गवर्नमेंट की है, कि उन्होंने जो पहले सेवा की है उसको शरीक करके पेंशन दी जाय, यह सवाल नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सर्विस की, 34 साल के करीब सर्विस की, 18 साल हो गये, रिटायर हुए, कितना अरसे तक और उनको रुकना पड़ेगा जब पेंशन का केस हल हो जायगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैंने अभी बताया कि पंजाब सरकार 1973 तक टालती रही। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने नियम बनाये हैं। इस तरह से था कि कुछ फीसदी पंजाब सरकार देगी और कुछ फीसदी हम देंगे। पंजाब सरकार ने कहना शुरू किया कि हमारे पंजाब में कब एम्प्लायड थे, वह अनडिवाइडेड पंजाब में थे। पाकिस्तान से भी पेमेंट वसूल किया जाय केन्द्रीय सरकार द्वारा।

बड़े लम्बे अरसे तक यह चलता रहा। मैंने अपने जमाने में दो निर्णय लिये हैं। एक तो यह कि केन्द्रीय सरकार से आखिरी में पूछें क्योंकि इस तरह का एक ही केस नहीं था, पांच मामले हैं। कुछ का हो गया है, कुछ का होने वाला है। हमने अपनी तरफ से खुद कहा कि हमें अपने नियमों में ढिलाई भी देनी पड़ तो जिस आदमी ने इतनी सेवा की है उसके सम्बन्ध में हम उदारतापूर्ण विचार करेंगे चाहे केन्द्रीय सरकार या पंजाब सरकार न भी करे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचलन नियमावली के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

एटा नगर में गोली कांड के परिणामस्वरूप श्री हिम्मत सिंह प्रसून की मृत्यु

*1—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़), श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री प्यारे लाल (जिला एटा), श्री तीरथराम कोहली (जिला इलाहाबाद) तथा श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 4 और 5 अप्रैल, 1974 को एटा नगर में पुलिस द्वारा निरीह नागरिकों पर भीषण लाठी चार्ज तथा गोली वर्षा की गई जिसमें अनेक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गये और एक नव युवक की जीवन लीला समाप्त हो गई? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

घटना का पूर्ण विवरण तथा कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न† है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, हम लोग कैसे जानेंगे कि घटना क्या है?

श्री अध्यक्ष—

यह तो पांच आदमियों का है।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, घटना इस तरह की बताई जाती है कि लायकसिंह दरोगा, अलीगंज थाने से एटा के लिये बैठे। शिव सिंह कंडक्टर ने थाने से थोड़ी सी दूर पर जाकर बस रोकी। इसलिये उसको पीटा गया। क्या यह सही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, घटना इस तरह की बताई जाती है कि लायकसिंह दरोगा एटा जाने के लिये थाने के पास खड़े थे। उन्होंने बस रोकने के लिये हाथ दिखाया। उसने 20/25 गज आगे जाकर बस रोकी। उन्होंने अन्दर जाकर चेकिंग करना शुरू किया। इसके बाद झगड़ा हुआ और मारपीट हुई।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब ये लोग एस0 पी0 आफिस पहुंचे तो कंसल और प्यारे लाल को बस से उतरने और खींचातानी में उनके चोट आई?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष—

यह तो सब बयान में है।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या लायक सिंह ने कोई रिपोर्ट लिखाई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां, यह कहा गया है कि जब बस एटा पहुंची तो उसमें बहुत से लोग थे जिनमें प्यारे लाल भी थे सब एस० पी० आफिस पहुंचे और लायक सिंह को उतरने नहीं दे रहे थे। इसमें छीना झपटी हुई उन्होंने दरवाजा बन्द करने की कोशिश की। इसमें अंगूठा कट गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह दुर्घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जिसमें पुलिस ने फायरिंग और अश्रु गैस का प्रयोग किया। इसमें एक आदमी की जान गई। कंसल के प्रति जो क्षोभ था उसको प्रगट करने के लिये मीटिंग की गई और उसको कन्ट्रोल करने के लिये कंसल को भेजा गया। क्या सरकार बतायेगी कि कंसल के विरुद्ध रोष था तो उसको क्यों भेजा गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, कंसल के विरुद्ध रोष का प्रश्न नहीं था। जब घटना घटी लोगों ने पहले एस० पी० से और फिर डी० एम० से कहा कि आप इनको मुअत्तिल करें। डी० एम० के साथ बैठे रहे और पांच घंटे तक बातचीत चली और मांग की कि जुडीशियल इंक्वायरी करायें। उन्होंने इन लोगों को समझाने की कोशिश की कि जुडीशियल इंक्वायरी कराने का उनका अधिकार नहीं है। मैजिस्टीरियल इंक्वायरी करवा सकते हैं। उसके बाद जो पर्चा दिया गया उसमें एक तो निलम्बित करने की मांग थी और दूसरी जुडीशियल इंक्वायरी कराने की मांग थी। इसमें कंसल क सिलसिले में कुछ नहीं था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं इसी सम्बन्ध में पूंछ रहा हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि क्या कंसल के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखायी गयी ? क्या सकी सूचना है क्योंकि मुझे इसकी सूचना है उन्हीं के दुर्व्यवहार के कारण मीटिंग हुई और हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जनता में इस बात का क्षोभ था। कंसल पर वह दूसरी घटना के बारे में है जैसा कि इसको आप पूछ रहे थे। खास जड़ यह थी कि लायक सिंह दरोगा ने इस तरह का आचरण किया। प्यारे लाल शर्मा यूनियन के सेक्रेटरी हैं और बड़े बुजुर्ग हैं और एटा में उनकी लोग बड़ी इज्जत करते हैं। प्यारे लाल शर्मा के साथ क्यों दुर्व्यवहार किया गया। यह रोष था और उस रोष को कुछ लोगों ने ज्यादा करने की कोशिश की।

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गोली जो चलाई गयी पुलिस के द्वारा तो वह किस के आदेश से चलायी गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उपलब्ध सूचना के मुताबिक सैल्फ डिफेन्स में गोली चलाई गयी।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या मा० मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि किसके नाम से रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई लेकिन यह भी सूचना है कि जांच करने के बाद डी० आई० जी० पुलिस ने जो जांच की उसमें जो गोली चली उसमें कुछ प्राइवेट गोली भी चलाई गईं। प्रसून मेरे पास दिल्ली मिलने आये थे और उन्होंने मेरे साथ बैठ कर बातचीत की उनका कहना था कि फाइरिंग की गई और उन्होंने बताया कि पुलिस इस तरह से वहां आयी। पुलिस बीच में र गयी थी।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

इसमें स्पष्ट यह है कि जो डेपूटेशन मिलने गया था एस० पी० से उसकी मांग थी, उसमें यह कहा गया कि कंसल ने कार्यालय में प्यारे लाल शर्मा को पीटा इस कारण उस नगर की जनता में असंतोष था। तो जिला अधिकारियों ने श्री कन्सल को भेज कर भयंकर भूल की है। उनके साथ किस मजिस्ट्रेट को भेजना चाहिये था उन्होंने किसी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में गोली चलाने की इजाजत क्यों दी। क्या इन्हीं कन्सल के कारण ही यह सारा काण्ड हुआ है। क्या इन कन्सल महोदय के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे जिसमें सस्पेंशन भी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

उस वक्त श्री कन्सल ही उपस्थित थे एस० पी० बाद में आये। मैं खुद कहता हूं कि झगड़ा इतना छोटा था कि अगर होशियार पुलिस का अधिकारी होता तो आगे कुछ न होता। इनकी गलती या मिसहैन्डलिंग से ही यह हुआ। कन्सल की उपस्थिति में जो झगड़ा हुआ उसमें कुछ मारपीट भी हुई। पुलिस कहती है कि उधर से शुरू हुई और कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने की तो इसमें दो वरजन हैं। यह बात सच है कि अकेले कंसल का ही सवाल नहीं है।

श्री रत्न प्रकाश (जिला बरेली)---

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि सारा का सारा काण्ड कन्सल के कारण ही हुआ है, तो जब ऐसा है तो सरकार कंसल के विरुद्ध क्या कार्यवाही करगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, मैं फिर कहता हूं कि यह सब मिसहैन्डलिंग के कारण ही हुआ है। मैंने उनको जिले के बाहर स्थानांतरित कर दिया है। मैंने विस्तृत रिपो मांगी है, रिपोर्ट आ जाने पर मैं उसको दखूंगा।

श्री मोती लाल बेहलवी (जिला कानपुर)---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि किसी के आदेश से गोली नही चलाई गई बल्कि आत्मरक्षा के लिये गोली चलाई गई तो मान्यवर, आत्मरक्षा का मापदन्ड यही होता है कि जब कभी भीड़ हिंसक हो जाय, पुलिस को जनता से खतरा हो जाय, तब आत्मरक्षा की बात तो सही मानी जा सकती है। मान्यवर, वहां पर जनता की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई, जनता की तरफ से लाठी या पत्थर कुछ भी नहीं चलाया गया, जनता हिंसक नहीं थी। यह जो गोली चलाई पुलिस ने जान बूझकर गोली चलाई थी।

श्री गंगा प्रसाद---

मान्यवर, मैं मा० मुख्य मंत्री से यह बताना चाहता हूं कि रामपाल दरोगा ने जान बूझकर गोली चलाई थी, और सरकार उनके विरुद्ध अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है?

श्री अध्यक्ष—

माननीय गंगा प्रसाद आप बैठते क्यों नहीं हैं ? जब आप को बुलाया जाय तब आप बोलें।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, गोली चलाने का किसी मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं था। गोली चलाने की बात तो यह सिद्ध है कि यह जो गोली चलाई गई बहुत ही अनुचित और गलत थी। तो क्या मा० मुख्य मंत्री जी यह अकारण गोली चलाने के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, यह घटना 5 तारीख की है, जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, पुलिस चौकी गोदाम पर पहुंची तो उस समय लोगों ने पथराव शुरू किया। पुलिस जब दोनों तरफ से घिर गई, तो मेरे पास रिपोर्ट है पुलिस ने तब गोली चलाई।

श्री गंगा प्रसाद—

माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उन्होंने जो बताया कि पुलिस ने अपने बचाव में गोली मारा, तो मैं जानना चाहता हूं कि मृतक जो था वह प्रेस में काम कर रहा था और वहां पर पुलिस को कोई खतरा नहीं था। राम पाल दरोगा ने जान बूझकर गोली क्यों मारा। मान्यवर, राम पाल दरोगा के खिलाफ इस घटना से पूर्व मृतक ने शिकायत की थी और इस रंजिश के कारण रामपाल दरोगा ने उसको गोली से मार डाला। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी रामपाल दरोगा के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, इस घटना के ऊपर इतना जोर देकर इसलिये नहीं कह रहा हूं कि चाहे कुछ भी हुआ हो, सारा मामला बहुत दर्दनाक और अच्छा नहीं है। लेकिन यह भी सबूत मौजूद है कि गोली के निशानों से और गोली के पकड़ से कि जो गोली चलाई गई वह पुलिस के हथियार से नहीं चलाई गई बल्कि छत से पथराव किये गये और दोनों तरफ से गोलियां चलाई गईं। इस संबंध में सरकार के पास जो तथ्य हैं दोनों प्रकार के हैं।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि भीड़ की ओर से पत्थर चले। मैं जानना चाहता हूं कि जो पत्थर चले, उनसे पुलिस के कितने लोगों को चोटें आयीं और उनका कोई डाक्टरी मुआइना हुआ ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां, पुलिस के कान्स्टेबिल्स और एस० आई० के चोटें आयीं। उनका मेडिकल हुआ और उससे सिद्ध होता है कि गोली और पत्थरों से चोटें आयीं।

श्री प्यारे लाल (जिला एटा)—

क्या उनके पास कोई निश्चित सूचना है कि उन्हें जनता की गोली लगी ? क्या किसी पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी को गोली लगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पुलिस के ऊपर गोली के निशान नहीं हैं लेकिन छतों और दीवारों पर हैं। स्पष्टतया थ्री नाट थ्री के नहीं हैं।

श्री हिम्मत सिंह—
जो मृतक के भाई ने रिपोर्ट लिखाई है वह क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

तत्काल तो रिपोर्ट नहीं है लेकिन यह बात तो सही है कि मुकदमें कायम हुए, किसी ने कहा कि उन्होंने मारा और किसी ने बताया कि पुलिस वालों ने मारा। प्रसून के भाई ने बताया कि इन मुकदमों को चलाने का कोई लाभ नहीं है। हमने जो मुकदमे चलाये हैं और पुलिस ने जो मुकदमें चलाये हैं, आपस में मिल कर हम उन मुकदमों को वापस ले लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, जब घटना के बारे में यह प्रश्न किया गया तो प्रश्न का पूरा उत्तर क्यों नहीं आता है विशेषतः मुख्य मंत्री जी के पास रिपोर्ट क्यों नहीं है। ये प्रश्न एक दूसरे से मिले हैं। मृतक के भाई ने रिपोर्ट लिखाई और नाराजगी के कारण दरोगा ने गोली चलाई। आप मंत्रियों को हिदायत क्यों नहीं देते हैं कि जो सूचना उनसे मांगी जाय, वह कम्पलीट होनी चाहिये, वह अधूरी न हो।

श्री अध्यक्ष—
यह तो आपका दृष्टिकोण है वैसे मुझे भी लगा कि यह अपूर्ण है।

श्री गंगा प्रसाद—

श्रीमन्, वहां पर 9 दिन बाजार बन्द रहे, कोई चीज नहीं मिली। वहां पर जनता में इतना बड़ा रोष था कि आपकी पुलिस वहां पर दिखाई न देती। वहां की जनता की मांग है कि जिस दरोगा ने गोली चलाई, जो सही मुल्जिम है, उस पर केस चलाया जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मेरे पास एटा के नागरिक दिल्ली आये, प्रसून के भाई भी आये, एक लिखित पत्र भी दिया, जिस पर प्रसून के भाई के हस्ताक्षर भी हैं और वहां की बार एशोसिएशन के एक्स प्रेसीडेंट और अन्य कई नागरिक थे। उन्होंने यह कहा कि पुलिस ने भी मुकदमें कायम कर रखे हैं और जनता ने भी। या तो सब मुकदमों की पूरी छानबीन करायी जाय या दोनों ओर के मुकदमों को वापस लिया जाय। यह उन्होंने लिखकर दिया है कि इन मुकदमों के चलाने की जरूरत नहीं है न हम पर चलाये जायं और न पुलिस पर चलाये जायं।

श्रीमती चन्द्रावती, ग्राम अतरौली थाना छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद की कथित हत्या

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री राम लखन (जिला इटावा) श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली) श्री कल्याण सिंह श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला लखीमपुर खीरी) तथा श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 10 अप्रैल, 1974 को ग्राम अतरौली थाना छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में एक हरिजन महिला के आभूषण छीन कर उसकी हत्या कर दी गई जिसकी सम्बन्धित थाने पर रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई और लाश का पोस्ट-मार्टम भी बिना कराये पुलिस द्वारा पंचायत-नामा भरकर मामला दबा दिया गया ? यदि हां, तो दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पुलिस रेकार्ड के अनुसार 10-4-74 को श्री राम कृष्ण निवासी ग्राम अतरौली जिला फर्रुखाबाद ने थाना छिबरामऊ पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि उनकी मां श्रीमती

चम्पावती गांव में कहीं जा रही थीं तो वह अचानक रास्ते में गिर गयीं जिसके कारण उनके चोट आई और वह वहीं मर गयीं। यह सूचना थाना छिबरामऊ पर अंकित की गई तथा जांच के लिये उप-पुलिस निरीक्षक घटनास्थल पर गये। जांच से उप-पुलिस निरीक्षक ने मृत्यु में कोई शक सुबहा नहीं पाया। अतः पंचायत नामा के बाद लाश को पोस्ट-मार्टम नहीं कराया गया।

उक्त घटना के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट ने एक मजिस्ट्रेट से जांच कराई जिसके उपरांत उक्त घटना के सम्बन्ध में एक मुकदमा धारा 302/394/201/161 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत थाना छिबरामऊ पर कायम किया गया है जिसकी विवेचना हो रही है। मुकदमें की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराए जाने के लिये शासन द्वारा आदेश दे दिए गए हैं।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी ने जो जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा करायी है, वह क्या रिपोर्ट आयी ? और दूसरा प्रश्न इसी से सम्बन्धित यह है कि जब मुकदमे 302/394/201 और 161 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम कर दिए गए तो मुल्जिमान के खिलाफ तो दर्ज हुए होंगे लेकिन जिन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी थाने में और पोस्ट-मार्टम नहीं कराया, उनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जो मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुयी इस सिलसिले में, उससे प्रकट हुआ कि मृतक स्त्री का एक लड़का फौज में भी काम करता था। उसका एक पुत्र और भी है जिसने कहा कि मेरी मां मरी नहीं है मारी गयी है। मैजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की और उन्होंने कोई तथ्य विचित्र नहीं पाये। प्राइमा फैसी इस केस में जब ये कह रहे हैं और कुछ लोगों के नाम भी दे रहे हैं पर चूंकि एक लड़के ने रिपोर्ट लिखायी कि मेरी मां मर गयी है और दूसरा कहता है कि मेरी मां मरी नहीं, मारी गयी है तो जब तक पूरी छान-बीन न हो जाय, कोई राय बनाना उचित न होगा।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि जो लड़का रिपोर्ट लिखाने गया श्री बेचे लाल वह घर पर रहता है और जो दूसरा सरकारी कर्मचारी है और उसकी जब बाद में शिकायत हुयी तब थाने में दबाब से कहलाया गया कि उसकी मां मर गयी है ? दूसरे जब उस हरिजन महिला की मृत्यु हुयी तो उसके शरीर पर 11 धार वाले औजार के निशान थे। अगर पुलिस के कथनानुसार यह अकस्मात् मृत्यु हुयी थी तो क्या उसकी पोस्ट-मार्टम करायी गयी, यदि हां, तो बताने की कृपा की जाय कि उसमें क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हमारे पास जिस आदमी ने रिपोर्ट लिखायी, उसका नाम है। वह उसका लड़का है। यह तो माननीय सदस्य भी मानते हैं कि उस पर दबाब डाला गया। यह उसका बयान होगा तो देखा जायगा। जिस दिन स्त्री मरी उस दिन रिपोर्ट लिखायी गयी कि मेरी मां मर गयी। हार्ट फेल भी हो सकता है। यह कहना सही नहीं है कि उसके शरीर पर 11 चोटों के निशान थे। उसके सिर पर या करवट पर, जैसे गिरने से चोट आ जाती है, खरोच के निशान बताये जाते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी पंचायतनामा पढ़ कर बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस वालों ने उसमें क्या-क्या चोटें लिखीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह पंचायत नामा एक पेज का है—

"हस्ब इत्तला फौती मुसम्मात चन्द्रावती बहवाला रपट नं0 47, तारीख 10-4-74 जरिये राम कृष्ण दिवाकर लाश मृतक में एस0 आई0 रविदत्त त्यागी मय सं0 इं0 श्री गिरराज-किशोर का0 10 रामआसरे, होमगार्ड वीरेंद्र प्रकाश व बगरज जांच मुरतिबी पंचायतनामा ग्राम अतरौली घटनास्थल पर आया और निम्नलिखित व्यक्तियों को जो घटनास्थल पर उपस्थित थे पंच मुकर्रर किया गया और कर्तव्य पंचान बताये गये व समझाये गये।

नाम पंचान:—

1—श्री अंगनेलाल पुत्र श्री भिकारीलाल गुप्ता साकिन अतरौली थाना छिबरामऊ
2—श्री मुन्शीलाल पुत्र श्री शंकरलाल कायस्थ ,, ,, ,,
3—श्री सुशीलप्रताप सिंह पुत्र भारत सिंह ठाकुर ,, ,, ,,
4—श्री मुन्शीलाल पुत्र रामलाल लोधी सा0 ,, ,, ,,
5—श्री बटेश्वर दयाल तिवारी पुत्र श्री कन्हैयालाल तिवारी ,, ,,

मुआयना लाश:—

उपरोक्त पंचान के समक्ष लाश उलट-पुलट कर देखा गया। सर जानिब उत्तर, पैर जानिब द0 दोनों हाथ फैले हुए, दोनों हाथों की मुट्ठी अधखुली, पैर घुटने के अन्वर को मुड़े हुए मुंह खुला हुआ आंख बन्द हैं आस-पास के गांव के आदमी इकट्ठे हैं बचेलाल लड़का मृतक लाश के पास मौजूद है।

कपड़े:—

लाश सफेद धोती वह गुलाबी छींट का ब्लाउज पहने है। पैरों दोनों में चार-चार गिलट के लच्छे हैं।

जरबात:—

सर में दाहिनी तरफ कुछ हल्की चोट, खून निकला है। चेहरा धूप की वजह से काला पड़ गया है।

हुलिया:—

सांवला रंग गोल चेहरा आंख नाक कान कद औसत पस्ता कद इकहरा कमजोर जिस्म उम्र करीब 60 वर्ष सर के बाल सफेद हैं।"

श्री रामसेवक यादव—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि मृतक का पंचनामा हो गया और कोई कहीं चोट नहीं थी.....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हत्यारी चोट नहीं थी।

श्री रामसेवक यादव—

या नी यह हत्या की घटना नहीं थी। फिर साथ ही यह भी कहा कि जब दोबारा कोई आवेदन पत्र या प्राथना-पत्र दिया गया तो उन्होंने मैजिस्ट्रेट से जांच कराई और उसके परिणाम-स्वरूप 302 और 394 के अन्तर्गत उनको मुल्जिम ठहराया गया और जब प्रश्न पूछा जाता है कि पकड़ा क्यों नहीं गया या पुलिस के खिलाफ कायवाही क्यों नहीं की गयी। जिन्होंने इसको दबाया और बाद में मुकदमा दर्ज कराया गया तो बताते हैं कि यह तथ्य सिद्ध नहीं हो सका है, शक का मामला है। तो जो चीज संदिग्ध हो, तथ्य से परे हो तो क्यों 302 और 394 में मुकदमा कायम कराया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पहले लड़के ने रिपोर्ट लिखायी कि आज मेरी मां 10–11 बजे जा रही थी, 60 वर्ष की है, गिर कर मर गयी । यह 10–4–74 की रिपोर्ट है । दूसरा लड़का आया फौज से । उसकी रिपोर्ट है कि मेरे भाई ने खबर दी है कि मेरी मां को मारा गया है, मरी नहीं है, अपने से नहीं मरी है, दूसरों से मरी है । इस अप्लीकेशन पर जांच कराई गयी । लेकिन जांच करें क्या, लाश तो थी नहीं, दफन हो चुकी थी । तो इन पब्लिक इंटेरेस्ट और इमेज क्लियर करने के लिये मुनासिब समझा कि मुकदमा कायम कर दिया जाय । हमने तुरन्त अपराध अनुसंधान विभाग को इसे दे दिया कि वह पता कर ले । अगर कोई अधिकारी शामिल हो तो अवश्य उनकी जांच की जायगी ।

श्री राम सेवक यादव—

प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न यह है कि जब खुद शासन निश्चित नहीं है कि क्या असलियत है तो 302 और 394 के तहत मुकदमा चलाने का क्या औचित्य होगा ?

श्री अध्यक्ष—

कैसे होता है 302 का मुकदमा । पहले जांच करके 302 दफा लगायी जाती है ?

श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, जांच तो हुई ही नहीं और मुकदमा दर्ज हो गया । ये दोनों को खुश करना चाहते हैं । हरिजन को इस तरह कि उसकी इच्छानुसार मुकदमा कायम करवा दिया और पुलिस को इस तरह कि किसी को पकड़ा नहीं गया । यह अच्छा तरीका नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इसमें तो बेनिफिट आफ डाउट उनको दिया गया जिनकी शिकायत थी । हमारे फौज के सिपाही के दिल के ऊपर यह असर न रहे कि उसके घर वालों की सुरक्षा पूरी नहीं है चाहे किसी वजह से हो । मैजिस्ट्रेट ने इस खयाल से नहीं पकड़ा किसी को कि पक्का सबूत मिलता नहीं । अपराध अनुसंधान विभाग को इसलिये दिया कि सबूत मिलेगा तो मुकदमा चलेगा नहीं तो फाइनल रिपोर्ट लगेगी ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

माननीय मुख्य मन्त्री के उत्तर से एक बात स्पष्ट है कि पंचनामा में जो इन्जरीज दिखायी ह वह आर्डिनरी कोर्स में मृत्यु के लिये काफी नहीं हैं । यही एक बात थी जिसकी वजह से लाश का पोस्ट-मार्टम कराया जाता । जिस पुलिस अधिकारी ने वहां पर पंचनामा लिखा और यह आब्जर्व किया कि चोटें हैं इसके बावजूद पोस्ट-मार्टम नहीं कराया तो कुछ-कुछ संदेह लगता है । तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इन सर्कमस्टैन्सेज को भी इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इसका अपराध अनुसंधान वाले जांच कर रहे हैं कि थानेदार रविदत्त का तो हाथ नहीं था । उन पर भी संदेह किया जा रहा है । थानेदार से लेकर जिन लोगों के प्रति कोई संदेह है इन दफाओं के अन्तर्गत जांच हो रही है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

जो दरोगा वहां पर है वह अब अपनी पुरानी वाली रिपोर्ट को सही करने के लिये दबाव डालगा । तो उसको हटाने का कोई प्रश्न विचाराधीन है मुख्य मन्त्री के पास ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह बात कुछ लोगों ने कही थी। हमने डी० आई० जी० , सी० आई० डी० से कह दिया है कि वह हमको बता दें। अगर वह कहेंगे कि इनका वहां रहना उचित नहीं है तो हम उनको हटा देंगे ?

श्री बब्बन सिंह, ग्राम प्रेमापुर जिला सुल्तानपुर की हत्या

*3—श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22/23 मई, 1974 की रात में थाना जयसिंहपुर जिला सुल्तानपुर के कानेस्टेबुल श्री राम पाल ने श्री बब्बन सिंह निवासी ग्राम प्रेमापुर थाना जयसिंहपुर जिला सुल्तानपुर को इतना अधिक मारा कि उनकी मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बब्बन सिंह निवासी प्रेमापुर थाना जयसिंह पुर जिला सुल्तानपुर ने दिनांक 23–5–74 को थाना जयसिंहपुर में इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी थी कि कां० रामपाल पांडे ने उनके पट्टीदारों से मिलकर 22/23–5–74 की रात में उन्हें रास्ते में मारा व पुलिया के नीचे ढकेल दिया। श्री बब्बन सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 323 भा० दं० विधान का मुकदमा दर्ज किया और उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल सुल्तानपुर भेजा। वहां से उन्हें लखनऊ मेडिकल कालेज भेजा गया जहां उनकी मृत्यु हो गयी। दिनांक 28–5–74 को थाना जयसिंहपुर पर उनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उपरोक्त मुकदमा, धारा 304 भा० दंड विधान में परिवर्तित कर दिया गया। कां० रामपाल को निलम्बित करके लाइन हाजिर कर दिया गया है। मुकदमे की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपे जाने के लिए शासन द्वारा आदेश दे दिए गए हैं।

श्री शिव कुमार पांडेय—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को पता है कि बब्बन सिंह की रिपोर्ट जयसिंहपुर में पहले नहीं लिखी गयी, वह कोतवाली में सुल्तानपुर में लिखी गयी और पुलिस ने इनके भेजने की कोई व्यवस्था नहीं की बल्कि बब्बन सिंह के घर वालों को खुद एक बस रिजर्व करा कर अस्पताल भेजना पड़ा ? क्या यह सही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा

माननीय सदस्य जो बात माननीय सदस्य बता रहे हैं ऐसी बात तो किसी ने कही नहीं है न मेरे पास ही वैसी सूचना है।

श्री शिव कुमार पांडेय—

जब कांसटेबिल ने बब्बनसिंह को मार दिया तो उसको वहां से ले जाने के लिये कोई साधन नहीं रहा। एक सरकारी बस को 400 रुपये देकर उसको वहां से लोग लाये। उसकी रसीद तक उनके पास है। जब जयसिंहपुर थाने ले गये तो वहां पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी। फिर वहां से वे सुल्तानपुर गये, वहां भी पुलिस वालों ने भर्ती नहीं कराया। वहां के एक अन्य महोदय ने उसको किसी प्रकार से जाकर भर्ती करवाया। तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि उसको रामपालसिंह ने 6 पी० ए० सी० के जवानों के साथ मारा है, इसकी फिर से जांच करवायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सच बात तो यह है कि जब लाश थाने में आयी तो लोगों में बड़ा असंतोष था। किन्तु बाद को जब सही बात उनको पता हुई, तो जनता की तरफ सेश्री विजय नारायण सिंह, प्रधान ने अगुआई की और उसको फिर उपचार आदि के लिये भी ले गये। बस वाले को कोई पैसा वगैरह दिया इसकी सूचना हमें नहीं है। माननीय सदस्य को यदि कोई जानकारी हो तो वे लिखकर मुझे भेज दें तथा साथ में जो रसीद वे बताते हैं उसको भी भेज दें, तो मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

जनता में जो क्षोभ है उसको देखते हुए क्या मुख्य मन्त्री जी इसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच करवायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस घटना की जांच सी० आई० डी० के सिपुर्द तो कर दी है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मैं यह जानना चाहता हूं कि भर्ती के समय जो डाक्टरी रिपोर्ट है चोटों के बारे में वह क्या है ? मुख्य मन्त्री जी कृपया उसे पढ़ दें तथा पोस्ट-मार्टम की जो रिपोर्ट है उसे भी पढ़ दें ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इन्जरी रिपोर्ट मेरे पास है, पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट नहीं है। इन्जरी रिपोर्ट में यह लिखा है:—

"(1) Iaceratul wound 1.5 cm.×2 cm.×skin deep on the right chin, 3 cm. below the right angle of mouth bleeding present.

2. Contusion 21 cm.×1.5 cm. back right side of fore-arm, reddish in colour.

3. Swelling right thigh from knee joint to hip joint. No external injury seen.

Advised for X-ray."

श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस पुलिया पर जहां राम पाल पांडे, कानस्टेबिल ने बब्बन सिंह को मारा वह थाने से कितनी दूर है और रात में कितने बजे का यह वाकया है और पुलिस का दस्ता वहां क्या कर रहा था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, यह आधी रात के थोड़ा पहले का वाकया है। करीब-करीब आधी रात का ही है। एक मुखबिर थाने में आया कि कुछ डाकुओं का एक गिरोह आने वाला है, तो पुलिस और पी० ए० सी० के लोग मिलकर इन्टरसेप्ट करने के लिये, उनको रोकने के लिये वहां गये थे। यह जो दो सज्जन आ रहे थे यह किसी जगह कोई खाने-पीने, शायद जनेऊ था या ब्याह शादी थी वहां से भोजन करके घर लौट रहे थे।

श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

श्रीमन् क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो इस मुखबिर की बात की गयी है उनको यह कैसे पता था कि डाकू पुलिया पर लौटेंगे या किसी दिशा से लौटेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो ब्योरे का प्रश्न है ।

श्री शिव कुमार पांडेय—

मान्यवर, एक चीज मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं । मान्यवर, जनता में बड़ा रोष है । तो सबसे बड़ा रोष यह है कि मान्यवर, जो आदमी थाने में गये चोट खाकर तो दरोगा ने तुरन्त उनकी कोई हेल्प नहीं की । इसके साथ-साथ वहां किसी को नहीं भेजा कि इनको सदर अस्पताल में भर्ती कराओं तो क्या मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो दरोगा वहां अपनी डियुटी पर था आप उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? दूसरी चीज यह है कि थाने के जिस कर्मचारी कान्स्टेबुल या अधिकारी ने इनको अस्पताल में भर्ती कराया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इतने डिटेल में जवाब देना मुमकिन नहीं है । लेकिन अगर माननीय सदस्य कह रहे हैं तो जो सूचना अपराध अनुसंधान विभाग से जो पूरा ब्योरा हमारे पास इस संबंध में आयेगा तो निश्चय ही जिस कर्मचारी की कमी होगी उसको दंडित किया जायेगा ।

श्री चन्द्रभान ग्राम बनयानी व श्री नवाब सिंह, ग्राम मनपुरवा जिला फर्रुखाबाद की पुलिस फायरिंग से मृत्यु

*4—श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर खीरी) (अनुपस्थित) तथा श्री झांमलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 10/11 मई, 1974 को थाना छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद के कुछ पुलिस अधिकारियों ने दो निरीह नागरिकों की हत्या कर दी और इस षडयंत्र के एक सहयोगी सिपाही के घुटनों में फर्जी तमन्चे की चोट बनाकर डकैतों से हुई पलिस की मुठभेड़ का रूप दिया है ? यदि हां, तो इस जघन्य कान्ड के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10/11-5-74 को जब थानाध्यक्ष छिबरामऊ कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ थाना छिबरामऊ पर कायम एक मुकदमें की तफतीस से वापस आ रहे थे तो 4 बजे सुबह जी0 टी0 रोड पर मड़ैया खोह के पास दो ट्रकों को कुछ बदमाशों द्वारा रोक कर लूटने की कोशिश करते हुए देखा । पुलिस पार्टी के वहां पहुंचने व ललकारने पर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया । बचाव में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया जिसके फलस्वरूप दो बदमाशों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । एक कान्स्टेबुल को भी चोट आई व एक कांस्टेबुल की बन्दूक का बट टूट गया ।

उक्त घटना के संबंध में तीन मुकदमा थाना छिबरामऊ पर कायम हुए है जिनकी विवेचना प्रगतिशील है ।

उक्त घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है ।

श्री झामलाल अहेरवार—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह बदमाश कहां के थे और उनका पता क्या है ? दूसरे जिन बदमाशों ने ठेला लटने के लिये योजना बनायी थी उस ठेला का क्या नंबर था तथा क्या पता था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, जो दो लोगों के नाम इसमें दिए हैं वह हैं:—

1—चंदुआ उर्फ चंदर उर्फ चन्द्रभान, पुत्र गिरधारी अहीर सा0बनयानी थाना, ताल ग्राम, जिला फर्रुखाबाद ।

2—नवाब सिंह अहीर, सा0 मनपुरवा, थाना, इन्दरगढ़, जिला फर्रुखाबाद ।

जो आपने कहा है कि उनके खिलाफ क्या-क्या बातें थीं तो—

1—चंदुआ उर्फ चंदर उर्फ चन्द्र भान थाना, तालग्राम से धारा 302 में मफरूर था और उसके ऊपर 50 रुपये का इनाम घोषित था। यह निम्नलिखित अपराधों में वांछित था:—
अ0स0372/68धारा302भा0दं0वि0था0, गुर सहायगंज, जिला फर्रुखाबाद ।

2—अ0 सं. 375/68 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 थाना गुरसहायगंज, जिला फर्रुखाबाद ।

3—अ0सं0 168 व 188/69 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 थाना, गुरुसहाय-गंज, जिला फर्रुखाबाद ।

अ0 स0 157/70 धारा 380 भा0 दं0 वि0 थाना, गवहाना जिला हिसार, हरियाना (410 बोर मस्कट)। नवाबसिंह का डकैती, राहजनी, चोरी करना काम था। श्री आर0एस0 दोहरे, परगनाधीश छिबरामऊ इस कांड की जांच कर रहे हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आज तो पुलिस कृत्यों पर बहस हो रही है। यह विचित्र घटना है। मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया है कि मेरी जानकारी यह है कि यह दोनों व्यक्ति नवाबसिंह और चन्दुआ उर्फ चन्द्रभान इस कांड में शामिल थे। जो कि मारे गये। परन्तु उस गांव की जनता का कहना है कि जो उपरोक्त व्यक्ति मारे गये हैं वे वास्तव में नहीं हैं। जो दोनों व्यक्ति मारे गये वे मैनपुरी के व्यापारी थे। वे बैल लेने के लिये आये थे और उनके पास काफी रुपया था जिसको पुलिस वालों ने छीन लिया और उन दोनों व्यक्तियों को मार डाला। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तो वह ठेले जो कानपुर से इस जगह आ रहे तो क्या उनकी इन्ट्राज म्युनिसिपिल बैयरियर पर है या नहीं? दूसरे क्या मुख्य मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि वह व्यक्ति दरअसल मैनपुरी के हैं या और कहीं के ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, हमारे सामने जब तक तथ्य उपस्थित हैं उसमें हम अपनी कोई राय नहीं बना सकते हैं कि ये व्यक्ति कोई और हैं। मैजिस्ट्रीयल इंक्वायरी के सामने उन लोगों को इत्तिला की है कि वह सबूत पेश करें। यदि सिद्ध हुआ तो फिर दफा 302 का मुकदमा उन पर चलेगा जिनकी गोली से वे व्यक्ति मरे हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा जवाब नहीं आया। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उस ठेले का इन्ट्राज म्युनिसिपल बैयरियर पर है कि नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इन सब चीजों को मैजिस्ट्रेट देखेगा ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

मान्यवर, यह मामला अत्यन्त गंभीर है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करवाने की कृपा करेंगे क्योंकि प्रश्न यह है कि थाना अध्यक्ष अपने कुछ सिपाहियों के साथ फतेहगढ़ एक इन्क्वायरी के लिये गये थे। जिन हथियारों को वे अपने साथ ले गये थे और जिनसे व्यक्ति मारे गये हैं पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट में वे हथियार एक हैं? अध्यक्ष जी थाना अध्यक्ष के पास भी रिवाल्वर था और जो व्यक्ति मरे हैं वे भी रिवाल्वर से मारे गये हैं। साथ ही साथ वह ट्रक वाली बात यदि सदन में कह दी जायेगी तो वहां पर टेम्परिंग हो जायेगी जबकि वास्तविकता यह है कि 82 हजार रु0 इन दो व्यक्तियों के पास था जिसको लेने के लिए उनको मारा गया।

और साथ ही साथ जो यह बदमाश बताया गया है चन्दू उर्फ चन्द्रभान, यह पूरा गांव चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि यह चन्दू नहीं है। यह दोनों व्यक्ति मैनपुरी के रहने वाले हैं। यह लोग बस स्टेशन पर इन्तजार कर रहे थे क्योंकि रेलवे की स्ट्राइक थी। वह समय लगभग 4 बजे का था और एक पी0 डब्लू0 डी0 का कर्मचारी देख रहा था जिस समय थानेदार ने ड्रम रोड पर लगाने शुरू किये। उस पी0 डब्लू0 डी0 के कर्मचारी को भी मारा उसने भी सबेरे सबको चिल्ला-चिल्ला कर बताया है इस जघन्य कांड को। मैं इसीलिए मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूं कि इतने गम्भीर घटना को देखते हुए क्या सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माननीय सदस्य, जैसा बता रहे हैं कि मैनपुरी के रहने वाले हैं जो व्यक्ति मारे गये हैं तो उनके बच्चों से या बीबी से कोई प्रार्थना-पत्र दिलवाते कि फलां दिन से वह लोग गायब हैं। जब यह तथ्य सामने आते तो मैं उस दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न को देख लेता। मैं माननीय ससस्य को संतोष देना चाहता हूं कि अगर मैजिस्टेरियल इन्क्वारीय में यह तथ्य सामने आया और यदि शक भी हुआ तो उस बैनीफिट आफ डाउट का फायदा पुलिस के खिलाफ देंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

रतन सेन ड़िग्री कालेज बांसी, जिला बस्ती में भ्रष्टाचार की शिकायत

श्री हिम्मत सिंह—

*1—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, जिला बस्ती में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, एम0 एल0 ए0 द्वारा अग्रसारित जून मास, 1973 में मिला ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां।

परन्तु जून, 1973 का पत्र स्वयं में शिकायती-पत्र नहीं है वरन् श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने श्री शम्भूनाथ पांडे का जो शिकायती-पत्र 8 दिसम्बर, 1972 को अग्रसारित किया था उसका अनुस्मारक है।

श्री शम्भ नाथ पान्डे के उक्त पत्र कीमुख्य शिकायतों का विवरण संलग्न है।

इन शिकायतों की जांच कराने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय को लिखा गया था तथा उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इनकी जांच हेतु दो व्यक्तियों का एक निरीक्षक मण्डल गठित किया गया और यह आदेश दिए गए कि निरीक्षक मंडल के समक्ष आरोपकर्ता भी उपस्थित रहें। परन्तु बाद में दिनांक 12-2-73 को अपने एक पत्र द्वारा आरोपकर्ता (श्री शम्भूनाथ पान्डे) ने अपने समस्त आरोप वापस लेते हुए क्षमा मांगी। कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने उक्त निरीक्षक मंडल का कार्य समाप्त कर दिया।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ..320 पर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह शिक्षा विभाग भी एक तरह से पुलिस विभाग का काम कर रहा है। मेरी यह व्यक्तिगत जानकारी है कि सम्बन्धित व्यक्ति ने उस व्यक्ति के पास जाकर एक फर्जी चिट्ठी लिखाकर कि वही शम्भूनाथ पांडे हैं, भेज दिया और वह पत्र डाक द्वारा भेजा गया है। मैं एक नीति के बारे में मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि चाहे वह पुलिस हो या शिक्षा विभाग के बारे में हो, यदि गम्भीर आरोप इस प्रकार के आते हैं और इस प्रकार क्षमा याचना कर ली जाय या कोई और व्यक्ति उस नाम से लिखाकर भेज दे तो क्या आप इन्क्वायरी ठप्प करा देंगे। जो दो व्यक्ति जांच पड़ताल के लिये गये उन्होंने क्या देखा? तो क्या मुख्य मन्त्री जी सत्य का पता लगाने का प्रयास करेंगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, जून, 72 में शिकायती-पत्र आया था। 12-2-73 को आरोपकर्ता ने जिलाधीश, बस्ती को लिखकर दिया और उसकी प्रतिलिपि भेजी वाइस चान्सलर को और लोगों को भी। निरीक्षक मंडल ने अपनी तरफ से और चीजों को देखा। उनको बुलाया गया और कहा गया कि आरोप क्या-क्या हैं सिद्ध करने में सहायता करें। तो उस पत्र के बाद यह मान लिया गया कि उनको कुछ नहीं कहना है। ऐसा नहीं है कि निरीक्षण मण्डल ने कुछ नहीं देखा।

डिग्री कालेजेज के ऊपर जो चार्जेज लगे थे उनमें कुछ तो वेग थे जैसे फलां दिन खाना पीना हुआ। यह तो बड़ा मुश्किल है इसको देखना। इसी तरह से जो 50 हजार रुपया डिग्री कालेज को कक्ष बनाने के लिये दिये गये.....

निरीक्षक मंडल उस चार्ज को गलत बताता है। इन्होंने, शम्भूनाथ ने स्वयं लिख कर भी दिया। अगर अब माधव बाबू समझते है कि शम्भूनाथ जी के पास कोई सबूत है....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरे दस्तखत से आयेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

तो सर खम है।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि निरीक्षक मण्डल में कौन-कौन व्यक्ति थे और माफीनामा लिखा उसे भी पढ़कर सुना दें?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने दो व्यक्तियों का निरीक्षक मंडल घोषित किया। इसमें उनके नाम नहीं दिये ह। लेकिन जो पत्र शम्भूनाथ पांडे ने दिया है वह मेरे पास है। इसमें लिखा है कि महोदय कुछ दिन पूर्व मैंने रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी (बस्ती) के विरुद्ध

उक्त विषय सम्बन्धित कुछ आरोप लगाये थे किन्तु इस सम्बन्ध में मैंने बाद में पता लगाया तो सारे आरोपों को असत्य एवं निराधार पाया। इसके कारण मुझे अत्यधिक पश्चाताप हो रहा है। इस विषय में मुझे यह भी निवेदन करना है कि गंदी राजनीति में पड़े रहने वाले कुछ व्यक्तियों के जाल में फंसकर मैंने यह कुकर्म किया है।

श्री राम सेवक यादव---

बाद में जब गन्दी राजनीति में फंस गये उसका जिक्र कर रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

उस। मेरा और न आपका ताल्लुक है। औरों का ताल्लुक है। इस पत्र में आगे लिखा है कि अतएव रतनसेन डिग्री कालेज के विरुद्ध लगाये गये मैं अपने सारे आरोपों को वापस लेता हूं और अन्त में आपके समक्ष क्षमा प्रार्थी हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

के० बी० डिग्री कालेज, मिर्जापुर में प्रबन्ध समिति के सदस्यों के पुत्रों की अध्यापक के पद पर नियुक्ति

*2---श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर स्थित के० बी० महाविद्यालय (डिग्री कालेज) प्रबन्ध समिति के ऐसे कितने सदस्य हैं, जिनके पुत्र इसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य करते हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

दो।

डी० बी० कालेज तथा गांधी विद्यालय, जालौन में बी० एड० के छात्रों से चन्दे के रूप में रिश्वत का लिया जाना

*3---श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन) -

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि जालौन में बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश के लिए छात्रों को डी० बी० कालेज तथा गांधी विद्यालय में प्रति छात्र रुपया रिश्वत या चन्दे के रूप में देना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अरोल बस स्टेशन, कानपुर की बिल्डिंग के निर्माणार्थ एलाट की गई भूमि

*4---श्री मोती लाल देहल्वी---

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला कानपुर के अन्तर्गत जी० टी० रोड स्थित अरौला में बस-स्टेशन बनाने हेतु लगभग 6-7 वर्ष पूव

नोट:---नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

राजा तिरवा नें रोडवेज को रजिस्ट्री सुदा 1 बीघा 10 विस्वा जमीन दान में दी थी और उस जमीन पर बिल्डिग बनाने के लिये सरकार द्वारा 45 हजार रुपया भी स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो अभी तक बस स्टेशन की बिल्डिग न बनाने का क्या कारण है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

जी नहीं, अरौल में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बस स्टेशन बनाने हेतु उपयुक्त भूमि का चुनाव करके चकबन्दी अधिकारी को यू० पी० रोडवेज के नाम एलाट किए जाने के लिये लिखा गया था। तदनुसार 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि एलाट की गयी थी। वर्ष 1966 में अरौल की दैनिक औसत आय केवल 70 रुपये थी। और अब तक बढ़कर केवल 100 रु० ही हो सकी है। जो बस स्टेशन निर्माण के लिये अब भी अपर्याप्त है। फिर भी एक अस्थायी बस स्टेशन के निर्माण हेतु आगणक तैयार कराये जा रहे हैं।

[27-6-74 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्री प्रेमचन्द्र सब, इन्सपेक्टर, डेरापुर, जिला कानपुर के विरुद्ध रिश्वत का मुकदमा

*1---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतावेंगे कि कानपुर जिले के पुलिस थाना डेरापुर के सब-इन्सपेक्टर प्रेमचन्द्र के द्वारा इलाके के भले लोगों की मारपीट, रिश्वतखोरी अकर्मण्यता एवंपक्ष-पात तथा भ्रष्टाचार के फलस्वरूप यहां की जनता परेशान है और इसकी शिकायतें उच्च अधि-कारियों से की गई है तथा इनके विरुद्ध मारपीट तथा रिश्वतखोरी के इस्तगासे (मुकदमे) जनता की ओर से अदालतों में चल रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त दरोगा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*2-3---श्री भीखा लाल---

[4थे बुधवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 4-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*4---श्री मोहन लाल कपूर---

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत उत्तरित।]

राज्य विद्युत् परिषद् के ट्रांसमिशन सर्वे सर्किल, मेरठ के कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति

*5---श्री मोहन लाल कपूर---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत ट्रान्समिशन सर्वे सर्किल द्वितीय मेरठ के लगभग 150 कर्मचारियों की सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के 15 मार्च, 1974 को समाप्त कर दी गई? यदि हां, तो इसका क्या आधार है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

नियुक्ति की सेवा शर्तों के अनुसार 147 कर्मचारियों की सेवायें योजना के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1974 से समाप्त कर दी गई।

*6---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

[3रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत उत्तरित।]

*7—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[निरस्त]

*8—श्री सूर्य प्रकाश तथा श्री राम चरन शाह—

(पुनर्विचार पर निरस्त ।)

बिजली की कटौती के परिणाम स्वरूप मिनिमम चार्ज में छूट

*9—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बिजली कटौती के कारण चुनार नगर के "पावर कनेक्शन" को "मिनिमम चार्ज" में छूट दी गई है? अगर हां, तो ऐसी छूट घरेलू उपयोग के कनेक्शन वालों को क्यों नहीं दी गई? क्या बहुद बिजली कटौती के कारण पूरे प्रदेश को न्यूनतम यूनिट चार्ज की सीमा से छूट देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी, हां । बांछित सूचना संलग्न है ।

[देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ..321 पर]

*10—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

[4थे बुधवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पुलिस विभाग में की गयी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति की संख्या

*11—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1973 से अप्रैल, 1974 तक पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणी में कितनी नयी नियुक्तियां हुई? उनम प्रत्येक श्रणी में अनुसूचित जाति को कितना स्थान दिया गया?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नवम्बर 73 से अप्रैल, 74 तक की अवधि में पुलिस विभाग में पुलिस उपाधीक्षकों के 9 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गये जिनमें से/पद अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भरा गया है । इसके अतिरिक्त पुलिस फोर्स/पी0 ए0 सी0 में कुल 2931 कान्स्टेबिल नये भर्ती किये गये जिनमें से 1417 अनुसूचित जाति के थे ।

*12—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[3रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मिठवल ब्लाक जिला बस्ती के हरिजनों को मकान हेतु अनुदान

*13—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिठवल ब्लाक, जिला बस्ती में हरिजनों को मकान बनाने के लिये गत वित्तीय वर्ष में रुपया दिया गया है? यदि हां, तो कब और कसे और कितना-कितना रुपया दिया गया? क्या यह सच है कि वह रुपया न देकर सम्बन्धित बी0 डी0 ओ0 न हरिजनों को इसकी जगह पर गौरी तप्पा असनार एसे ग्रामों में तृतीय श्रेणी की ईट दिया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित ब्लाक के निवासी 6 हरिजन व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु रु0 1000 प्रति व्यक्ति अनुदान स्वीकृत किया गया ।

वांछित विवरण संलग्न है ।

जी नहीं । इस सम्बन्ध में यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि केवल एक अनुदान ग्राहीता, श्री सुरेश के प्रार्थना करने पर तथा संबंधित ग्राम प्रधान की संस्तुति पर उसे डी0 सी0 डी0 एफ0 के भट्ठे से प्रथम व द्वितीय श्रेणी की ईटें स्थानीय प्राइवेट भट्ठों से कम मूल्य पर उपलब्ध कराई गयी थी ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 322 पर)

*14—श्री ऊदल—

[6वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री मोती राम द्वितीय जनता इन्टर कालेज, गोरखपुर द्वारा हरिजन छात्रावास का अनुदान का दुरुपयोग

*15—श्री फिरंगी प्रसाद विश्वास (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1969 से 1973 तक हरिजन छात्रावास हेतु किन-किन मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों को गोरखपुर में सरकारी धनराशि दी गई ? इनमें से कितने विद्यालयों में छात्रावास बने तथा कितने में न बनने की स्थिति से में पुलिस केस दर्ज कराया गया ? इस दिशा में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में जिला गोरखपुर में केवल श्री मोतीराम द्वितीय जनता इन्टर कालेज, आनन्द नगर फरेंदा को हरिजन छात्रावास निर्माण हेतु रु0 29,500 का अनुदान दिया गया था ।

उक्त कालेज के द्वारा छात्रावास निर्माण न कराये जाने के कारण धनराशि के दुरुपयोग के बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा पुलिस केस कायम होकर भारतीय दंड विधान की धारा 409 (अभियोग संख्या 81) के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है । पुलिस द्वारा अभी तफसीस जारी है ।

परिवहन निगम में वर्ष 1971-72, 1972-73 में हुई हानि लाभ का ब्योरा

*16—श्री केशरी लाल (जिला कानपुर), श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया) तथा श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1971 व 1972 में उत्तर प्रदेश रोडवेज को कितना फायदा हुआ और 1972 व 1973 में जब से परिवहन निगम की स्थापना हुई इस बीच निगम को कितना घाटा हुआ है? और प्रदेश के प्रत्येक रीजन में 1971 व 1972 की तुलना में 1972-1973 में कितना घाटा हुआ? उक्त घाटे के लिये उत्तरदायी सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज को वर्ष 1971-72 में रु0 2,48,11,909 का शुद्ध लाभ हुआ । परिवहन निगम की स्थापना दिनांक 1-6-1972 से मार्च 31, 1973 तक रु0 1,10,65,167 की शुद्ध हानि हुई जब कि सम्पूर्ण वर्ष 1972-73 में शुद्ध हानि 45,57,618रु0

की हुई। क्षेत्रवार लाभ-हानि के वर्ष 1971–72 एवं वर्ष 1972–73 के तुलनात्मक आंकड़ों की तालिका संलग्न है।

वर्ष 1972–73 में हानि होने का मुख्य कारण निगम की स्थापना के फलस्वरूप शासकीय नियमों एवं आदेशों के अनुसार व्याज टैक्स आदि पर व्यय बढ़ने तथा निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने एवं वेतन के अतिरिक्त व्यय की विभिन्न मदों में वृद्धि ही है। अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 323 पर)

गंगाराम वाला कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, जिला बिजनौर को विद्युत् कनेक्शन का दिया जाना

*17—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गंगाराम वाला, निकट गढ़ापुर जिला बिजनौर में स्थित गंगाराम वाला कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के फार्म पर बनने वाले नलकूप को पूरा बनने के पूर्व ही नियम विरुद्ध विद्युत, कनेक्शन दे दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

गंगाराम वाला कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के फार्म पर बने नलकूप को विद्युत् कनेक्शन नियमानुसार ही दिया गया है।

*18–19—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

(5वें गुरुवार के लिये स्थगित)

सिंचाई हेतु पम्पिंग सेटों को विद्युत् की सप्लाई न होना

*20—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई हेतु पम्पिंग सेटों को बिजली जो नार्मल स्कीम में दी जाती रही है उसको विद्युत् परिषद् ने मार्च, 1974 से खत्म कर दिया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। धनराशि न होने के कारण ऐसा करना पड़ा है।

श्री रामधारी सिंह व श्री बदरी पडरौना जिला देवरिया की डकैतों द्वारा हत्या

*21—श्री पुरुषोत्तम—

क्या गृह मन्त्री बताने की अनुकम्पा करेंगे कि पडरौना (देवरिया) थाना क्षेत्र में 18 अप्रैल, 1974 की रात्रि में श्री मदन सिंह के यहां जो सशस्त्र डकैती पड़ी थी और जिसका मुकाबला करते हुए गांव के दो ग्रामीण श्री रामधारी सिंह व श्री बदरी वीरगति को प्राप्त हो गये थे उन दोनों मृत किसानों की विधवाओं तथा बच्चों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पडरौना (देवरिया) थाना क्षेत्र में दिनांक 19–20 अप्रैल 1974 की रात्रि में श्री मदन सिंह के यहां पड़ी डकैती की घटना में मृत सर्वश्री रामधारी सिंह व बदरी के आश्रितों को आर्थिक सहायता तथा नियमानुसार असाधारण पारिवारिक पेंशन दिये जाने के मामले में विचार किया जा रहा है।

*22--चौधरी चरण सिंह--

[5वें सोमवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जेलों में बंद नक्सल पंथी

*28—श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय कितने राजनतिक बन्दी उत्तर प्रदेश सरकार की जेलों में बन्द हैं ? उनमें कितने नक्सलपन्थी हैं तथा वे कितने दिनों से बन्द हैं और उन पर मुकदमें चलाये जा रहे हैं या नहीं ? और नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस समय इस प्रदेश में कुल 26 राजनैतिक बन्दी जेलों में बन्द हैं । इनके अतिरिक्त 14 राजनैतिक बन्दी जमानत/पैरोल पर छूटे हुए हैं । इन 40 राजनैतिक बन्दियों में से 31 नक्सलपन्थी हैं । इनमें से 13 व्यक्तियों को सजा हो गयी है और दो के मामले अदालत के विचाराधीन है । शेष 16 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चलाये जा रहे हैं । उक्त नक्सलपंथियों की जेल में बन्द होने की अवधि इस प्रकार है:

बन्दियों की संख्या	अवधि
2	1968
12	1970
4	1971
1	1972
9	1973
3	1974

*24—श्री शिव प्रसाद--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*25—चौधरी चरण सिंह--

[5व गुरुवार के लिये स्थगित]

*26—श्री मोहम्मद रफी खां—

[5वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*27—श्री सूबेदार तथा श्री झामलाल अहेरवार—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

*28--श्री शिव प्रसाद—

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*29--श्री कल्याण सिंह—

[5वें गरुवार के लिये स्थगित]

भेलूपुरा, वाराणसी में तथा कथित बम का कारखाना

*30—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि वाराणसी पुलिस ने भेलूपुरा में एक बम बनाने के कारखाने को दिनांक 23 मई, 1974 को पकड़ा था? यदि हां, तो उक्त कारखाने के कितने बम बरामद किये गये और इस सम्बन्ध में किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23-5-74 को वाराणसी पुलिस ने भेलूपुर में बम बनाने के किसी कारखाने को नहीं पकड़ा था ।

बिजली के उत्पादन में कमी

*31—श्री प्रभु नारायण (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मौजूदा वर्ष में बिजली की उत्पादन क्षमता क्या थी और क्या यह सही है कि उत्पादन क्षमता के मुकाबले में बिजली उत्पादित नहीं होती है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? सरकार बिजली की कमी को दूर करने के लिये तात्कालिक तौर पर क्या प्रयास कर रही है ? क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि इस वर्ष-किसानों, छोटे उद्योगों तथा बड़ी इन्डस्ट्रीज को कितनी बिजली मिलनी चाहिये थी नहीं मिल पाई है ? यदि हां, तो इससे कृषि के उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन में किस अनुपात में पिछले वर्ष से कमी रही ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मौजूदा वर्ष में राज्य विद्युत् परिषद् की विद्युत् की अधिष्ठापित क्षमता 1453.55 मेगावाट रही । तथा यह सही है कि उत्पादन क्षमता के मुकाबले में बिजली उत्पादन नहीं हो सका है जिसका कारण यह रहा है कि जल विद्युत् गृह में जल की कमी रही । वाष्प विद्युत् गृह में कोयले की कमी रही तथा बीच में श्रम संकट उत्पन्न हुआ है एवं कल पुर्जों की भी कमी रही । बिजली की कमी को पूरा करने के लिये राज्य विद्युत् परिषद् तत्कालीन एवं दीर्घकालीन उपाय कर रही है । जिनका ब्योरा संलग्न है । यह भी सही है कि विद्युत् की कमी के कारण इस वर्ष किसानों, छोटे तथा बड़े उद्योगों को उनकी आवश्यकता एवं मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल पायी है । जहां तक कृषि एवं आद्योगिक उत्पादन की कमी का प्रश्न है सम्बन्धित विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 324 पर)

विधायक निवास, लखनऊ में चोरी

*32—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या मख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित विधायक निवासों में चोरी व डकैती की वारदातों को देखते हुए इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा—

लखनऊ स्थित विधायक निवासों में चोरी की घटनायें अवश्य हुई हैं किन्तु डकैती की कोई घटना घटित होने की सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई ।

चोरी तथा अन्य अपराधों की रोकथाम के लिये विधायक निवासों पर पुलिस का पहरा रहता है तथा निगरानी हेतु सादे कपड़ों में भी पुलिस की व्यवस्था की गई है। विधायक निवासों के चारों ओर मुख्य मार्गों पर पुलिस द्वारा गश्त होती है। इसके अतिरिक्त रात में इन मार्गों पर प्रायः गाड़ाबन्दी भी की जाती ।

अतारांकित प्रश्न

हाथरस, जिला अलीगढ़ में उप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की स्थापना की मांग

1—श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाथरस, जिला अलीगढ़ में उप पुलिस अधीक्षक का स्थायी कार्यालय स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कार्यालय कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को स्थापित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर में भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

2—श्री आशाराम यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में भारत सुरक्षा अधिनियम के अधीन आम चुनाव 1974 के बाद से अब तक कौन-कौन व्यक्ति बन्दी बनाये गये तथा क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मिर्जापुर जिले में आम चुनाव 1974 के बाद से दि डिफेंस आफ इण्डिया रूल्स, 1971 के अन्तर्गत संलग्न सूची में दर्शाये गये व्यक्ति, उनके सम्मुख अंकित कारण वश गिरफ्तार किये गये ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ : 25–327 पर)

कानपुर में चोरी, डकैती व कत्ल

3—चौधरी राम पाल सिंह यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बतलायेंगे कि कानपुर जिले के पुलिस थाना डेरापुर के अन्तर्गत जून, 1973 से अब तक कितनी डकैती पड़ी और कितनी चोरियां तथा कितने बल्वे हुए ? इस समय पुलिस के पास कितने तफतीशी मुकदमें, कौन-कौन, किस प्रकार के, कब से तफतीश में हैं और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कानपुर जिले के थाना डेरापुर पर 1–6–73 से 31–5–74 की अवधि में डकैती के चार, चोरी की 74 तथा बल्वे के 19 घटनायें की रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

उक्त अवधि के कुल 63 मुकदमें, जिनका विवरण संलग्न है, पुलिस के पास दर्ज होने की तिथि से तफतीश में है ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 328 पर)

किसान इन्टर कालेज, बहराइच को डिग्री कालेज बनाने का प्रस्ताव

4—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार बहराइच जिले में सरवल रोड स्थित किसान इन्टर कालेज को किसान डिग्री कालेज बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

5—श्री अंगने लाल—

[6वें मंगलवार के लिये प्र० सं० 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

6—श्री राम सेवक यादव, श्री मधुकर दिघे तथा श्री पुरुषोत्तम—

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा जिले में हरिजनों पर आक्रमण

7—श्री दीप नारायण पांडेय (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में चुनाव के बाद (26-2-74 से 4-5-74 तक) कितने आक्रमण हरिजनों पर हुए और इस सम्बन्ध में कितनी रिपोर्टें विभिन्न थानों में हरिजनों ने दर्ज कराई तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

गोण्डा जिले में चुनाव के बाद 26-2-74 से 4-5-74 तक हरिजनों पर आक्रमण किये जाने की 88 रिपोर्ट (33 हस्तक्षेपनीय और 55 अहस्तक्षेपनीय) विभिन्न थानों पर प्राप्त हुई जिनमें से 87 रिपोर्टों से संबंधित मुकदमों में जांच की गई । शेष एक अहस्तक्षेपनीय मामले में जांच करने हेतु मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं मिली । 87 मुकदमों में से जांच के बाद 31 मुकदमों में चालान न्यायालय भेजे गये तथा 17 में अंतिम रिपोर्ट लगी । शेष 39 मामलों में जांच हो रही है ।

ग्राम दौलावालिया डा० भुवनेश्वर जिला पिथौरागढ़ में पेयजल योजना

8—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौला वालिया डा० भुवनेश्वर, जिला पिथौरागढ़ (ब्लाक बेरोनाग) में पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप से उक्त गांव तक पानी लाने की योजना स्वीकार हुई है ? यदि हां, तो कितने फुट पाइप खरीदे गये और गांव तक पानी पहुंचाये जाने की योजना कब तक कार्यान्वित हो जाने की सम्भावना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्नगत गांव में पाइप से पानी लाने की योजना वर्ष 1973-74 में स्वीकृत हुई है । इसके लिये 612 मीटर लम्बे पाइप खरीदे गये हैं । माह जून, 1974 के अन्त तक यह योजना ग्राम प्रधान द्वारा कार्यान्वित की जाने की आशा है ।

निर्वाचन विभाग के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

9—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या वर्षों से लगातार कार्यरत निर्वाचन कर्मचारियों को दिनांक 29 मार्च, 1974 के आदेशानुसार दिनांक 1 अप्रैल, 1974 को सेवा से वंचित किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन कर्मचारियों की तरफ से की गई मांगों पर, कोई विचार कर रही है अथवा नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पंचायत निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, निर्वाचक नामावलियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण एवं विधान सभा सामान्य निर्वाचन के बढ़े हुए कार्य हेतु प्रयेक जिला निर्वाचन कार्यालय में कुछ अस्थायी पद निर्धारित अवधि के लिये सृजित किये गये। विधान सभा सामान्य निर्वाचन समाप्त होने पर उनमें से कुछ पदों का कार्यकाल 31 मार्च, 1974 के बाद काम कम हो जाने पर विस्तृत नहीं किया गया। शासन द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं कि उन कर्मचारियों को जो उक्त अस्थायी पदों का कार्यकाल समाप्त होने पर सेवा में नहीं रह गये हैं, अस्थायी पदों पर नियुक्ति हेतु अन्य कार्यालयों में प्राथमिकता दी जाय और आवश्यकतानुसार अधिकतम आयु सीमा से छूट दी जाय।

निर्वाचन विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

10—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तीन वर्ष लगातार सेवा करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने का आदेश राज्य के निर्वाचन विभाग के कार्यरत कर्मचारियों पर अब तक लागू नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार निर्वाचन विभाग में भी कार्यवाही हो रही है।

11—श्री बाबू लाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रदेश के भूतपूर्व एम० एल० ए०, एम० एल० सी० के लिये अंगरक्षकों की नियुक्ति

12—श्री प्यारे लाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में ऐसे कौन-कौन वर्तमान तथा भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 एम0 एल0 सी0 तथा संसद सदस्य हैं जिनको सरकारी व्यय पर सैंडो मिला हुआ है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस समय वर्तमान आठ एम0 एल0 ए0 तथा दो एम0 एल0 सी0 के साथ सरकारी व्यय पर अंग रक्षक नियुक्त हैं। शासन लोक हित में उनकी सूची सदन के पटल पर रखना उचित नहीं समझता।

13—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[7वें शुक्रवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

14—श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

15—श्री मोहन लाल कपूर—

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

16—श्री मलखान सिंह—

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिवालय के टंककों का स्थायीकरण

17—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बतायेगी कि 1 जनवरी, 1974 को 3 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी कर्मचारियों को स्थायी करने का शासन ने निर्णय लिया था ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में उपरोक्त आदेशों के आधार पर कितने टंकक अब तक स्थायी किये गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

1 जनवरी, 1974 के बाद अब तक 6 टंककों को स्थायी किया जा चुका है ।

लम्बा गांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग का निर्माण पर व्यय

18—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उत्तरकाशी में लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया था, अब तक उस पर कितना रुपया खर्च किया गया? और उसके कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सन् 1963 में प्रारम्भ हुआ था । इस मार्ग पर कुल 81,87,618 रु0 व्यय हो चुका है और इसका नवनिर्माण कार्य समाप्त हो चुका है तथा मार्ग यातायात के लिये खुला हुआ है ।

19—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

20—श्री श्रीनारायण—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

एटा में चोरी डकैती व राहजनी की घटनायें

21—श्री गंगा प्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में 1 जनवरी सन् 1972 से 1 जनवरी, सन् 1974 तक कितनी डकैतियां पड़ीं व कितनी चोरी व राहजनी हुई तथा कितने गुण्डजन गिरफ्तार किये गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार एटा जिले में प्रश्नगत अवधि में 114 डकैतियां, 275 राहजनी, 1283 नकबजनी 1120 माल की चोरी, 386 पशु-चोरी, 279 साइकिल चोरी तथा 274 अन्य चोरियों की घटनायें हुईं। इनमें कुल 1257 मुल्जिमान गिरफ्तार किये गये।

गढ़वाल जिले में दी गयी वृद्धावस्था पेंशन

22—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन वर्षों में कितने लोगों को वृद्धावस्था पेन्शन दी गई है और इस अवधि में गढ़वाल जिले से कुल कितने आवेदन-पत्र कब आये और कब उन्हें पेन्शन स्वीकार की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

पिछले तीन वर्षों में लोगों को स्वीकृत की गयी पेंशन का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	वर्ष में स्वीकृत पेन्शनों की संख्या
1971	.. 2710
1972	.. 3315
1973	.. 3700

पिछले तीन वर्षों में गढ़वाल जिले में प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदन-पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन
1971	शून्य	शून्य
1972	19	8
1973	41	16
		8 (1974 में)
योग ..	60	32

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन†

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन (अप्रैल, 1972—मार्च, 1973) को सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापा नहीं गया।

श्रम मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

कल विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय चौधरी रामपाल सिंह यादव ने माननीय राज मंगल पांडेय के विरुद्ध उठाया था।

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मान्यवर, मैंने उस दिन सदन में बयान दिया था वही बयान आज भी है। माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हो गयी है। इस बजट में 30 अस्पतालों की बात है वह इस तरह है :—पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र में 20, कर्मचारी राज्य बीमा योजना 5, जनता अस्पताल 2 और 10 शैयायुक्त शहरी चिकित्सालय 31 इस तरह से यह 30 हैं। जो मैंने स्टेटमेंट दिया कि मैदान में रूरल एलोपैथिक डिस्पेन्सरी नहीं खोली जायेगी वह आज भी है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

वित्त मन्त्री जी का जो भाषण है उसमें यह है कि इतने अस्पताल खोले जायंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैदानी क्षेत्र के बारे में उसम नहीं है। जो यह बयान है उसमें आप कैसे कहते हैं कि ठीक नहीं है। इसलिए यह अस्वीकृत हुआ।

सिंचाई मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरा माननीय बाबूलाल वर्मा का है। यह कल आया है। उनका कहना है कि सिंचाई मन्त्री ने द्वितीय सत्र 1974 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दिया कि ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।.....

प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर है—'प्रश्न नहीं उठता।'

माननीय बाबूलाल जी का प्रश्न यह है—'क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में प्रयागपुर स्थित बघैल ताल पर लिफ्ट सिंचाई योजना चालू करने कि योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना कब तक चालू हो जायेगी ? माननीय सदस्य का कहना है कि बहराइच जिला में जिलाधिकारी द्वारा एक परिपत्र वितरित किया गया है, जो फरवरी, 1974 का छपा हुआ है। इसके हिसाब से, माननीय सदस्य का कहना है, मन्त्री जी के बयान में असंगति है। बाबूलाल जी का यह कहना है कि इससे साफ जाहिर है कि सरकार के विचाराधीन उपरोक्त योजना है क्योंकि यह परिपत्र फरवरी, 1974 में बंटा है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि उक्त परिपत्र फरवरी, 1974 में बांटा गया बताया गया है, जबकि माननीय मन्त्री जी ने उत्तर 26 जून, 1974 को दिया है। इतने अन्तराल में आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्थिति में परिवर्तन भी हो सकता है। अतः माननीय बाबूलाल जी ऐसा तथ्य नहीं उपस्थित कर सके हैं कि मैं इसको उपयुक्त समझूं कि वह विशेषाधिकार की अवहेलना है।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि जो परिपत्र फरवरी महीने में जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया उसके तीन खंड हैं। पहले खंड में जो योजनायें कार्यान्वित हुई ह तथा जो

उपलब्धि हुई है, वह दिखलाई गई है तथा दूसरे खण्ड में जो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वे हैं, तथा तीसरे खण्ड में जो प्रस्तावित योजनाएं हैं, यानी भविष्य में ली जावेंगी, उनका जिक्र है। प्रश्न यह है कि बघेल ताल पर प्रस्तावित योजना की व्यवस्था है और माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौनसी बात सही है। जो मन्त्री जी ने जवाब दिया है, वह सही है अथवा ओ जिलाधिकारी महोदय ने लिखा है, वह सही है ?

श्री अध्यक्ष--

जिलाधिकारी की सूचना पुरानी चीज है। इतने समय का अंतराल है। जो जिलाधिकारी ने लिखा है और जो मन्त्री जी ने बयान दिया है कि नहीं है इन दोनों तथ्यों में असंगति नहीं है; दोनों बातें सही हो सकती हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा--

लेकिन मान्यवर, कौन सी बात सही है ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कर लें तो जवाब दिला दिया जायेगा।

श्री बाबूलाल वर्मा--

नहीं, मान्यवर, मन्त्री जी ने गलत-बयानी की है। सदन को गुमराह किया है। यह माननीय सदन का अवमान है।

सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)--

मान्यवर, मैंने जो अर्ज किया है, वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

यहां मन्त्री जी ने जो बात कही, उसमें असंगति नहीं है।

श्री बाबूलाल वर्मा--

मान्यवर, क्या जिलाधिकारी द्वारा वोट लेने के लिये सरकार ने प्रचार करवाया है ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा--

मान्यवर, मेरी बात का जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह कि अगर असंगति बने, तब तो ?

वित्त मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय बादाम सिंह ने उद्योग मन्त्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न किया है। उनका कहना है कि बरेली के बारे में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तर

[श्री अध्यक्ष]

दिया है कि "जो बरेली मिल के बारे में माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं, उस मिल के बारे में माननीय सदस्य अवगत हैं।"

हमने इसीलिए शिकायत की कि उनके चीनी के सारे बोरे कुर्क हो रहे हैं 1 लाख 760 बोरे कुर्क किये गये लेकिन उनमें से कुछ रिलीज भी हो रहे हैं। माननीय सदस्य का यह कहना है कि यह उत्तर ठीक नहीं है। इसकी कापी मैंने माननीय मन्त्री के पास भेज दी है क्योंकि माननीय मन्त्री से जानकारी प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

जिले में 11 हजार बोरी कुर्क की गयी लेकिन 1 लाख बतलाई गई हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह सब लिखा हुआ है। जो असंगति उन्होंने बतलाई उसे मैंने बतला दिया। अब माननीय उद्योग मन्त्री चाहें तो अभी बतला दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय उद्योग मन्त्री को मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने भेज दिया है। मन्त्री जी बिना तैयारी के कैसे बोल सकते हैं ?

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। एक सर्वश्री तीरथ राम कोहली तथा माधव प्रसाद त्रिपाठी की है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह इलाहाबाद की घटना है जो सारे प्रदेश को प्रभावित कर रही है। अखबार में आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा जिस समय आपरेशन करना था बिजली गायब हो गयी और वह लड़का मर गया। डाक्टरों का कहना है कि बिजली के अभाव में न जाने कितनी जानें चली जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब का भी यही सवाल है और आपका भी है। दोनों को मैं रखे देता हूं।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अभी तक मेरे पास आपके द्वारा भेजा गया कागज तो नहीं आया है लेकिन आज सुबह कानपुर से निकलने वाले एक अखबार में जब मैंने यह खबर पढ़ी तो तत्काल गृह सचिव, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सचिव तथा डाइरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज तीनों को मैंने यह आदेश दिये कि इस खबर की जांच के लिये यहां से एक कमेटी भेज दी जाय जांच करने के लिए और वह वहां जाकर पूरे तौर से इस बात की छान-बीन करे कि पिछले 15–20 दिन में कितनी बार बिजली गायब हुई और वह बिजली बिजलीघर से गायब रही अथवा अस्पताल के कनेक्शन में गड़बड़ रही और अगर है गड़बड़ तो किस जगह पर है ? दूसरा आदेश यह दिया गया है कि वह कमेटी यह भी पता लगा कर लाये कि अस्पताल में इस वजह

से मरे तो कितने लोग उनमें ऐसे थे जिनका आपरेशन होना था और कितने लोग बिजली के बिना मरे। उस खबर को पढ़कर मैंने तुरन्त आवश्यक कार्यवाही कर ली है और वह टीम इलाहाबाद चली जायगी।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री ने जो निर्णय लिया वह बहुत ठीक है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन यह सही है कि बिजली का फेल्योर होता रहता है और आपरेशन करते वक्त फेल्योर हो जाय तो डाक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। इसकी रिपोर्ट जब भी आये लेकिन हर अस्पताल में इस तरह का इन्तजाम गवर्नमेंट को करना जरूरी है अगर बिजली किसी वजह से फेल हो जाय तो अस्पताल में अपना इन्तजाम होना चाहिये, जनरेटर लगाया जाय। यह रिपोर्ट आ जाय कि यह न्यूज आइटम गलत है प्रेस रिपोर्ट गलत है। ऐसे वाकयात होते हैं। तो क्यों न अभी से सोचें कि अस्पतालों में अलग से अपने जेनरेटर्स हों।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जो सुझाव चौधरी साहब ने दिया है वह इतना ही है कि अस्पतालों में अलग से जेनरेटर्स होने चाहिए। अब हमें उसके वित्तीय पहलू पर भी देखना है क्योंकि अस्पताल तो सभी नगरों—आगरा, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर इलाहाबाद, कानपुर आदि में हैं। लेकिन जो सलाह चौधरी साहब ने दी है वह ठीक है। हम पहले मेडिकल कालेजों से यह व्यवस्था शुरू करेंगे और धीरे-धीरे उसको पूरा करेंगे।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, इस पर आपका क्या निर्णय है। यह तो कार्य-स्थगन का प्रश्न था। वहां पर बिजली के फेल्योर होने से बालक की मृत्यु हुई है।....

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि जांच हो रही है और आप उससे सन्तुष्ट....

श्री रामसेवक यादव—

जांच होने का क्या मतलब है? विशेष घटना की जानकारी मन्त्री जी दें। तभी तो आप उस पर निर्णय दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—

56 के अन्तर्गत तो यह अस्वीकृत है। वक्तव्य के लिए स्वीकार हो सकता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं पूरा वक्तव्य दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना माननीय हिम्मत सिंह, श्री मोहन लाल कपूर, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी तथा श्री ओम प्रकाश सिंह ने 40 विधान सभा मार्ग लखनऊ स्थित माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यालय पर अवैधानिक रूप से अधिक्रमण के बारे में दी है। यह नियम 56 का विषय नहीं है। प्रश्न आप कर सकते हैं। तीसरी सूचना श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा ने बांदा जिले के जंगलों से तेंदू की पत्तियों की चोरबाजारी के सम्बन्ध में दी है। इस बारे में भी आप अल्प सूचित प्रश्न कर सकते हैं। नियम 56 का यह विषय नहीं है।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)--

मान्यवर, कई बार इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी हो चुकी है। वहां के ठेकेदार और डी0 एफ0 ओ0 ने मिलकर 16 लाख रुपये गड़बड़ किया है।.....

श्री अध्यक्ष--

इसे हम अविलम्ब कार्यवाही के लिये भेज रहे हैं।

एक सूचना श्री सत्य प्रकाश जी ने बाजार में जाली नोटों के तथाकथित प्रचलन के बारे में दी है। इसे भी अस्वीकार किया है.....

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

मान्यवर, यह भी इलाहाबाद की ही घटना है। सौ-सौ रुपये के नोटों की चार-चार गड्डियां पकड़ी गई हैं और इसके तहत एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। यदि ऐसा होता रहा तो सारी अर्थ-व्यवस्था चौपट हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

यह केन्द्र का है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, त्रिवेणी में सभी को संरक्षण प्राप्त है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यहां तक कि जनसंघ को भी प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष--

एक श्री रामरति बिन्दु, श्री गिरिजा शंकर पाठक तथा श्री राम निहोर ने तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी की चकबन्दी योजना के बारे में दिया है। इस पर भी आप प्रश्न कर लें। इसका यह विषय नहीं है।

नियम 56 के प्रश्न के सम्बन्ध में हम किताब छाप रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न नियम 56 में आने चाहिये। उससे माननीय सदस्य को सुविधा हो जायेगी।

एक बहुत अच्छा सवाल माननीय सत्यपाल मलिक ने उठाया है कि सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित "उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम की झांकी" नामक पुस्तक में अशुद्धियां हैं यह एक अच्छा विषय है। यह 72 का प्रकाशन है। इसलिये अवलम्बनीय विषय नहीं है।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि जो किताब मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत की है वह इस सरकार की तरफ से ही छपी है। श्रीमन्, इतिहास किसी कौम की जिन्दगी के लिये जरूरी होता है। मान्यवर, मैं इस सवाल को इसलिये भी जरूरी समझता हूं कि यदि उस किताब को सरकार के लोग भी पढ़ेंगे और अगर अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो वे भी इस राय पर पहुंचेंगे कि स्वाधीनता संग्राम की पवित्र लड़ाई के नम्बर एक के लोगों को हटाकर, नम्बर दो और तीन के लोगों को रोक दिया गया है। यह बड़े शर्म की बात है कि अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद का पुण्य नाम उसमें दर्ज नहीं है, समाजवाद के अनन्य नेता आचार्य नरेन्द्रदेव जी को उसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है, प्रसिद्ध विचारक और समाजवादी नेता डाक्टर राममनोहर लोहिया का नाम उस किताब में नहीं है। उस किताब में सिर्फ तीन

तस्वीरे हैं । उसमें एक तस्वीर तत्कालीन मख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी की है और दूसरी आदरणीय इन्दिरा जी की है और एक तीसरी तस्वीर 'आनन्द भवन' के छत की है । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि इन लोगों का नाम क्यों है, बल्कि मेरा कहना यह है कि अन्य महत्वपूर्ण लोगों का नाम उसमें से छोड़ दिया गया है । उस किताब में रायबरेली का जहां-जहां जिक्र आया है, वह मोटे अक्षरों में लिखा गया है, इस किताब में प्रधान मंत्री का या उनके परिवार का जहां-जहां जिक्र आया है, उसको मोटे अक्षरों में लिखा गया है ।

माननीय लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सिर्फ एक पैरा भी उसमें दिया गया है । ऐसे ऐसे आजादी के शहीदों, देशभक्तों का नाम आजादी की लड़ाई के लोगों की सूची से काट दिया गया है, लेकिन मुख्य मंत्री जी के जिक्र में एक पूरा पेज है । श्री राम प्रसाद बिस्मिल, जिन की एक प्रसिद्ध नज्म थी, जिसको सुनते-सुनते सैकड़ों आजादी के दीवाने फांसी के तख्तों पर झूल जाते थे और उससे प्रेरणा लेते थे, उस नज्म के बारे में ही उसमें आपत्ति की गई है । उसे विवाद का विषय बना कर यह कहा गया है कि यह नज्म उनकी लिखी हुई नहीं है । इसलिये इतिहास को झुठला कर, इतिहास को गलत तरीके से पेश करके न केवल उनके साथ अन्याय किया गया है, बल्कि आने वाली नई पीढ़ी के लोगों को, जिनके सामने ये इतिहास घटित नहीं हुआ है, गुमराह किया गया है । इससे बहुत लोगों में चिन्ता है·····

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह किताब कब छपी है ?

श्री सत्यपाल मलिक—

यह किताब कब छपी है, प्रश्न यह नहीं है । यों सन् 72 में छपी है, लेकिन नोटिस में अब आया है । यह किताब इन्दिरा गांधी के जन्मदिन पर छापी गई है, किताब पर इसका उल्लेख किया गया है । मैंने इस पर कामरोको प्रस्ताव दिया है आप उसे स्वीकार करें। यदि यह सम्भव न हो तो अन्य तरीके से इस पर चर्चा करने का हमें अवसर प्रदान करें। मैं नया सदस्य हूं, मैं ज्यादा कायदे-कानून नहीं जानता हूं । मैं केवल यह चाहता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पर किसी न किसी रूप में चर्चा का इस सदन में हम लोगों को अवसर आप अवश्य प्रदान करें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है । मैं चाहता हूं, इस पर इस सदन में अवश्य चर्चा होनी चाहिये । मेरा निवेदन है आप नियम 52 में इसे स्वीकार कर लें और दो घंटे की चर्चा हो जाये और इस विषय पर तमाम लोगों के विचार आ जायें ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें दो बातें हो सकती हैं । जो श्री मलिक ने प्रश्न उठाया है, उससे लोगों की असहमति नहीं होनी चाहिये । यह भूल अवश्य हो गई है, महत्वपर्ण लोग इसमें छूट गये हैं····

श्री राम सेवक यादव—

इसे छूट कतई नहीं कहा जा सकता है । यह तो समझ-बूझकर किया मालूम होता है । यह तो इतिहास को झुठलाने का प्रयास है ।

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है । राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध आदि अनेक महापुरुष यहां सभी हुए । वे आये और गये, उनका असर रहा । लेकिन कभी-कभी मलिक जैसे लोग और रामसेवक जैसे लोगों के लिये भी यह आवश्यक हो जाता है उनके बारे में बतायें । ये लोग आते रहेंगे, उनकी

[श्री अध्यक्ष]

जो फिलासफी और दर्शन है, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिये हैं, यद्यपि महापुरुष थे, तब भी आवश्यकता पड़ती है कि समय-समय पर इधर लोगों का ध्यान दिलाया जाये।

अब सवाल यह है कि ऐसे प्रश्नों का बौद्धिक स्तर पर, बौद्धिक धरातल पर अधिक सफलता-पूर्वक निराकरण किया जा रहा है। मेरा ऐसा ख्याल है कि 3 जुलाई को सूचना विभाग की मांग पर बहस है, उस दिन भी माननीय सदस्य इस सवाल को अच्छी तरह उठा सकते हैं। और दूसरा यह हो सकता है कि सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता दोनों यहां विद्यमान हैं।

*चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि जिस स्प्रिट में माननीय मलिक ने यह बात आपके सामने पेश की और जिस भावना से सारा सदन इस प्रश्न को देख रहा है, कम से कम यह अपोजीशन, वह हम लोग आप पर जाहिर नहीं कर सके और मैं क्या कहूं। सवाल यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से वह पुस्तक निकली है। एक आध आदमी का नाम रह जाय, भूल हो जाय, चूक हो जाय, लेकिन आचार्य नरेन्द्र देव, डाक्टर राममनोहर लोहिया, चन्द्रशेखर आजाद जैसे लोगों का नाम उसमें न आये और उनसे निस्बतन छोटी पीढ़ी के लोग, जिन का काम उनके मुकाबले में उतना नहीं था, कुछ भी नहीं था उनका नाम आये, क्योंकि प्रवेश के अन्दर उनकी राजसत्ता है, खैर उनके जरिये देश की सेवा हुई है, और मुमकिन है कि आगे और ज्यादा सेवा हो लेकिन जो देश की आजादी के चित्रपट पर इतना बड़ा पार्ट अदा कर चुके, उनका जिक्र न हो तो, यह ऐसी बात नहीं है कि गलती हो गयी। मुझे बहुत अफसोस होगा। इसको ज्यादा सीरियसली लीजिये, आपने कहा कि गलती हो गयी। रामकृष्ण बीत चुके हैं और हम लोग गुजर रहे हैं। मुमकिन है कि आगे हमसे भी ज्यादा सेवा हो। उनकी स्मृति में कोई अन्तर नहीं पड़ता। इतिहास की दृष्टि से ऐसा नहीं है। आप संजीदगी से देखिये। यह गलती नहीं हो गयी है। यह डेलीबरेट है। पालिसी है। कुछ लोगों को आयडियलाइज करना, यह परसोनालिटी कल्ट है, कुछ लोगों को भुला कर, इतिहास के पृष्ठ मिटा कर, कुछ लोगों को बिल्ड करने की एक नीति है जो बहुत दिन से चल रही है। मैं विपक्ष की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं जब मैं आप से दरख्वास्त करूं कि आप गवर्नमेंट से समय लीजिये ताकि गवर्नमेंट अपना केस रखे और हम अपनी पूरी बात कह सकें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, सन 1972 में यह किताब छपी। मेरी नोटिस में आज तक नहीं आयी, न आज तक उसको देखने का सौभाग्य हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि सदन में सतर्कता के साथ और अलटनेस के साथ हमारे कुछ नौजवान सरकार की भूलों को निकालते रहते हैं। यह बड़ा काम है खुद में। मुझे बधाई देनी है उन विरोधी दल के भाइयों को खास कर नौजवान दोस्तों को जो इस काम में बराबर हमारा ध्यान आकृष्ट करते रहते है। मैं स्वीकार करता हूं। मैं तो स्वतन्त्रता का लड़ाई की पीढ़ी में सबसे आखिरी श्रेणी का सिपाही हूं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरे सिलसिले में इस किताब में लिखा गया है। यह बात सच है कि आचार्य नरेन्द्र देव जी या अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद के बराबर मरे होने का प्रश्न क्या, उनके घुटनों तक भी हमारी लम्बाई नहीं है। इसलिये उनका नाम छूटना भारी भूल है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें जसा चौधरी साहब ने कहा पोलिटिकल लेविल का डिसिजन हुआ या एडमिनिस्ट्रेटिव लप्स हुआ। मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन सूचना मंत्रालय की जिस दिन बहस होगी, आपने एक दिन सूचना विभाग का रखा है, उस दिन इस तरह की किताबों के सिलसिले में अपनी बात आपके सामने पेश करूंगा। अलग से बहस उस प्रश्न पर होती है जिसमें दो मत हों। बुनियादी इसमें कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

फर्क नहीं है। जो नाम छट गये हैं वह छूटने लायक नहीं थे बल्कि सच पछें तो उस किताब में रहने लायक थे। आनन्द भवन की छत भी उसमें रहने लायक है, रहेगी। क्योंकि उस छत के नीचे फैसले हुये हैं, सन् 42 क़े आन्दोलन का फैसला उस छत के नीचे हुआ। उस छत को लें लेकिन नरेन्द्रदेव जी, डाक्टर लोहिया, अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल का नाम न हो, और बहुत सारे लोगे थे उनका नाम न रहे, तो मैं कहूंगा कि यह बहुत अच्छा नहीं हुआ। इसलिये इस पर दो राय का सवाल नहीं है।

अब रह गया, कैलकुलेटेड परसोनेलिटी कल्ट का, यह फैक्ट है। मैं बड़ी नम्रता से असहमति प्रगट करता हूं क्योंकि इसमें धारणा का प्रश्न है। जो सदन की धारणा है, इसको मैं दलगत नीति के प्रश्न में नहीं डालना चाहता हूं। माननीय मलिक ने जो प्रश्न उठाया है उसके साथ सारे सदन का मत मिलता है कि जो भी लिखा जाय उसमें ऐसे महापुरुषों के नाम छूटना खेद की बात है। यद्यपि मेरा सीधा संबंध नहीं है लेकिन सरकार के नाते मैं महसूस करता हूं कि इस पुस्तिका में यह भूल हुई है और जिन लोगों ने यह किया है उन्होंने जबर्दस्त भूल की है।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो यह पुस्तक 1972 में छपी है उसको वह भी त्रुटि पूर्ण मानते हैं तो क्या वे इसको हटा कर दूसरी पुस्तक तैयार करायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, जब्त वह बात की जा ी है जो झूठी हो। अगर कोई झूठा नाम चढ़ा है तो जरूर कर दूंगा। यह मैं मानता हूं कि इस पुस्तक में श्रेणी "ए" टाप क्लास जनरल्स हमारे स्वतंत्रता संग्राम के छूट गये हैं। इस कारण इसको समाप्त कर दिया जाय उचित प्रतीत नहीं होता है। इस सदन में जो कहा जाता है उसको प्रदेश की 9 करोड़ जनता सुनती है। स्वराज्य के महान् सेनानियों के नाम छूटना बड़े शर्म की बात है। मलिक जैसे खोजी लड़के हैं उन्होंने इसको खोज निकाला है।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, मेरा इतना ही निवेदन है कि दूसरी पुस्तक छपवाई जाये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

कभी भी कोई किताब छपेगी और यह भूल होगी (व्यवधान)। (माननीय बांकेलाल जी के कुछ कहने पर।) मान्यवर, माननीय बांके लाल जी को समझा दें कि वह बाहर तो ठीक रहते हैं लेकिन सदन में तेज हो जाते हैं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

जब आप सत्य पर परदा डालने लगते हैं तो मैं झुंझला जाता हूं। यह जनता को भ्रम में डाला जा रहा है। यह सरकार की पालिसी है। यह सत्य पर परदा डाल रहे हैं। इस लिये मैं कह रहा हूं। सत्य पर परदा मत डालिये। सही तथ्य रखिये। आप सदन के नेता हैं और मुख्य मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आप सदन के जो प्रति पक्ष के नेता हैं उनका सम्मान करना सीखिये। जब उन्होंने एक बात कह दी तो आपको कुछ नहीं कहना चाहिये और माननीय रामसेवक जी को नहीं कहना चाहिये था। यह पुस्तक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित है और सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित है।

श्री रामसेवक यादव—

माननीय, नेता विरोधी दल से हमारा कोई मतभेद नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

यदि मतभेद नहीं है तो आपको नहीं बोलना चाहिये था ।

श्री बांकेलाल—

हम अपने विचार व्यक्त करने के लिये ही यहां आये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

बिना अनुमति के नहीं । प्रश्न यह है कि पुस्तक 1972 में छपी है । माननीय मलिक जी ने सदन की बहुत अच्छी सेवा की जो इस पर ध्यान दिलाया । लेकिन 1972 में बहुत से माननीय सदस्य थ उनका किसी का इसकी ओर ध्यान नहीं गया । बांकेलाल जी का भी ध्यान नहीं गया । वर्तमान मुख्य मंत्री भी तब नहीं थे । बहुत विलम्ब से यह सवाल उठाया गया है और नियम 56 के अन्तर्गत उठाया गया है । मेरी भी कुछ सीमा होती है । विरोधी दल के नेता जानते है इसलिये उन्होंने कहा कि इस पर बहस हो जाये । इसलिये मैंने निवेदन किया कि ऐसे जो लेखक की पुस्तक हैं उससे आप सहमत हों या असहमत हों, पूर्णतया हो, या अपूर्णतया हो छप जाती है । इन बातों पर श्री मलिक का पैना दिमाग गया, वह ठीक है । किसी पुस्तक का कोई अंश हटाया जायेया न हटाया जाये यह उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है । हो सकता है कि समय के चक्कर में बहुत से लोग बड़े-बड़े दार्शनिक हो जायें । तो समय एक चीज है । स्वाधीनता के बारे में न केवल सरकारी संरक्षण बल्कि असरकारीपन अधिक योगदान कर सकता है । उनके विचारों का प्रसार आदान-प्रदान हो सकता है । गांधी जी की पीढ़ी के लोग हैं वह उनको भूल गये । स्मृति का यह सिलसिला अच्छा है लेकिन अब नियम के अन्तर्गत इसे हम कैसे 56 में स्वीकार करें ? अगर 74 का मामला होता तो निश्चय ही कुछ कोई निर्णय करता । मुझे यह पुस्तक 3 मर्तबा मिली होगी । पुराने सदस्यों को भी मिली होगी । माननीय बांके लाल जी को भी एक दो बार मिली जरूर होगी ।

श्री बांके लाल—

इसीलिये इसको मैंने थोड़ा पढ़ कर छोड़ दिया ।

श्री सत्यपाल मलिक—

माननीय विरोधी दल के नेता ने इस पर अपने विचार प्रकट किये, लेकिन भाग्यवर, मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूचना विभाग की तरफ से जो किताबें या संस्करण छापे जाते हैं उनकी कोई व्यवस्था होनी चाहिये । कम से कम इतना तो होना ही चाहिये कि आगे यह न छपे या इसके बाद जब यह छपे तो इसमें सुधार कर दिया जाये । जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उनको 3 मर्तबा मिल चुकी है । तो यह संभावना है कि यह आगे भी छपे । तो इसमे सुधार हो जाना चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना है कि यह जान-बूझ कर नहीं किया गया है, गलती से हुआ है । मैं कहना चाहता हूं और अपनी थोड़ी भूल सुधारना चाहता हूं कि श्री चन्द्र शेखर का नाम एक 'सेन्टेन्स में है, श्री आचार्य नरेन्द्र देव का नाम एक सेन्टेन्स में है । उसमें लिखा है कि फलां तारीख को कांग्रेस में शामिल हो गये । जहां तक मेरी जानकारी है तमाम देशों में उन किताबों को जब्त कर लिया जाता है जो समाज बिरोधी होती हैं या समाज में द्वेष फलाती हैं, जो इतिहास को तोड़ती मरोड़ती हैं तो यह किताब पूरी तरह से इतिहास को झूठा बनाती है । हमारे देश के इतिहास को जिन लोगों ने बनाया है उनको अगर अलग कर दिया जाता है तो इतिहास बचता नहीं है लेकिन अगर किसी वजह से माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को नहीं मानते हैं तो मेरा यह

निवेदन है कि सरकार कैटेगोरिकली यह कहे कि इस वक्त किताब को आगे से नहीं छापा जायगा। इसकी कोई प्रति नही छापी जायगी । दूसरा जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि अगर संभव हो आप मेरी मदद करें कि किस नियम के तहत इस पर बहस हो सकती है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, माननीय मलिक ने जो आश्वासन मांगा है उस पर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसकी अगर कोई भी प्रति छपेगी तो इस तरह से अपूर्ण नही छपेगी और जो उन्होंने कहा है उस बात को ध्यान में रखकर छपेगी, वरना छपेगी ही नही । जो किताब छप गई है उसको वापस लेने का कोई प्रश्न नही उठता ।

1974–75 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन, अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें, अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें, अनुदान संख्या 21—पुलिस तथा अनुदान संख्या 22—कारागार

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,74,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19–जिला प्रसाशन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,44,84,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25–अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,23,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27–प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 88,95,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21–पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,85,02,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22–कारागार के अन्तर्गत होने वाले

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,49,24,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मैं इन अनुदानों को पेश करते हुये सिर्फ तीन बाते मान्यवर कहना चाहता हूं । एक तो यह कि सरकार मानती है कि सरकारी संयंत्रण, गवर्नमेन्ट मशीनरी को संविधान के डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स आफ स्टेट पालिसी के निर्देशक तत्वों के अनुरूप कार्य करने की क्षमता अपने में पैदा करनी होगी । मैं यह मानता हूं और यह हमारी बुनियादी मांग है सरकारी कर्मचारियों से कि वह जाति–पांति, धर्म के भेद-भाव से ऊपर उठ कर काम करें । हमारी उनसे मांग है कि जब शोषित और शोषक में झगड़ा हो तो शोषित की तरफ उनका सहयोग और सहायता हो, शोषक के साथ नहीं ।

हमारी यह मांग है कि हमारे कर्मचारी प्रशासन की नीतियों को अविलम्ब कार्यान्वित करने में पूरी दिलचस्पी लें । हमारी यह मांग है कि उत्तर प्रदेश के जन-जीवन में मौलिक परिवर्तन करने, बुनियादी परिवर्तन करने में प्रशासन का हर अंग हमारा सहयोग देगा । इस दृष्टि से मान्यवर, और इस कसौटी पर हमें अपने कर्मचारियों को देखना और उतारना होगा । उसी प्रकार से हमने अपने लिये भी एक कसौटी बनायी है । अगर हम सख्त कानूनों को ब्लेक मार्केट, काला बाजार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रयोग में नही लाते हैं तो हम मानेंगे कि हमने अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाया है । हमारी ये मान्यतायें नहीं कि हम सारे समाज की कमजोरियों को एक साथ दूर करेंगे । हमारी ये भी मान्यतायें नही है कि पूरे प्रदेश और देश के अन्दर सारे कर्मचारियों के हृदय बदल देंगे । उत्तर प्रदेश के इस पुराने ढांचे को नये युग में लाने की चेष्टा करेंगे ।

इतना ही श्रीमन, मैं नम्रता से कह सकता हूं । पिछले आठ महीने की कुछ बातें तथ्यों को सिद्ध करती हैं । ये बातें सिद्ध करती हैं कि जब काले बाजार के मामले थाने में लिखवाये गये और सम्बन्धित थानेदार ने उसकी तफतीश नहीं की तो उसकी नौकरी को उसकी बरखास्तगी में बदला गया । पिछले आठ महीनों में जहां कहीं भी सरकार की भूल हुई हमने सदन से छुपाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया बल्कि सदन के बाहर और अन्दर अपनी भूलों को स्वीकार किया । हम मनुष्य हैं, हमसे भूलें होंगी । प्रति पक्ष का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि वह अंकुश रखे सरकार पर, चेतावनी देता रहे क्योंकि उस अंकुश और चेतावनी से प्रदेश के कार्य करने में हमें सुविधा और सहायता मिलेगी । यह कसौटी है जिसको हम अपने ऊपर कसना चाहते हैं । न्याय के हम पक्षधर हैं, अन्याय के विरोध में समाज का रूप बदलना है । जो प्रदेश में और देश में दक्षिण पंथी शक्तियां हैं, उनके साथ हमारा जीवन रत संघर्ष है, नयी चेतना को देने वाला संघर्ष है । संप्रदायवादी ताकतों के हम विरोधी हैं । हम मन का परिवर्तन चाहते हैं । चेष्टा करते हैं कि आदमियों में परिवर्तन हो । और मुझे खुशी है कि अब तक चाहे किसी भी फ्रंट, किसी भी रूप में उन्होंने धर्म के बीच में दीवार खड़ी करने की चेष्टा की हो, वे किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपना स्थान नहीं बना पाये हैं । इसके लिये मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसानों, मजदूरों, और नौजवानों को हृदय से बधाई देता हूं वरना हमारा काम और भी कठिन हो जाता । अगर शांति और व्यवस्था कायम करने में प्रतिपक्ष हमारा सहयोग करता है और प्रगति के काम में ढिलाई होती है तो निश्चय ही यह सरकार सजा की पात्र होगी । जितना ही इस सरकार का ध्यान न्याय और व्यवस्था की ओर जायगा उतनी ही उलझने उसके रास्ते में पड़ेंगी और प्रगति का मार्ग उतना ही अवरुद्ध होगा । इसलिये जब मैं इन मांगों को पेश कर रहा हूं तो उस सहयोग की इधर और उधर बैठने वाले सभी सदस्यों से कामना करता हूं और उसकी प्राप्ति के लिये सबसे बिनती करता हूं ।

मान्यवर, सरकार बनने के बाद हमने वह पुराने वादे चाहे वह अध्यापक के साथ रहे हों– प्रायमरी स्कूल के या इंटरमीडिएट कालेजों के, बल्कि यूनिवर्सिटी तक के–उन वादों को पूरा करने

की चेष्टा की। हमने यह भी चेष्टा की कि सरकारी कर्मचारियों की न्यायोचित मांगें उन्हें दे दी जायं। लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि संगठन करने की आजादी सब वर्गों को है–श्रमिक हों, सरकारी कर्मचारी हों–पुलिस और फौज को छोड़ कर बाकी जो लोग हैं और तंत्र है उसमें संगठन करना कोई गुनाह की चीज नहीं है, वह उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, पहिचान है कि प्रजातंत्र इस देश में है या नहीं और इस पहिचान को लायें। इतनी बात जरूर है कि जब कभी सरकारी कर्मचारी दलगत राजनीति में पड़ेगा तो हमारा साफ कहना है कि नौकरी छोड़ कर यह बाना जो उधर और इधर वालों ने पहिन रखा है उसमें आकर राजनीति करनी हो तो कर सकता है। जब तक सरकारी कर्मचारी रहता है तबतक राजनीति करने का उसको कोई अधिकार नहीं होगा, उसमें पड़ने का कोई हक नहीं है। हां, विचार उसका अपना हो सकता है। हर एक व्यक्ति का विचार होगा, उसके अनुरूप वह अपना मतदान कर सकता है। लेकिन उस विचार के लिये कार्य करना या दूसरे विचार के लोगों का उनकी जायज मांगों के रास्ते में रुकावट पैदा करना यह गवर्नमेंट बरदाश्त नहीं करेगी।

डी0आई0 आर0 उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार ने हाथ में लिया। पिछले 25–26 सालों में डी0आइ0 आर0 के कई रूप हमारे सामने आये, लेकिन यह पहला मौका था कि जब हमने डी0आई0आर0 का इस्तेमाल किया। हमने निलम्बित कर्मचारियों की वापसी के लिये यद्यपि यूनियन कांग्रेस वालों की नहीं थी और सच पूछिये तो आई0एन0टी0यू0सी0 से भी अफिलिएटेड नहीं थी। न जाने किससे अफिलिएटेड थी। जब सरकार को लगा कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है तो हमने डी0आई0आर0 पहली बार, स्वराज्य के 27 साल के इतिहास में उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया ताकि कर्मचारियों को वापस काम पर भेजा जा सके।

यह पहला मौका था जब हमने चीनी मिल के मालिकों से साफ-साफ कह दिया कि अगर आप काश्तकारों को सही पसा नही दे सकते तो हमको रास्ता दूसरा देखना होगा। यह पहला मौका था जबकि जून के महीनें में, इस महीनें जब हम और आप बात कर रहे हैं, मिल वालों में यह साहस पैदा नहीं हो सका कि हमसे आकर बात करें। हमारी दृष्टि जो उधर है। दोनों की तरफ वह कोई विरोधी दृष्टि नहीं है, लेकिन उसके शोषक रूप के हम विरोधी हैं और इसलिये इस सरकार ने अपनी सारी शक्ति लगायी है उन नियमों को लागू करने के लिये जिससे समाज सुघड़ बनेगा, नयी योजना-मान्यताओं का रूप हमारे सामने आयेगा, शोषण मिटेगा, कुरूपता समाप्त होगी और नयी भावनाओं का जन्म होगा।

जितनी कर्मचारियों और व्यापारियों को इन 8–9 महीनों में सजा मिली है, मेरा अपना निश्चित मत है और दृढ़ मत है कि इतनी इकट्ठी सजा कभी भी व्यापारियों को और सरकारी कर्मचारियों को पहलें 27 सालों में नहीं मिली थी। इसलिये बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमने चेष्टा की है, अपनी समझ के मुताबिक एक कार्यक्रम उठाया है कि ये हमारे स्कूल-कालेज, हमारी फैक्ट्री, कल-कारखाने, हमारे गांव के किसान शान्तिमय वातावरण में नये जीवन का दर्शन कर सकें।

मेरी आशा है कि इन बुनियादी बातों को, माननीय सदस्य जब बहस करेंगे तो अपने सामने रखेंगे। पुलिस विभाग के प्रति कई मानों में सही, कई मानों में कभी-कभी बिल्कुल सच्चा गुस्सा और उदासी आप लोगों के भी दिल में और इस सदन के सदस्यों के दिलों में भी आती है। लेकिन यह भी बात सच है कि पुलिस क एक-एक थाने में सन् 1960 की पुलिस कमीशन की जो रिपोर्ट है श्री अजित प्रसाद जैन की जिसम उन्होंने लिखा था कि थानों में कम से कम कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिये तो उसके मुताबिक साढ़े 10 हजार सिपाही आज हमारे पास कम हैं।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

लेकिन हमारी शक्ति खर्च करने की आप जानते हैं । आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि किस तरह हमारे एक बहादुर पुलिस के कप्तान स्टेन गन की गोली से मारे गये । जुर्म करने वालों के हाथों में इस तरह के हथियार आ रहे हैं और हमारी पुलिस आज भी पुराने हथियारों से बंधी और जकड़ी हुई है । उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है । सब लोग कहते हैं कि इसमें कुछ ज्यादा करना चाहिये ।

वायरलेस आर्गेनाइजेशन का नैट वर्क अगर हमारे पास हो तो हम बहुत कुछ पकड़-धकड़ कर सकते है । हमने कुछ किया भी है । स्टेट के सारे हेडक्वार्टर्स को टेलीप्रिन्टर्स से जोड़ा है । कुछ शहरों को, जिनमें ज्यादा खतरा रहता है उसके थानों को वायरलेस से एक दूसरे से जोड़ा है । हमने चेष्टा की है कि हम इस प्रदेश की पुलिस को चौकन्ना और समझदार बनायें और इसीलिये इतनी बडी तादाद में, अगर मैं संख्या भूलता नही हूं तो चार हजार से ऊपर आठ महीनों में पुलिस के कर्मचारियों को सजा दी गयी है । पुलिस एक डेलीकेट इंस्ट्रूमेंट है । इसलिये उसके मोरल और उसके मन की व्यथा को भी समझने की जरूरत है । इसलिये पुलिस के कर्मचारियों की जो वाजिब बातें थी, चाहे वह पी0ए0सी0 का भत्ता हो, चाहे उनके रहने के लिये मकान की बात हो, उनके अनेक सवालों को इस सरकार ने हल करने की चेष्टा की है । हम चाहते हैं कि वह सन्तुष्ट रहे । और हम यह भी चाहते हैं कि वह ईमानदार रहे और यह भी चाहते हैं कि उनको ईमानदार रखने में सब का सहयोग हमें मिले और हमारे मित्र और हमारे विरोधी—व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक विरोधी और राजनीतिक सहयोगी, दोनों से मैंने प्रार्थना की है कि सरकारी कर्मचारियों के हस्तान्तरण में कोई राजनीतिक दृष्टि से काम नहीं होना चाहिये । और मैंने साफ किया है, एक सर्कुलर भी भिजवाया है कि जिस किसी कर्मचारी की कोई सिफारिश मेरे पास आयेगी, चाहे वह किसी तरफ से आये, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी । खुद मेरे दल में बहुत लोगों का ख्याल है कि यह नीति ठीक नहीं है । मुझे नहीं मालूम कि और दलों के लोग इसे क्या समझेंगे लेकिन मैं मानता हूं कि अधिकारी गड़बड़ करेंगे, बहसें होती हैं कि अधिकारी तो अपने मन के ट्रांस्फर करते है । मैंने कहा कि ट्रांसफर हो जाने के बाद हमारे तक पंहुचें । किसी थानेदार का एक महीने में चार बार ट्रांसफर कर दिया । क्या कारण था, इसका पता लगाना हमारा काम ।

झांसी से सब से अधिक शिकायतें आयीं कि वहां दुकानों में गोलमाल है । माननीय रामसेवक जी ने कहा कि बाराबंकी में गड़बड़ी है । लखनऊ में भी हमारे बैठते ही कहा कि राशन के वफ्तर में गड़बड़ है, इलाहाबाद में भी गड़बड़ है । बांदा में मालूम हुआ, बरेली में मालूम हुआ कि डी0एस0ओ0 ठीक काम नहीं करता है । कितनों को नौकरी से निलम्बित किया गया, कितनों को नौकरी से हटाया गया, कितनों के साथ सख्ती की गयी । और सिर्फ यही नहीं कि उनको नौकरी से हटा दिया । अगर कोई गड़बड़ी की है तो 420 का मुकदमा गवर्नमेंट को डिफ्राड करने का भी चलेगा और एसेन्शल सर्विसेज के मातहत जितनी भी धारायें लग सकती है सब लगेंगी । जहां कहीं उनके चरित्र में ऐसा दोष पाया गया जिसके कारण वह बंदनीय हैं दूसरे अपराधों में तो वह किया गया ।

पहाड़ों के सम्बन्ध में और कुछ जिलों के सम्बन्ध में जो पिछड़े हुये हैं, जैसे बलिया, बदायूं यह माना जाता रहा है कि उसको भेजा जाय जिसको सजा देनी हो । मैंने नौजवानों से, जो हमारी सर्विसेज में हैं, यह कहा है कि निर्माण वहीं कर सकते हैं, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, मेरठ, यह तो पुराने नीम के पेड हैं जो न सीधे होंगे न टेढ़े होंगे । काम बहुत मुश्किल है । लेकिन जो नये नये शहर हैं, छोटे-छोटे शहर है, जो पिछड़े हुये है, उनके जीवन में परिवर्तन की आभा आप दे सकते हैं । इसलिये हमने कोई सजा देकर किसी को बलिया नहीं भेजा, पिछडे हुये जिलों को सजा देने की नीयत से किसी को नहीं भेजते, पहाडों में भी किसी को सजा देने के लिये नहीं भेजते, बल्कि हम उनको इनाम देने के लिये वहां भेजते हैं, योग्य और नौजवान लोगों को

भेजते हैं, ताकि वहां की अच्छी प्रगति हो सके । दो दिन इस पर बहस चलेगी । मैं माननीय सदस्यों के भाषण को सुनूंगा । जो भी उनके सहयोगी और उदारतापूर्ण तथा महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उनको मानूंगा । मुझे आशा है कि यह सदन मेरे इन अनुदानों को, जिन्हें मैंने पेश किया है, अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा ।

*चौधरी चरण सिंह––

आप इजाजत दें तो एक साथ पेश कर दूं इन अनुदानों को ।

श्री अध्यक्ष––

अलग-अलग ही रखना होगा नहीं तो अलग-अलग लिखा कैसे जायेगा, एक ही जगह लिख जायेंगे सब ।

चौधरी चरण सिंह––

सम्पूर्ण अनुदान संख्या 18, 19, 25, 27, 21 व 22 के अधीन मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग की धनराशि घटा कर एक एक रुपया कर दी जाय ।

मैं समझता हूं इससे काम चल जायेगा ।

श्री अध्यक्ष––

काम तो चल जायेगा,

चौधरी चरण सिंह––

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं उनके उस भाषण के लिये जो उन्होंने अभी दिया । उन्होंने 2–3 उद्देश्य अपने बतलाये । शुरू में उन्होंने राज्य कर्मचारियों की तकलीफों को मिटाने के लिये जो कार्य किया उसका जिक्र किया । उसी सिलसिले में अन्य बातों का भी जिक्र किया जिसका जिक्र वे पहले भी यहां कर चुके हैं । मैं समझता था कि वे शायद यह भूल गये कि वे यहां सदन में बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि मानों वे पब्लिक प्लेटफार्म पर कांग्रेस का प्रचार करने के लिये बोल रहे हैं । बाद में उन्होंने जिक्र किया कि हमने इतने लोगों को सजायें दी । यह भी कहा कि छोटे जिलों में या बैकवर्ड जिलों में जूनियर आफिसरों को भेजने के बजाय सीनियर आफिसरों को भेजेंगे । यह भी कहा कि वह सजा नहीं मानी जायेगी, बल्कि वह उनकी सीनियारिटी और एबिलिटी का रिकग्नीशन होगा । इस सम्बन्ध में जो नीति आप रखें वह रखें, मगर इससे उन आफिसरों में असंतोष होगा जो सीनियर मोस्ट होंगे, जिनको आप वहां भेजेंगे .....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा––

मैंने सीनियर्स के लिये नहीं कहा, मैंने नौजवानों के लिये कहा ।

चौधरी चरण सिंह––

तो नौजवानों को उतना तजुर्बा नहीं होगा जो ज्यादा उम्र वालों को होता है . . . (हंसी)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

इसमें मेरी और मलिक जी की राय एक है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौधरी चरण सिंह—

नौजवानों के हाथों में ही तो आज देश की यह हालत हुई है.... (हंसी)

माननीय बहुगुणा जी ने पहले भी यह जिक्र किया था कहा हैकि हमने बहुत ज्यादा सजायें दी हैं। 8 महीने में जितने कर्मचारियों को सजायें दी गयीं उतनी संविद गवर्नमेन्ट ने साढ़े 10 महीने में भी नहीं दी है। मैं इस पर एक बात का जिक्र करूंगा। सजा की तादाद ज्यादा हो जाय इससे गवर्नमेन्ट अच्छी चलेगी यह कोइ पक्का सबूत नहीं है। यहां लोगों को सजा दी जाती है या नहीं दी जाती है, इससे गवर्नमेन्ट की इफीशियेंसी पर मेरे ख्याल से कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे गवर्नमेन्ट की इफीशियेन्सी का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकताहै। कम सजा दीजिये, अच्छी गवर्नमेन्ट चल सकती है। ज्यादा लोगों को सजायें दीजिये तो खराब गवर्नमेन्ट होते हुए भी चल सकती है, इन-इफीशियेन्ट हो सकती है यह मेरा जाती तजुर्बा है।

दूसरी बातों को तो मैं बाद में कहूंगा लेकिन एक बात आज करना चाहता हूं और वह यह है कि मैं राज्य कर्मचारियों का दोष बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं पुलिस का और रेवेन्यू का दोष बिल्कुल नहीं मानता हूं। मुख्य मन्त्री जी ने इशारा किया है कि अफसरान गल्ती करते हैं। गल्ती तो सभी इन्सान करते हैं। लेकिन आज सूबे का और देश का प्रशासन जो चौपट हो गया है उसमें राज्य कर्मचारियों का दोष नहीं है। दोष ऊपर के लोगों का है जिनके हाथों में पोलिटिकल लीडरशिप है। उनको अगर सही लीडरशिप मिल जाय तो उनकी इन-इफीशियेंसी दूर हो सकती है। मैं मानता हूं कि उनकी तनख्वाहें कम हैं, उनकी कठिनाइयां ज्यादा हैं। ट्रांसपोर्ट की कठिनाइयां हैं, उनके पास टेलीफोन की सुविधा नहीं है। उनको कुछ ऐसी ही कठिनाइयां होंगी, असुविधा होगी। लेकिन प्रशासन की इफीशियेंसी में कोई ज्यादा अन्तर इस बात का पड़ने वाला नहीं है। ज्यादा असर इस बात का पड़ता है कि उसके अफसर कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है। राज्य कर्मचारियों का चरित्र देखने से पहले हम सबको अपना चरित्र देखना है। अगर आई0 जी0 का चरित्र ठीक है, तो आप यकीन कीजिये कि एस0 एस0 पी0 का जो स्टैंडर्ड आफ कन्डक्ट है, उनका जो चरित्र है वह अपने आप ऊंचा हो जायगा। और अगर होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का चरित्र और कण्डक्ट अच्छा है, निष्पक्ष है और किसी तरह का पक्षपात वहां नहीं करते हैं, किसी तरह के करप्शन को सहन करने के लिये वह तैयार नहीं हैं तो मेरा यह तजुर्बा है, बहुत से डिपार्टमेन्ट्स में काम करने का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वहां का पटवारी कितनी मेहनत करता है। मैं होम मिनिस्टर भी रह चुका हूं और पुलिस के कामों को भी मैंने समझा है, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर ऊपर से उनको सही गाइडेंस मिले और सही लीडरशिप मिले तो राज्य कर्मचारी हरगिज नहीं चूकेगा, दे विल डू देयर बेस्ट। यह जो फैल्यूर है यह ऊपर वालों का ही है।

मैं अपनी बात जो कहना चाहता हूं उसको 2–3 हिस्सों में तकसीम करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो यह हमारी रूलिंग पार्टी है, उसकी टोटलीटेरियन टेंडेंसी कुछ ऐसी होती जा रही है कि मानों वह मुल्क हो, दे आर द स्टेट। राज्य के हित में जो है वही वह अपने हित में लें। और जो राज्य का अहित है वही रूलिंग पार्टी का अहित है, ऐसा समझें।

दूसरा यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं चल रहा है, उसमें गल्तियां हैं। दूसरा यह है कि करप्शन है। बस तीन ही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह मजमून ऐसा है—कम से कम विपक्ष की तरफ से बोलने वालों के लिये एक ऐसी कठिनाई पैदा करता है जिसका इलाज मेरी समझ में नहीं आया। अब अगर मुझे शासन की खराबियां बतलानी हैं तो मिनिस्टर का मुझे जिक्र करना चाहिये, लेकिन मेरे सामने यह इम्बेसमेंट, यह परेशानी है कि जितने आज कैबेनेट के मेम्बर्स हैं उनमें बहुतों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया लेकिन और गवर्नमेन्ट में रहे हैं मेरे ही सामने, लेकिन उम्र में मुझसे छोटे हैं और मेरा ताल्लुक रहा है पुराना। अब मैं किस प्रकार से क्रिटीसाइज करूं। यह मामूली बात नहीं है। इससे भी ज्यादा परेशानी यह है कि

जो आफिसर्स की गलती है और अगर उनका नाम लेकर कहता हूं तो मेरा तजुर्बा यह बतला रहा है कि आफीसर दुश्मन हो जाता है और अगर जिक्र नहीं करना चाहता हूं तो मैं अपने कर्तव्य के पालन करने से चूकता हूं । तो मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं मजबूर होकर कहने जा रहा हूं । बहुत से नाम नहीं लूंगा, जिनको अवाइड कर सकता हूं उनको करूंगा लेकिन जिन नामों को अवाइड नहीं कर सकता हूं वह नाम मुझे लेने पड़ेंगे । हमारे मुल्क में जिस प्रकार से गवर्नमेन्ट चलती है लोग यह समझते हैं कि कुछ भी करो सजा मिलती नहीं है । जिनको मैं सन् 67–68 में सजा दे गया था, मैंने ज्यादातर सस्पेन्ड ही किये थे, फाइनल रिपोर्ट्स मेरे सामने नहीं आई थीं, वह सब के सब बहाल हो गये और यह रिपोर्ट आ गई कि इनमें किसी का दोष नहीं है। एक-आध जो बहुत सीरियस केसेज थे जिनमें इन्डिसिप्लिन की कोई सीमा नहीं थी, डिस्मिस हो गये थे––उन्होंने अपील भी की, रिट में भी गये यानी सारे मैथड्स एग्जास्ट हो गये, सारे प्रोसेज एग्जास्ट हो गये, फाइनल डिसमिसल हो गया, उनका रि-एपाइन्टमेंट हो गया । जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ । कहीं मिसाल नहीं मिलेगी कि फाइनल डिसमिसल के बाद एक पब्लिक सर्वेन्ट को बाद में आने वाली गवर्नमेन्ट रख लें ।

एक सदस्य––

किसी जाट को सस्पेन्ड किया था । व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह––

मान्यवर, मैं तो कह रहा था कि जो अपील कर दे, जिनकी अपील खारिज हो गई, तो यह अध्ययन करके चलना पड़ेगा कि जिसको डिस्मिस किया गया है उसके खिलाफ कुछ तो होगा । इसके बाद भी रि-अपाइन्टमेन्ट कर दिया गया । जो साहब उधर से बोलते हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि हिस्ट्री में कोई मिसाल बता दे कि डिसमिसल के बाद, सारी कान्स्टीट्यूशनल रेमेडी एग्जास्ट हो गई, उसके बाद रि-अपाइन्टमेन्ट हो गया हो, किस प्रकार से डिसिप्लिन रहेगा । यह हो रहा है । रहा जो हाई कोर्ट से छूट गये, मैं जज साहब का नाम नहीं लेना चाहता उन्होंने यह किया कि जितने भी मर्डर के केसेज गये, 90 प्रतिशत एक्वीटल और जिन गवर्नमेन्ट आफिसर्स को सजा मिल चुकी थी–कुछ तो मेरे इनीसिएट किये हुए थे और कुछ पहले के भी थे और उनको सजा मिल गई थी––ऐसे जितने भी केसेज हाई कोर्ट में गये उनमें 90 प्रतिशत केसेज में इन्नोसेंट पाया गया । अब हाई कोर्ट का क्या किया जाय । इससे तो यह स्पष्ट नहीं होता कि गवर्नमेन्ट में सारी प्रोसीडिंग्स गलत हुई । इस मजमून पर बोलने में यह परेशानी और हिचकिचाहत है । लेकिन मजबूरन फिर भी मैं अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, डिमोक्रेसी यह प्रजूम करके चलती है कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स यह सर्वेन्टस हैं । ये सेवक है जनता के । जनता ने अपनी सेवा के लिये चुने हैं । इसका मतलब यह है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पर समूची जनता का विश्वास नहीं रहता तो इसका इम्तहान बैलेट पेपर के जरिये होता है । इसलिये यह नहीं कि वे रजामन्द होते हैं बल्कि तैयार रहते हैं अपने पदों को छोड़ने के लिये । इस तरह से डेमोक्रेसी चलती है । हमारे यहां यह होता है कि लोग चुन कर जब तक बैलेट पेपर के जरिये आते हैं तो जनता की राय में कांग्रेस पार्टी अपने पद को छोड़ने वाली नहीं ह । क्योंकि मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि एक हाइ पावर कमीशन बिठा दिया जाय कि किस तरीके से इलेक्शन का रूल हो । परन्तु आप इससे सहमत नहीं होंगे क्योंकि हमारे बी0 के0 डी0 की स्थिति यह ह कि लोग जमीन बेच कर तथा अपनी सम्पत्ति बेच कर इलेक्शन लड़े हैं । तो वह कैसे पिटीशन करेंग ? यदि पिटीशन करते हैं तो उसक फैसले में 4–5 साल लग जायेंगे । इसमें इलेक्शन से भी अधिक खर्चा आयेगा । आप कहते हैं कि इलक्शन पिटीशन हो लेकिन

[चौधरी चरण सिंह]

इलेक्शन पिटीशन तब कायम हो जबकि उसमें इम्पारशियल्टी न बरती जाय। बैलेट पेपर पर पहले राज्य कर्मचारी आते हैं उनको निष्पक्ष तथा ईमानदार होना चाहिये। लेकिन जब रूल्स का पालन न किया जाय और पोलिटिकल लीडरों के इशारे से काम हो तो निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं? यदि कोई गल्त बात नोटिस में आ जाय तो कह दिया जायेगा कि इलेक्शन पिटीशन में जाओ। हमारे पास सबूत मौजूद हैं। इलाहाबाद की कान्स्टीटुएन्शी में 10-10 बैलेट पेपर एक साथ भरे गये हैं। गिनती में गड़बड़ी की गई है और यदि दुबारा गिनने के लिये कहा जाता है तो कहा जाता है कि नहीं गिनेंगे, पुलिस के जरिये पार्टी की तरफ से नियुक्त व्यक्ति को निकलवा दिया जाता है। इतराज करने वालों से कहा जाता है कि पिटीशन में जाओ। 200 जगहों पर ऐसी गड़बड़ी हुई है। यदि मेरी बात गलत है तो क्यों नहीं कमीशन बिठाते हैं। मैं केवल एक चौथाई जिलों की बात देखने के लिये कहता हूं तो आप क्यों तैयार नहीं होते हैं। गवर्नमेंट आपके हाथ में है, आप लार्जेस्ट पार्टी में हैं। तो अगर आपको डिमोक्रेसी में विश्वास है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जजेज का या पब्लिक मेन का एक कमीशन बिठा देना चाहिये ताकि हम लोगों का शक दूर हो सके। जैसा मैंने कहा कि बात को झुठलाने से या उल्टा इल्जाम लगाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि यह ख्याल क्यों पैदा होता है जैसे कि लुई ने कहा था—'आई एम दि स्टेट' हम हैं भारतवर्ष। हम हैं इसके मालिक लिहाजा हमको मैनेज करने का अख्तियार है। अब इसकी कारोली क्या निकली कि इलेक्शन को रिग करो, किसी और को अख्तियार नहीं है देश की सेवा करने का। दूसरी कारोली यह निकलती है कि जो आपके विरोधी हैं उनको एनीमी यानी दुश्मन ट्रीट करते हैं। आपके यहां एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्क्रीमीनेशन रहा है कि किस को वोट दिया। आफिसर्स इस बात को पूछते हैं कि तुमने किसको वोट दिया। कांग्रेस को वोट दिया तो और बर्ताव और अगर बी0 के0 डी0 को दिया तो और बर्ताव। हजारों मिसालें हैं, वे मिसालें किसके सामने दी जायं। आज से नहीं सन् 69 से बराबर इन्हीं बातों को देख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमने 19 मार्च को तय किया कि डिमान्स्ट्रेशन करेंगे। बी0 के0 डी0, एस0एस0पी0 और मुसलिम मजलिस ने तय किया कि डिमान्स्ट्रेशन करेंगे इसके खिलाफ जिस तरह से इलेक्शन हुआ। आपका मतभेद हो सकता है लेकिन हमको यह राइट था। यह भी राइट था कि बसेज में हमारे वर्कर्स मुख्तलिफ जिलों से आयें। लेकिन बसों के लिए परमिट चाहिए। कहीं परमिट दे दिये गये, कहीं नहीं दिये गये और कहीं पर देने के बाद कैंसिल कर दिये गये। मैंने राज मंगल पांडेय से दो तीन बार फोन से कहा कि मेरे पास ऐसी खबर आयी हैं। कह दिया गया कि ऐसा नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि आप इसकी इंक्वायरी करा लीजिये कि ऐसा हुआ या नहीं? 11 अप्रैल को गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, शायद बहुगुणा जी ने कहा कि बन्द कराया और फेल हो गया। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारी 'बंद' की काल नहीं थी। केवल स्ट्राइक की हमने काल दी और वह कामयाब हुई। उस स्ट्राइक के लिए भी जो लोग देहातों से आने वाले थे उनकी बसों को रोका गया, ट्रैक्टर्स को रोका गया। बसों और ट्रैक्टरों को तेल देने से इन्कार कर दिया और जितने भी दूसरे तरीके हो सकते थे वह सब इस्तेमाल किये गये। मैं जानना चाहता हूं क्यों? जब मैं कहता हूं कि आप डेमोक्रेसी नहीं चाहते तो आपको बुरा लगता है। एक मोटी सी बात है कि मुखालिफ को अपनी पूरी बात कहने का पूरा हक हासिल होता है लेकिन आप उसको सप्रेस करना चाहते हैं। आपकी गवर्नमेंट से पहले बल्कि जब से इन्दिरा जी दिल्ली में बैठी हैं तब से यह टेन्डेन्सी बढ़ती जा रही है कि मुखालिफ को इतना मौका न दो कहने का। उसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट रही लेकिन कभी मुखालिफ पार्टी को ऐसे प्रदर्शन करने से रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाये गये और न ही किसी पोलिटिकल पार्टी ने शिकायत की।

मैं अब ऐसी बात पेश करना चाहता हूं कि जिसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। जो हंस रहे हैं उनसे मैं जवाब जानना चाहूंगा। इंफारमेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक पैम्फलेट छपा है जिसमें इलेक्शन जीतने के बाद बधाई दी गयी है गवर्नमेंट की तरफ से। मुमकिन है बहुगुणा जी के दस्तखत भी उस पर हों। हां, वह गहुगुणा जी का सन्देश है। वह सन्देश यह है कि:—"उत्तर प्रदेश के भाई-बहनों को, जिन्होंने कांग्रेस को शासन की बागडोर सौंपी है, एक बार फिर धन्यवाद देते हुये अपनी बात कहना चाहता हूं।" यह सन्देश सूचना विभाग से छपा है। जो सज्जन मुस्करा रहे थे, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सूचना विभाग क जरिये लोगों को, कांग्रेस शासन को फिर से कामयाब करने के लिए, धन्यवाद देने का क्या मतलब है? इसका क्या जवाब है, उन माननीय सदस्य के पास?

एक सदस्य––

(ट्रेजरी बेंचेज से)––मान्यवर, मैं चौधरी साहब से जानना चाहता था.....। मैं नया आदमी हूं...। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

अध्यक्ष जी, मैं जब बोल रहा था, तो जब कोई माननीय सदस्य खड़े होते थे, तो मैं बैठ जाता था। लेकिन मैंने अपने दल के लोगों से कह रखा है कि जब चौधरी साहब बोल रहे हों तो चूंकि ही इज दि ओल्डेस्ट मेम्बर आफ दि हाउस, उस नाते कोई हमारे दल का एक बात भी न उठाये।

चौधरी चरण सिंह––

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी को इस उदारता के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)––

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष जी, यह इस सदन में कोई नयी बहस नहीं हो रही है। मुझ को इस माननीय सदन में पिछले 25/30 सालों से बैठने का मौका मिला ह। अगर कोई माननीय सदस्य स्पीच दे रहा है, तो उसको शान्तिपूर्वक सुना जाय। लेकिन अगर कोई मेम्बर कोई जरूरी बात जानना चाहता है तो वह जान सकता है। इस तरह की चीज यही नहीं, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और सेंट्रल पार्लियामेंट, सब जगह होती ह। हम लोग यहां इसलिये बैठे हैं कि हम अपनी बात कह और सुनें। जवाब भी दिया जाना चाहये। हर आदमी सवाल पूंछ सकता है। अगर पूंछता है, तो जवाब दिया जाना चाहिये, नहीं पूछा है, तो कोई बात नहीं। हां, खांमखां इन्टरफियर नहीं करना चाहिये।

चौधरी चरण सिंह––

मान्यवर, मैं माननीय राममूर्ति जी से सहमत हूं और इसलिये बैठ गया था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––

आप तो सहमत हैं जरूर, लेकिन आपके फालोवर्स सहमत नहीं प्रतीत होते।

चौधरी चरण सिंह––

दरअसल, उधर से गलत चीज पेश की गयी है, इसलिये बावजूद मेरे रोकने के–वह तो दोनों तरफ से होता है। खैर, अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ म नहीं आ रहा था कि वह माननीय सदस्य क्या कहना चाहते थे.....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वह कुछ नहीं कहना चाहते थे।

चौधरी चरण सिंह—

सूचना विभाग की तरफ से सरकार के खर्चे से यह संदेश छपा है जो बहुत लम्बा संदेश है। इसमें बहुगणा जी की तरफ से इतने इल्जाम और एलीगेशन्स लिखे गये हैं प्रतिपक्ष पर पर कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। केवल 3/4 पैराग्राफ पढ़ूंगा, इसके। केवल यह बतलाने के लिये पढ़ूंगा कि सूचना विभाग की तरफ से किस तरह सरकारी खर्च पर, पब्लिक एक्सपेंडीचर पर, चीफ मिनिस्टर ने बधाई दी है। कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस तरह का कोई संदेश जाता, तो समझ में आता। क्या माननीय सदस्य के पास कोई जवाब है, इसका ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अगर चौधरी साहब जवाब देने देंगे तो जवाब दे दूंगा।

चौधरी चरण सिंह—

जनाब, क्या जवाब दे सकते हैं, इसका।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब अभी चाहें, तो अभी जवाब दे दूंगा ताकि उन पर बोझ न रहे।

चौधरी चरण सिंह—

फाइनेंस पर जब जनरल डिबेट हो रही थी, उसमें एक का जवाब नहीं दिया। केवल इंडस्ट्रियल पालिसी के रिजूल्यशन पढ़ते रहे। 1931 और 1941 के पालिसी रिजूल्यूशन और फाइनेंशियल एलोकेशन्स क्या हैं, तीन बार पूछा, लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया।

जब फूड पर डिबेट होगी, उससे संबंधित आपके सामने बात रखूंगा तो आप जवाब नहीं दे सकते। हां एक बात इधर की की और एक उधर की की। कुछ हाथ उठ गये। तालियां बज गयीं। राज्य कर्मचारियों की बात कह दी, हरिजनों की बात कह दी, साम्प्रदायिकता में विश्वास नहीं करते यह कह दिया, बस आपका प्रोपोगेंडा हो गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

तो क्या इसके खिलाफ कहें ?

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, अशांति कौन चाहता है ? लोकतंत्र को नष्ट कर देंगे, आजादी को खोखला कर देने की साजिश के पीछे कौन लोग हैं ? क्या मतलब है ? हम विपक्षी यहां बैठे हैं। हम आजादी को खोखला करने वाले हैं ? यह भाषा क्या है ? क्या मतलब हुआ ? इसी सिलसिले में मुझे याद आता है जब 11 अप्रैल को डिमांस्ट्रेशन हुआ, सारे शहरों में पोस्टर लगे ये आजादी के दुश्मन। ठीक है माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से गलत बात को सही साबित करने में आपको बहुत दक्षता हासिल है, महारत है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मुखालिफ पार्टीज को देशद्रोही कहेंगे तो यह डेमोक्रेसी की भाषा नहीं है। अगर आप यह क्लेम करते हैं कि यह है तो फिर यह डिक्टेटरशिप हो गयी। आप हमको आजादी के दुश्मन कहेंगे हम आपको उससे बढ़ कर गाली देंगे। लिहाजा डिबेट नहीं हो सकती। पार्लियामेंट के मानी है डिबेटिंग प्लेस। अगर आपने एक बार हमारी नीयत पर हमला किया तो

यह फाइटिंग प्लेस होगी, डेमोक्रेटिक डिसकशन की प्लेस नहीं होगी। कैसे आपने ठेका ले लिया है देश की सेवा करने का और किस तरह से हम देश के दुश्मन हैं ? आगे चल कर आप क्या फरमाते हैं ? विशेषकर 1969 से 71 के लोकसभा के चुनाव तक और उसके बाद सन् 72 में विधान सभा के चुनाव में जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में खास तौर से अपना बेमिसाल विश्वास प्रकट किया है। इससे सूचना विभाग को क्या मतलब है? आप ए0आई0सी0 सी0 से पैम्फलेट निकलवाते सूचना विभाग की तरफ से आप अपनी पार्टी, अपने लीडर और अपने लोगों की तारीफ निकालें और जनता से कहें कि वह आपको बधाई दे कि आपने यह सब किया, इस सब का क्या मतलब है।

मैं अर्ज करूंगा कि बड़ी हल्की रेखा है डिक्टेटरशिप तथा डेमोक्रेसी के बीच। डेमोक्रेसी में चुन कर एक आदमी आता है। मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर को आज इतनी पावर्स हो गई हैं पार्लियामेंट तक में कि वर्चुअली वह डिक्टेटर हो गया है। कैबिनेट के मेम्बर को निकाल सकता है पार्टी से निकाल सकता है। बड़ी-बड़ी कांस्टीट्युएंसीज हैं, रुपये की मदद चाहिये इलेक्शंस में, लिहाजा पार्टी के ह्विप के खिलाफ बात करना, लीडर की मरजी के खिलाफ बात करना ब्रिटिश पार्लियामेंट में नामुमकिन हो गया है और इस तरह से वह बाकायदा डिक्टेटरशिप है। पार्लियामेंटरी, डेमोक्रेसी तथा डिक्टेटरशिप में केवल यही फर्क है कि पार्लियामेंट का डिक्टेटर चुन कर निहायत फेयर चुनाव के जरिये आता है और खुशी से इस्तीफा भी दे देता है जैसे विलियम ब्रांट ने जर्मनी में दे दिया। लेकिन अगर सत्ता से मोह है किसी को तो वह प्राइम मिनिस्टर जो चाहे कर सकता है और धीरे धीरे स्टेट की टोटेलेटेरियनशिप की तरफ ले जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बातें कही गई हैं जो कि दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं छापी जा सकती हैं। एक जगह पर और लिखा है जिसमें कहा गया है कि--

"उधर हिन्द महासागर के एक द्वीप में एक विदेशी सत्ता अपना सैनिक अड्डा कायम करने का निश्चय कर खतरे की भूमिका रच रही ह और इधर देश के अन्दर समाज विरोधी ताकतें और लोकतंत्र विरोधी दल रक्त-पात पर आमादा हैं।"

हम सभी को उसी भाषा के अन्तर्गत ला रहे हैं। हमारे माननीय भीखालाल जी मेरे पुराने जनानेवालों में से हैं और खासतौर से गर्ग साहब से कहना चाहता हूं वे बुरा न मानें...

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

कहिये, कहिये। आप पहले से कहते आये हैं। आप भी छाती ठोक कर रखिये।

चौधरी चरण सिंह--

मैं बुरा यों कह रहा था कि यदि यह स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी के दोस्तों को हो सकता है और उनके अन्य लोगों को हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्या कोई भी व्यक्ति यह मानने के लिये तैयार होगा कि दल के भीतर और बाहर के व्यक्तियों में कोई आपसी संबंध नहीं है ? आज हम लोगों को विदेशी ताकतों से जोड़ा जा रहा है और डाक्टर शंकर दयाल शर्मा की सी0आई0ई0 से संबंधित बातों के साथ जोड़ा जा रहा है। हमारी प्रधान मंत्री ने खुद कहा है कि भारत में एक एजेंसी काम कर रही है जो कि हमारे विकास के रास्ते में बाधक ह। तो उससे इस विपक्ष को जोड़ा जा रहा है जिस पर कि आज जनता को बधाई दी जा रही है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सबूत इस बात का ह कि जो टोटेलिटेरियन थिंकिंग है वह केवल आपकी ही नहीं है बल्कि सारी कांग्रेस पार्टी की और सारे देश

[चौधरी चरण सिंह]

की हो गई है । चाहे वह चीफ जस्टिस के एप्वाइंटमेंट की बात हो या एटौर्नी जनरल के अप्वाइंटमेंट की बात हो इस टोटैलिटेरियन थिंकिंग की बात बहुत हद तक पहुंच गई है और सारी कांग्रेस पार्टी उसी विचार-धारा की होती जा रही है। इसी थिंकिंग के मातहत मुख्य मंत्री जी ने इंकार कर दिया था कि जो इन्फारमेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास है उसे आपको मांगने का कोई अधिकार नहीं है और वह आपकी गरिमा के विरुद्ध है। ज्यादा आपने इस बारे में सोचा नहीं । आपने सोचा कि उधर के बैठने वाले रिप्रिजेंटेटिव्स को वे आंकड़े कैसे मिल सकते हैं । आपके मन में यह बात घुसी हुई थी कि गवर्नमेंट, कि स्टेट और बाकी एनीमीज आफ कि स्टेट, ये कैसे गवर्नमेंट पार्टी के आकड़े मांग रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डिमोक्रसी ओपनली फंक्शन करती है डिपार्टमेंट्स की जो भी उपलब्धियां हों वह सब की सेवा के लिये होती हैं । अपोजीशन पार्टी के डिस्पोजल पर सारी सहूलियतें होनी चाहिये ताकि वह भी डिबेट में हिस्सा ले सकें। हमारे बहुत से यंग सदस्य आये हैं । इन बातों को नहीं जानते हैं कि कौन मैटीरियल कहां से मिलेगा । यही मैंने लिखा था । लेकिन मुख्य मंत्री और उनकी पार्टी यह सोचती है कि हू आर दे । हम इलेक्ट होकर आये हैं । यह क्या बात हुई ? खैर, फिर उन्होंने उसे गलत माना।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

टोटैलिटेरियन आदमी कहीं गलती मानते हैं ?

चौधरी चरण सिंह—

मजबूर होकर । अभी वह ताकत नहीं है, जिस रोज वह हो जायेगी, ऐसा भी करोगें तो आज सारी पार्टी की थिंकिंग यह है । माननीय जयप्रकाश नारायण जी का बिहार में आन्दोलन चल रहा है, और सारी जनता के जो विचार हैं, देश भर की जनता के विचारों का वह इजहार कर रहे हैं । उसके बारे में दो रायें हो सकती हैं जैसे बिहार असेम्बली का डिज्योलूशन किया जाए यह कहने का उनको क्या हक है, जबकि वह स्वयं डेमोक्रेसी की बात करते हैं । सारी बात यह है कि जब 25-26 साल में उसको 10 लाख रुपये वार्षिक क हिसाब से 2 करोड़ 67 लाख रुपये का अनुदान दिया गया, जिसका कभी आडिट वगैरह भी कराया गया होगा, तो आज ही क्या बात हो गई कि उस ग्रांट को सस्पेंड किया गया और उस पर इंक्वायरी बिठाई गई ? तो यह आज सारी कांग्रेस पार्टी की देश भर में यह थिंकिंग हो गई हैं । जयप्रकाश जी का मामला सिफ बिहार से ही नहीं, सारे देश स संबंधित है । वह सार देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वह सारे देश की सवा करते हैं । उनके मन्तव्य के बारे में दो रायें नहीं हो सकती हैं, उसके तरीके के बारे में भल ही दो रायें हो सकती हैं । बिहार गवर्नमट ने जिस तरीके से उनकी ग्रांट को, सस्पेंड किया और इंक्वायरी बिठाला, यह वही टोटलिटरियन मेंटलिटी का द्योतक ह ।

एक सदस्य—

बिहार की बात है यह तो, यह यहां से कहां आ गई ।

चौधरी चरण सिंह—

फिर भी क्या कभी आपने उसे कंडेम किया कि यह गलत काम है । यह जनता का पैसा है, गवर्नमट का पैसा नहीं है, किसी पार्टी का पसा नहीं है । यों तो चीफ जस्टिस को भी गवर्नमट स व तन आदि मिलता है, लकिन इसका मतलब यह तो नहीं हो गया कि वह सरकार का आदमी हो गया और उसी के पक्ष में निर्णय दे और उसी के लिये काम करे। उससे तो निष्पक्ष राय की आशा की जाती है । आपन जयप्रकाश जी को जो ग्रांट दी वह तो जनता की सेवा के लिये दी थी, कोई उनको नहीं दी थी। वहां पर महात्मा जी के जमाने से जो कांस्ट्रक्टिव

प्रोग्राम चल रहा था, उनकी अध्यक्षता में चल रहा था उस कार्यक्रम में किसी बेईमानी की कोई आशंका नहीं कर सकता। उनके द्वारा संचालित कार्यक्रम में कोई बेईमानी, भ्रष्टाचार की शंका नहीं कर सकता है। हो सकता है कि कहीं कोई किसी कर्मचारी की कभी कोई कमजोरी रही हो, लेकिन उस मौके पर उसकी जांच करना और सस्पेंड करना किसी भी हालत में उचित नहीं कहा जा सकता। यह नहीं कि उसके संबंध में कोई बात उनकी नजर में आई हो, बल्कि इसलिये कि उनको सरकार के खिलाफ आन्दोलन चलाने का हक नहीं है, जबकि वह रुपया हमसे लेते हैं। मैं कहता हूं कि वह रुपया आपके जरिये पाते हैं, लेकिन वह आपका रुपया नहीं पाते हैं। वह रुपया आपका नहीं है। कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है कि उन्होंने नाजायज काम किया है, उनके कर्मचारी भले कोई गलत काम कर सकते हैं। भले ही कहीं एक-दो गलत हों। यह आप लोगों की थिंकिंग हो गई है कि हम लोग सूबे के मालिक हैं, ग्रांट के मालिक हैं। फिर अध्यक्ष महोदय, यह जो काम्पलेक्स है कि हम मालिक हैं, उसका नतीजा यह निकलता है कि हम और छोटे हो जाते हैं देश से सूबे, और सूबे से जिले पर ही हम केंद्रित हो जाते हैं। आप जब से आये हैं आम जनता का इम्प्रेशन यह है और मेरी नजर में भी यह है कि आप गढ़वाल की तरफ ज्यादा, विशेष ध्यान दे रहे हैं।

अभी वहां एक यूनिवर्सिटी कायम हुई है, वहां केवल एक कालेज था। फिर भी 5 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिये खुले हाथों से दे दिया गया है। इसका जवाब उनका यह है कि "साहब रिसर्च होनी चाहिये रिसर्च होंगी।" मैं कहता हूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिना कायम किये हुए भी यह काम हो सकता है। कानपुर की, पंतनगर की यूनिवर्सिटीज है, यह काम अब भी वहां हो रहा है। उसके लिये यूनिवर्सिटीज इस तरह से कायम करने की आवश्यकता नहीं है। आपने मिसाल दी कि हिमांचल प्रदेश ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन मैं कहता हूं कि उसका पैसा गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दिया है....

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा––

उसने भी वहीं से दिया।

चौधरी चरण सिंह––

आपको भी उसने दिया है और वहीं से दिया है।

जो रुपया यू0 पी0 के हिसाब में रखा गया है उसमें से कट जायगा, पांच करोड़। मैं नहीं जानता कि आप का इनिशिएटिव था उस रुपये के लिये या नहीं। अगर आपने इनीशिएटिव लिया तो आजमगढ़, बस्ती की बात क्यों नहीं सोची। आजमगढ़ या बस्ती में क्यों नहीं यूनिवर्सिटी खोली ? आपके दिल में उतनी ही जगह होनी चाहिये आजमगढ़, बस्ती, बदायूं के लिये जितनी जगह आपके दिल में गढ़वाल के लिये। यह मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं पहले मुख्य मंत्री का जिक्र नहीं करना चाहता था लेकिन असेम्बली में मैंने जो भी बात कही कोई बात छिपायी नहीं। चंदौली में जितना खर्चा किया है वह बनारस की किसी तहसील में क्यों नहीं किया, और जितना खर्चा बनारस में होता है उतना खर्चा और जिलों में क्यों नहीं होता है ? इसलिए कि यह हमारी कांस्टीटुएंसी है, हमारा जिला है, हमारा इलाका है। फिर मैं अर्ज करता हूं, नहीं तो अपने कर्त्तव्यों से विमुख होना है। एक बात की और तकलीफ होती है, जब कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन है हिल्स की। तो इसका क्या मतलब हुआ ?

एक सदस्य—

पहाड़ों से एलर्जी है आपको ।

चौधरी चरण सिंह—

एलर्जी नहीं है। न मैं हाईकोर्ट को ले जा रहा हूं वहां पर । बहुत दिनों से डिमांड चल रहा है । हाईकोर्ट ले जाना और बात है, तकलीफ का सवाल है खर्चे का उतना सवाल नहीं है । मैं केवल इतना कह रहा हूं, क्योंकि सीमा पर स्थित है इसलिए ऐसा खर्चा होना चाहिये । मान लीजिये कि नेशनलिज्म और पैट्रियाटिज्म का पावर्टी या ऐफलुएंस से संबंध है । अभी मैंने अख्बार में पढ़ा कि साढ़े चार करोड़ की सड़क का उद्घाटन करने के लिए माननीय नारायणदत्त तिवारी जा रहे हैं, जाना चाहिये लक्ष्मी शंकर जी को । आप जा रहे हैं हम अपने इलाके के लिए यह कर रहे हैं । जहां तक सड़कों का ताल्लुक है (व्यवधान) आपको बहुत सी बातें मालूम नहीं हैं । बम्बई का एक फारमूला है जिसमें पापुलेशन और एरिया के लिहाज से रखा गया है कि इतनी सड़कें बनेंगी जिलों में यानी पहाड़ के दो मील को मैदान के एक मील के बराबर माना गया है। अगर बदायूं में मान लें 50 मील सड़क बननी चाहिये तो उसी हिसाब से 65 मील होना चाहिये पापुलेशन के हिसाब से। पहाड़ में 130 मील बनेगी क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है इसलिए डबल किया गया है। 1970 में चीफ इंजीनियर की तरफ से जो आंकड़े आये, इस सिलसिले में कि कितनी सड़कें चाहिए बाम्बे फारमूला के हिसाब से, तो हमारे पहाड़ के जिले सब से आगे थे । तो क्या मतलब हुआ ? (व्यवधान) 1970 तक ही सब आ गये थे। 95,97,100 फीसदी से आगे । यों तो गांव गांव में सड़क चाहिये । क्वैश्चन लिमिटेड फंड्स का है । बाराबंकी में 52 परसेंट है । बाराबंकी में क्यों न खर्च किया जाय । उसके बाद बदायूं । उसके बाद मेरठ जिसकी बाबत कहा जाता है कि बड़ा डेवलपमेंट है । 64 परसेंट सड़कें हैं । बुन्देलखंड कुछ पीछे था लेकिन बुन्देलखंड में बहुत सड़कें रखी गयीं जब आप करोड़ों रुपया खर्च करने की बात सोचें तो सारे जिलों को, और कौन इलाका कितना पिछड़ा हुआ है उसको दृष्टि में रख कर तय करें न कि यह नीड है । नीड तो सब जगह है। कौन नहीं चाहता कि सड़कें हों । लेकिन फंड्स कहां से आयें । वह तंग जहनी है।

एक बात और कहना चाहता हूं जिसको मुझे कहने में तकलीफ होती है और मैंने शुरू में ही माफी मांग ली थी कि मुझे कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी अपनी तबियत के खिलाफ अगर मैं नहीं कहता हूं तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता हूं । उरई में श्री राज नारायण मिश्र, भूतपूर्व विधायक का कत्ल हुआ जो मुख्य मंत्री के साढ़ू थे । अब देखिये कि वहां सारे पुलिस आफिसर्स मौजूद हो गये । कई बार मुझ से उरई के लोग मिले हैं, और मुझे लिख कर दे गये हैं । उसमें से सुनाता हूं । एक कत्ल पर तो बड़े-बड़े दस-दस पुलिस अधिकारी पहुंच जायें और दूसरे कत्ल पर कोई भी बड़ा अधिकारी न जाये ।

श्रीमन्, 13-2-73 को बहुगुणा जी के साढ़ू श्री राजनारायण मिश्र की हत्या कर दी गई । निश्चय ही जघन्य अपराध था । दस बजे सुबह तक बहुगुणा जी पहुंच गये और उनको पहुंचना चाहिये था । श्री एम0डी0 दीक्षित, डी0आई0जी0, सी0आई0डी, श्री अग्रवाल डी0आई0जी0, झांसी, तत्कालीन स्टेट मिनिस्टर श्री राधाकृष्ण गोस्वामी, श्री एम0बी0 मकर्जी, एस0पी0, सी0आई0डी0, लखनऊ तथा अन्य पुलिस अधिकारियों का काफिला उरई में आ गया । मुझे कोई शिकायत नहीं है । यदि मुख्य मंत्री यह कहें कि आपको क्या शिकायत है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है बल्कि बात यह है कि जो और कत्ल होते हैं उसमें एक एक भी बड़ा पुलिस आफिसर नहीं पहुंच पाता है । जरूरत नहीं है । यह इम्प्रेशन पैदा कर दिया गया है उस समय आप कम्यूनिकेशन मिनिस्टर थे । जार्ज आर्कवेल ने एक किताब लिखी है । उसमें कहा है कि " He is more equal than otheres. "

लेकिन आजकल के कांग्रेसमन अन्य सिटीजन्स से ज्यादा अच्छे माने जाते हैं अन्यथा सारी ताकत यहां क्यों इकट्ठी हो गई । खाली एस0 पी0 काफी था ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

इस रिफरेंस में आपको यह बात नहीं कहनी चाहिये ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इसी सदन में जब बट्ट साहब इलाहाबाद कारपोरेशन के प्रशासक थे उन्होंने गोली चलवाई थी । उसमें बी0 के0 डी0 के एक आदमी का मर्डर हो गया था तो आपने तीन दिन तक इस हाउस को नहीं चलने दिया । तमाम कत्ल हुए आपने नाम तक नहीं लिया । आज ही 2-3 कत्लों का मामला पेश हुआ लेकिन आपने कोई सवाल तक नहीं पूछा । मैं जानना चाहता हूं कि आप क्यों अपना रवैया दूसरों पर लागू कर रहे हैं ?

चौधरी चरण सिंह—

यह बात यहां पर लागू नहीं होती है । मैंने पहले ही माननीय बहुगुणा जी से माफी मांग ली है । मैं केवल यह कह रहा हूं कि कत्ल पर तो बड़े-बड़े अधिकारी पहुंच गये । इम्प्रेशन यह है कि कांग्रेस के लीडर हैं । कम्यनिकेशन मिनिस्टर थे । लेकिन होना यह चाहिये कि अगर प्रधान मंत्री का लड़का गलती करता है तो सब इंसपेक्टर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसे अन्य लड़के के साथ करता है । मैंने हाउस में सवाल उठाया था । उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई थी । उसका मकान ढा दिया गया । उसका लड़का सूट कर दिया गया । यह था जांच नहीं हुई । यही नहीं अब यह तो हो रहा है कि गवाह है, देवेन्द्र सिंह उसके भाई के खिलाफ एक इस्तगाशा दायर हुआ है कि उन्होंने एक आदमी को सूट कर दिया । बेहोशी की हालत में वह ले जाया गया अस्पताल । डाक्टर ने कहा कि इसका बयान अदालत में लेना चाहिए । उस राजनारायण जी की हत्या काण्ड में पुलिस के गवाह का भाई जिसके खिलाफ लिखा दी रिपोर्ट । अब उसकी तफसील में नहीं जाता हूं । उस पर 10–10 और 12–12 मुकदमें चल रहे हैं । सेशन में हाई कोर्ट में चल चुके हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं इसे पढ़कर बताता हूं । नीचे लिखे हुए 107 जा0 फौजदारी का मुकदमा हिन्दुस्तान के कानून के इतिहास में अपनी सानी नहीं रखता इस मुकदमे के तथ्यों पर गौर करने से पता चलेगा कि श्री रणजीतसिंह भंडारी, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के इशारे पर जालौन की पुलिस क्या नहीं कर सकती । दिनांक 17–3–73 थानाध्यक्ष डकोर ने हाकिम परगना उरई इजलास में एक चालानी रिपोर्ट धारा 107/117 जा0 फौजदारी की पेश की और जिसमें कहा गया था कि ग्राम पुर में दो जबरदस्त पार्टियां हैं । एक पार्टी के सरगना मानवेन्द्र सिंह है और दूसरी पार्टी के सरगना गुलाम मुहम्मद हैं । इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गुलाम मुहम्मद की पार्टी के दो आदमियों की हत्या हो गयी है और मानवेन्द्र सिंह की पार्टी के आदमियों को आजन्म कारावास का दन्ड हुआ ऐसी सूरत में दोनों पार्टियां एक दूसरे से बदला लेना चाहती हैं और शांति भंग का बड़ा खतरा है । थानाध्यक्ष, डकोर ने दोनों पार्टियों के खिलाफ धारा 107/117 जा0 फौजदारी की चालानी रिपोर्ट दाखिल की । मानवेन्द्र सिंह के साथ अन्य लोगों के अलावा गजराज सिंह, शक्ती सिंह और वीरेन्द्र सिंह भी मुल्जिमान थे । चालनी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट ने मानवन्द्र सिंह आदि को धारा 112 जाब्ता फौजदारी का नोटिस भी दे दिया । इसके पश्चात् दिनांक 14–7–73 को देवेन्द्र सिंह ने हाकिम परगना के इजलास में एक दरख्वास्त दी और उस दरख्वास्त में यह लिखाया कि वह राजनारायण मिश्रा काण्ड में एक सरकारी गवाह है

[चौधरी चरण सिंह]

जिसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से उनको एक अंग रक्षक दिया गया है और उनको एक पुलिस गार्ड भी दिया जाने वाला है। उन्हें भाइयों में से कोई खतरा नहीं है। ऐसी सूरत में धारा 107/117 का मुकदमा समाप्त कर दिया जाय, क्योंकि मैं फलां मुकदमा में सरकारी गवाह हूं। मुझको एक अंग रक्षक मिल चुका है और मुझको एक गार्ड मिलने वाला है। लिहाजा मेरे भाई की तरफ से कोई खतरा नहीं हो सकता और इस देवेन्द्र सिंह की दरख्वास्त पर पब्लिक प्रासीक्यूटर से रिपोर्ट मांगी गई, तो पब्लिक प्रासीक्यूटर ने उस रिपोर्ट पर थानाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी। अब जिसकी चालानी रिपोर्ट थानाध्यक्ष ने दी थी, उसी ने यह रिपोर्ट दी कि इन चारों आदमियों से कोई शांति भंग होने का खतरा नहीं है। इस रिपोर्ट पर हाकिम परगना, उरई ने इन चारों आदमियों के खिलाफ जो 107/117 का मुकदमा था समाप्त कर दिया। उन लोगों की उम्र थानाध्यक्ष ने अधिक लिखा, जिससे यह मालूम हो कि वे लोग बुड्ढे हैं। थानाध्यक्ष ने जो उन लोगों की उम्र लिखा बिलकुल गलत लिखा है। सन् 1971 की वोटर लिस्ट के अनुसार उनकी माता की उम्र 57 साल है।

श्री ओम प्रकाश (जिला जौनपुर)—

कौन से कागज से आप पढ़ रहे हैं?

चौधरी चरण सिंह—

मैं किसी भी कागज से पढ़ सकता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

जो चौधरी साहब मान्यवर पढ़ रहे हैं, जिस कागज से पढ़ रहे हैं, मान्यवर, वह तो प्रापरटी सदन की हुई।

चौधरी चरण सिंह—

मुझसे कई बार वहां के लोग मिले और उनका कहना है कि आज उरई में देवेन्द्र सिंह पुलिस का गवाह है इसलिये वहां की पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। तो इस प्रकार से किसी पुलिस अफसर को सही काम करने की हिम्मत ही नहीं रह गई। उस केस में मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकार्ड करने के लिए नहीं पहुंचे। लाला लाजपत राय हास्पिटल में जाकर उन्होंने इलाज कराया। तहकीकात के लिए केस सी0आई0डी0 को दे दिया गया। सी0आई0डी0 को केस दे देने का क्या मतलब? किसी केस को टालना हो तो उसे सी0आई0डी0 को दे दीजिए। सी0आई0डी0 को केस गया तो 6 महीने के लिए मुलतवी हो गया और साल भर के लिए मुलतवी हो गया। जो काम रेगुलर पुलिस नहीं कर सकती है, उसे सी0 आई0 डी0 नहीं कर सकती, यह जाहिर है। जो तहकीकात रेगुलर पुलिस नहीं कर सकती है, उसे सी0आई0डी0 नहीं कर सकती है। ऐसे केस को सी0आई0डी0 को नहीं दिया जाता है। उसमें साल साल भर लगता है। वह केस सी0आई0डी0 को भेज दिया गया, लिहाजा उसमें अभी तक चालान नहीं हुआ। भाई के साथ अंग रक्षक है और एक गार्ड मिलने वाला है लिहाजा सब इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट वापस ले लिया है।

आज मेरे पास एक औरत आई हुई थी, वह जौला गांव की मालूम पड़ती है। उसके पास एक ट्यूबवेल भी है, वह बताती है। उसके 15 वर्ष का बच्चा भी उसके है। पहले बीच में भी वह मेरे पास आई थी दो दफा, लेकिन मैं उससे मिला नहीं। वह कहती है कि उसके दुश्मन जो जेल में अब तक थे, अब जमानत पर आ गये हैं और उसके लड़के को कत्ल करने के लिए घूम रहे हैं। व कहते हैं कि हम तुम्हारी बीज नाश कर देंगे। कहा जाता है कि सब इन्स्पेक्टर ने रिश्वत ले लिया है। हमारे बी0 के0 डी0 का एम0 एल0 ए0 सुपरिन्टेंडेंट पुलिस से दो बार मिला और उन्होंने सुपरिन्टेंडेंट पुलिस से बताया कि उस औरत को और इसके

बच्चे को जान का खतरा है । मैं माननीय मुख्य मंत्री के पास उसको भेज दूंगा और तो कुछ नहीं कर सकता हूं । रात को 8 बजे मेरे पास यह सूचना आयी कि वह विधवा आयी और कुछ खाने के लिए चाहती है तो मैंने अपनी लड़की को भेजा । मालूम हुआ कि वह वही सुबह वाली विधवा है तो उसे कुछ खाने के लिए दिया गया । मैं मान सकता हूं कि कत्ल न हो लेकिन क्या आप उसके लिए अंग रक्षक देंगे, उसको कोई गार्ड देंगे ? श्रीमती सुशीला मिश्रा, जिनके पति का कत्ल हो गया था, उनके गवाहों को भी आप 5 आदमियों का गार्ड दे दीजिये, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है लेकिन हमारा सवाल यह है कि आज आप इस विधवा को कोई गार्ड नहीं दे सकेंगे। एक नहीं ऐसी अनेक मिसालें हैं ।

फिरोजाबाद की एक विधवा ने धमकी दी है, उसकी कटिंग मेरे पास रखी है, लाना भूल गया, कि अगर 1 जुलाई, 1974 तक पुलिस ने मेरे पति के कातिल का पता नहीं लगाया तो मैं अनशन करूंगी । मुमकिन है होम डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश गये हों । एट दि रिस्क औफ बीइंग मिसअन्डरस्टुड, यह खतरा उठाते हुए कोई बात पैदा हो जायगी । माननीय शिव कुमार पांडेय जी या मिश्र जी ने यह बात कही । डमोक्रेसी में हर आदमी उतना ही राइट रखता है अपनी बात करने का जितना दूसरा । अगर हम निष्पक्ष नहीं होंगे तो हमारी डमोक्रेसी नहीं चलेगी और हम डूबते चले जायेंगे । आखिर इस सदन में भी कोई आवाज उठायेगा या नहीं, लिहाजा मैंने यह आवाज उठायी । न मैंने सुशीला जी को देखा और न मुझे उससे कोई शिकायत ही है । जिनसे आप सम्बन्धित हैं, उनसे आप ऐसा वर्ताव न करें जो आप हर सिटीजन्स के साथ नहीं कर सकते हैं । जो पावर में होते हैं, उन्हें बड़ा फूक फूक कर कदम रखना चाहिए वनी साधारण लोग आपके ऊपर आरोप लगायेंगे । सही कदम उठायेंगे तो कुछ नहीं लेकिन जब गलत उठायेंगे तो हजारों बात पदा हो जायेंगी । आप सी 0 आई 0 डी 0 के किसी अधिकारी को भेज कर पता लगाइये कि "वदर इट हज ब्रोट गुड नेम टु यू आर टु योर गवनमेंट"। इससे आपकी बदनामी हो रही है या नेकनामी हो रही है ? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं । आप सेवक है इस जनता के और चीफ मिनिस्टर होने के नाते सबसे बड़े सेवक हैं । पावर तो बर्डन है अगर इसको निष्पक्ष रूप से इस्तेमाल किया जाता है । पावर को जो एक्यूज करते हैं, उन्हें इन्ज्वाय करना चाहिए लेकिन जो आदमी निष्पक्ष होकर सब को एक दृष्टि कोण से सेवा करने का काम करेगा, वह पागल हो जायगा । उसको बोझ महसूस करेगा ।

एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चल रहा है । आपने बहुत से महकमें रखे हुए हैं । जिस महकमें के बारे में पूछो कि यह किसके पास है, एल 0एस 0जी 0डी 0 हो, कोआपरेटिव हो, एग्री-कल्चर हो, इन्डस्ट्री हो या हायर एजुकेशन हो तो पता चलता है कि ये सब मुख्यमंत्री जी के पास हैं । बहुत से महकमें आपने ले रखे हैं । आप कितने ही काबिल हों, मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं (कांग्रेस पक्ष से कुछ कहे जाने पर) मैं आपकी ही परवाह कर रहा हूं कि जल्दी से कुछ महकमें तकसीम कर और मैं अपने और आपके इंटरेस्ट में कह रहा हूं कि जबतक आप नये मिनिस्टर नहीं बढ़ाते हैं तब तक बहस अच्छी नहीं हो सकती इस हाउस में और आपने डिक्लेयर कर दिया कि जबतक परफारमेंस ठीक नहीं होगी मेम्बर्स की तबतक आप मिनिस्टिर बढ़ायेंगे नहीं । अब परफारमेंस का जहांतक ताल्लुक है आप चाहे इंडस्ट्री पर बोलें या ऐग्रीकल्चर पर, जो चाहे बोलें और अभी बहुत कम दोस्त इस हाउस में ऐसे हैं जिनकी स्टडीज पूरी है । लिहाजा खड़े हो कर सीधे तरीके से डायरेक्ट मुझे गालियां देते रहिये और लोग तालियां पीटते रहें ताकि आप खुश हो सकें । आप कभी कुछ कह कर, कभी राइटिस्ट कह कर गालियां देते हैं और इधर उधर की बातें होती हैं । तो यह डिबेट अच्छी नहीं हो पाती । और जब किसी दोस्त ने बहुत अच्छी बात अपनी अकल के मुताबिक कह दी और कुछ लोग मुस्कराये तो बोलने वाला मुख्य मंत्री जी की तरफ देखता है कि बात ठीक बैठी या नहीं ।

[चौधरी चरण सिंह]

इसके अलावा, मैं आपसे कह यह रहा था कि यह तो आपने पढ़ा ही है कि एक सब्सटैंशयल किस्म का मुहकमा ही एक आदमी के लिए देखना मुश्किल है । चाहे आप 10 मुहकमे रखिये, 15 रखिये---मैं जानता हूं आपकी कठिनाई । वह है, उसको बताने की जरूरत नहीं है---आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं । लेकिन हमें क्या मतलब आपकी कठिनाई से ? हमारा कंसर्न भी है । क्योंकि हम जानते हैं कि 10 मुहकमें रख कर आप उनके प्रति न्याय नहीं कर सकते, सबकी व्यवस्था ठीक नहीं रख सकते । और दिन रात मेहनत करो, रात को न सोओ तो वह भी उचित नहीं है । सोना लाजमी है । तीन घंटे भी सोओ तब भी जस्टिस नहीं हो सकती । एक हफ्ते नहीं, दो हफ्ते नहीं, दो महीने नहीं, 4 महीने आपने लगा दिये फिर भी डिस्सर्विस एक प्रकार से अन नोइंगली स्टेट की इस प्रकार से हो रही है---एक बात तो यह अर्ज करूंगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि परसनल स्टाफ जो आपका है, एक तो आपके डिप्टी सेक्रेटरी हैं श्री मुंशी सिंह सन्त । आप कहते आपने मालूम नहीं किया जब वहां बुलाया था....

श्री भूपसिंह कैन (जिला मेरठ)---

वह चूंकि शेड्यूल्ड कास्ट के हैं इसलिए आप बार बार उन पर आक्षेप करते हैं । आप बार-बार संत साहब का नाम लेते हैं । क्या इसीलिए बार बार संत साहब, संत साहब करते हैं क्योंकि वे शेड्यूलड कास्ट के हैं ?

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)---

शेड्यूल्ड कास्ट की असली हत्या कांग्रेस कर रही है । (व्यवधान)---

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)---

चूंकि आपके श्वसुर साहब को सस्पेंड किया था इसीलिये आप नाराज हैं, जरा उसकी जानकारी करा लीजिये । इसी सेक्रेटेरिएट में आपके पी0सी0एस0 दामाद हैं, वह कैन कमिश्नर हैं । ठीक है, वह फूलें फलें, लेकिन आपने अपने शासन काल में जो कुछ किया है जरा वह भी तो ख्याल कीजिये । अपने भाई मान सिंह को कैसे बचाया और आप अष्टाचार की बात करते हैं, सत्य प्रशासन की बात करते हैं । (व्यवधान व शोर)

चौधरी चरण सिंह---

मैं तो खुद इस परेशानी को जानता था शुरू में ही । आपने इतने गुस्से में बात कही है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा ।

श्री गौरी शंकर---

मैं अब शान्ति से कहना चाहता हूं ।

चौधरी चरण सिंह---

आपको इतनी परेशानी क्यों है ?

श्री गौरीशंकर---

आप खुद तो कहते हैं लेकिन जब दूसरे लोग आपके खिलाफ आरोप लगाते हैं तो आप सदन में हाजिर नहीं रहते हैं । इसलिये शान्ति और अशान्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है । जब माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं तो आप अपने ससुर की स्वयं वकालत कर रहे हैं (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

मैं नाम न लेता और केवल डिप्टी सेक्रेटरी कह देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा सवाल यह है कि मुझे अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन के किसी अफसर के खिलाफ शिकायत है तो कहने का हक हासिल है या नहीं ? हम सब यहीं के रहने वाले हैं। अफसरान भी सब हमारे भाई, भतीजे, ससुर, दामाद हैं। अगर हम में से किसी का किसी से ताल्लुक है या हमारी बिरादरी का है तो क्योंकि हमसे ताल्लुक है इसलिय वह कभी गलती नहीं कर सकता और अगर कर सकता है तो क्योंकि वह पब्लिक सर्वेन्ट है इसलिये वह एकाउन्टेबिल है इस लेजिस्लेचर के कई और लेजिस्लेचर के हर मेम्बर को अपनी राय ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक देने का हक हासिल होगा।

रही मेरे करप्शन की बात। मैंने सुना नहीं। पहले नहीं कहा, अब कहता हूं, मेरे खिलाफ जो भी चार्जेज हों मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर दें। मैंने पहले भी कहा था श्री गौरी शंकर राय जी, नौजवान हो अभी, दुनियां का कुछ मालूम नहीं, मैं फिर दोहराता हूं कि दिल्ली से ले कर यहां तक जो आपके बड़े बड़े लीडरान हैं वह भी हाई कोर्ट के जज के सामने पेश हों। यही नहीं, मैंने पब्लिकमन्स इन्क्वायरी आर्डिनेन्स 1967 में पास कराया था एस0वी0डी0 के जमाने में। उसका मंशा यह था कि चाहे मिनिस्टर हो और चाहे एम0एस0 ए0, एम0एल0सी0 हो आज या पांच साल के अन्दर रह चुके हों, मेयर हो, फर्स्ट क्लास म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन हो, जिला परिषद का चैयरमैन हो, डी0सी0डी0एफ0 या कोआपरेटिव फेडरेशन का चैयरमैन रहा हो, जितने हमारे इम्पार्टेन्ट नान आफिशियल पद हैं उन सब के आफिस बेयरर्स के खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो कमीशन आफ इन्क्वायरी उसकी जांच कर सकता है और यह मतलब है गौरी शंकर राय जी.....

श्री गौरी शंकर—

गौरीशंकर राय नहीं, गौरी शंकर।

चौधरी चरण सिंह—

अच्छा ठीक है, गौरी शंकर जी। कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट का अगर नाम सुना हो तो उसकी मंशा यह है कि किसी मिनिस्टर के खिलाफ अगर शिकायत है तो चीफ मिनिस्टर को एक हक है कि इजाजत तहकीकात की दे या न दे। हमने जो 1967 में बनाया था उसमें गवर्नमेंट बीच में नहीं आती। अगर कोई भी दस आदमी गवर्नर को शिकायत कर दें किसी मिनिस्टर के खिलाफ जो आज या परसाल रह चुका हो तो गवर्नर एक इंक्वायरी करायेगा प्राइमा फेसी केस देखने के लिए और उसके बाद हाई कोर्ट के दो जजों के सुपुर्द कर देगा जिसका मतलब यह हुआ कि मैं और मेरे साथी जितने उस वक्त एस0वी0डी0, में थे, हम सब ने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं। केवल कांग्रेस पार्टी ने ही विरोध किया था, गौरीशंकर जी। क्या आज आप उस आर्डिनेंस को फिर लाने के लिए तैयार हैं ? 15 अप्रैल को गवर्नर शासन होता है, 19 अप्रैल, को पहला काम यह होता है कि उसको रिपील कर दिया जाता है। (व्यवधान) मैं पूछता हूं उस आर्डिनेंस का आप लोगों ने क्यों विरोध किया ? आपको छोड़ कर बाकी हर पार्टी ने उसका स्वागत किया था। मैं तो आज भी उसके लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं ? अगर नहीं हैं तो आप मुझ पर चार्ज लगाने से पहले जरा सोचिए, उससे मतलब हल नहीं होने वाला है। मेरे पास नाम मौजूद हैं...

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा यह आग्रह है माननीय नेता विरोधी दल से कि जो व्यक्ति यहां सदन में मौजूद नहीं है उसका नाम न लें तो अच्छा है क्योंकि हमने

[श्री रामायण राय]

बराबर आपकी यह फीलिंग सुनी है कि जो व्यक्ति यहां मौजूद न हो, जो यहां जवाब न दे सके, उसका नाम यहां न लिया जाय, यह संसदीय परम्परा है। मैं केवल आग्रह कर रहा हूं, आशा है आप स्वीकार करेंगे।

चौधरी चरण सिंह—

उनको रक्षा करने का और उनकी तरफ से जवाब देने का अधिकार गवर्नमेंट को है, वरना यहां पर करप्शन पर डिबेट हो नहीं पायेगा और अगर मैं नाम न लेकर यह कह दूं कि डिप्टी सेक्रेटरी आफ दि चीफ मिनिस्टर, तो उसमें क्या फर्क हो जायगा? मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब उस हद तक बात हो जाती है तो नाम लेना जरूरी हो जाता है। मेरे पास बीसों पुलिस आफिसर्स के नाम मौजूद हैं जिनके खिलाफ विजिलेंस में मामला चल रहा है और वे ऊंचे-ऊंचे पदों पर हैं। कई बार यहां पर सवाल आया और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया कि मुझे मालूम नहीं कि विजिलेंस में मामला पेश है, यह क्या बात है? इसलिए मजबूर होकर नाम लेना पड़ रहा है। जिन बातों की सड़कों पर चर्चा की जाती है, अगर मैं यहां नाम न लूं तो उससे क्या फर्क हो जायगा? मुख्य मन्त्री जी अपने साथ दो आदमियों को ओ0एस0डी0 बनाकर लाये, उन पर उनका विश्वास था इसलिए, और यहां पर जो काबिल से काबिल लोग थे उनपर उनका विश्वास नहीं था तो ये लोग क्या कहेंगे? माननीय पन्त जी के लिए जो कहा गया कि वे जानकी प्रसाद को लेकर गए थे, जब मुख्य मन्त्री थे, तो वह गवर्नमेंट सरवेंट ही था। जिस तरह से आप इन दो आदमियों को लाये उससे आपके अन्य आफिसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वे यह देखेंगे कि आपका विश्वास उनमें नहीं है। 11 पी0एज0 हैं और एक प्राइवेट सेक्रेटरी है, और उनके ऊपर आपने इन दो को बिठा दिया है। मैं तो वैसे इन दोनों की शक्ल भी नहीं जानता, न देखा है, पूरा नाम भी नहीं जानता, लेकिन इन दी इन्टरेस्ट आफ एडमिनिस्ट्रेशन यह कहना चाहता हूं कि आपके यहां अच्छे से अच्छे आफिसर्स मौजूद हैं। उनकी यह फीलिंग न हो जाय कि आपका उन पर विश्वास नहीं है। उनकी यह धारणा न हो जाय कि उनके चीफ मिनिस्टर का उन पर विश्वास नहीं है।

यह एक सवाल उठा है, सतीश चन्द्र का, सीनियर मोस्ट आई0सी0एस0 अफसर थे और निहायत अप राइट करेक्टर के आदमी थे। पहले हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर भी रह चुके हैं। बहुत कोशिश करने के बाद त्रिपाठी जी के जमाने में उनको भेजा गया था। मुख्य मन्त्री बहुगुणा जी आये और उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया चीफ सेक्रेटरी से। हिन्दुस्तान में ऐसी मिसाल नहीं होगी, दूसरे मुल्कों की बात में नहीं करना चाहता हूं। हो सकता है उनके यहां ऐसी होता हो। उन्होंने अपने सगे बहनोई श्री टी0 के0 टंडन को रिटायर कर दिया। इस करेक्टर के आदमी के लिए आपने आर्डर दिया कि नाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखा जाय जिसके लिए कि गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करनी पड़ी हो, वह अफसर अपमानित हो गया। मैं दोहराना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन का यह तरीका नहीं है कि किसी अफसर को अपमानित करें। एडमिनिस्ट्रेशन का यह कायदा नहीं है कि उनके मुकाबले में जूनियर अफसर को रखें।

अब मैं मुंशी सिंह सन्त की बाबत कुछ कहता हूं। सन् 70 में मैंने इलाहाबाद में विजीलेंस को इनके खिलाफ केस सुपुर्द किया। हो सकता है कि मैं भूल रहा हूं। उनकी बाबत यहां सवाल हुए और तरह-तरह के जवाब भी हुए। मैं फिर कह रहा हूं कि इस सिलसिले में कि आप आर्डर करते हैं एक चीफ सेक्रेटरी को हटाकर दूसरा चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है और वह भी राय के बाद।

लेकिन मैं अपनी तबीयत को जब्त करूंगा जिसका नतीजा यह होगा कि जो पब्लिक की नोटिस में आना चाहिए वह नहीं आ पायेगा, लेकिन मैं अपनी तबीयत को लगाम लगाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, आप यह बात मान लें कि एडमिनिस्ट्रेशन में कांग्रेस मैनों का इन्टर-फियरेंस बराबर होता रहता है । अफसरान काम नहीं कर पाते हैं । मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूं । मेरे यहां एक प्रमुख हैं उनके मर्डर की दो—तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं । आदमी पकड़े भी गये हैं । उन्होंने तस्लीम भी किया है । उनमें से कुछ का चालान किया गया है और कुछ का चालान नहीं किया जा रहा है । वह मेरे पास आए मैंने लिख कर भेजा होम सेक्रेटरी को । हमारे यहां का सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस अच्छा है । आई0पी0एस0 अफसर है । नत्थू लाल नाम है, हरिजन है । अप राइट करेक्टर का आदमी है । लेकिन वह मजबूर है । दिल्ली से एक स्टेट मिनिस्टर हैं, फोन आता है और चालान नहीं होता है । तो यह हाल है ।

एक सदस्य—

अभी आपने हरिजन अफसर के बारे में क्या कहा है ?

चौधरी चरण सिंह—

मैंने तो उसकी तारीफ की है । मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर कोई हरिजन है तो उसकी तारीफ न की जाय । मैं तो हर किसी की तारीफ करता हूं, अगर वह गल्ती नहीं करता चाहे वह हरिजन हो या कोई हो । तो मैं आपसे कह रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में रोजाना कदम-कदम पर इन्टरफियरेंस हैं । अधिकारी अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं । अभी अलीगढ़ की बात है कि एक आदमी का गुन्डा एक्ट में चालान किया गया, उसको सजा हो चुकी है । उसके बाद वह एक चोरी में पकड़ कर थाने में लाया गया । थानेदार ने कहा कि मेरे हल्के से बाहर जाकर यह काम करो और मुझे हिस्सा दे दिया करो । शिकायत की गई और एस0पी0 ने उसे पकड़वाया परन्तु बाद में वह फिर छोड़ दिया गया । यह इसलिए किया गया कि एक कांग्रेस के विधायक ने उस अधिकारी से कहा कि यदि तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही की जायगी । अतः उसने छोड़ दिया । यह आज से नहीं बल्कि सन् 1969 से हो रहा है । मैं कहता हूं कि इस स्थिति को ठीक करो ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

सन् 1969 से हो रहा है कि 1947 से हो रहा है ।

चौधरी चरण सिंह—

तभी मुझे तजुर्बा नहीं था लेकिन अब हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, लगभग 25 जिलों में 4 साल से लेकर 8 साल के बीच की सर्विस वाले आई0ए0एस0 अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पद पर कार्य कर रहे हैं । मैंने सुना है कि केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि कम से कम 5—6 साल की सर्विस जब तक न हो जाय तब तक आई0ए0एस0 वालों को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट न मुकर्रर किया जाय । परन्तु यहां 4 साल की सर्विस वालों को भी जिलाधिकारी बना दिया जाता है जबकि उनको डेढ़ साल की ट्रेनिंग भी करनी होती है । प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कन्सालीडेशन विभाग का डिप्टी डाइरेक्टर का भी काम देखता है । उसके वहां रेवेन्यू विभाग के मुकदमे आदि भी होते हैं, अतः उसको रेवेन्यू के नियमों की

[चौधरी चरण सिंह]

भी जानकारी होनी चाहिये, सीलिंग ऐक्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिये। इस प्रकार 2 साल की जिनकी सर्विस है, जिसमें डेढ़ साल ट्रेनिंग का निकाल दिया गया है, उनको आपने जिलाधिकारी नियुक्त किया है तो ये यंग आफिसर नियुक्त करने से प्रशासन इफीशियेंट नहीं होगा। इसमें तजुर्बे की जरूरत है। रिफार्म्स कमेटी की भी यह संस्तुति थी कि 8 साल की सर्विस वालों को ही जिलाधिकारी बनाना चाहिए। परन्तु यह जनवरी माह में 24-24 साल सर्विस वाले पी0सी0एस0 अधिकारियों की एक सिनियारिटी लिस्ट बनी जिसके आधार पर जिलाधिकारी के पद पर उनकी पदोन्नति होगी। जबकि आई0ए0एस0 वाले 4 साल की सर्विस में जिलाधिकारी हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि 10 साल से कम सर्विस वालों को जिलाधिकारी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि जिलाधिकारी को डिप्टी डाइरेक्टर, तहसीलदार, सुपरिंटेंडेंट, इंजीनियर तथा डी0आई0जी आदि अधिकारियों से मिलना होता है तो 4 साल की सर्विस वाला आफिसर उनके साथ कैसा बर्ताव कर सकेगा, वह उनसे कैसे आदर पा सकेगा आदि। यहां जो लिस्ट 24 जनवरी को सिनियारिटी की बनी जिसके आधार पर प्रमोशन होना था उस पर कोई ऐक्शन नहीं हुआ और एक लड़का जोकि 2 साल सर्विस तथा डेढ़ साल की ट्रेनिंग किए था उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया गया। परन्तु जो पी0सी0एस0 अधिकारी बुड्ढे हो गए उनको अब कहीं जाकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाया जाता है। यह बात कहनी होगी पब्लिक इंट्रेस्ट में। नाम तो मैं नहीं जानता उस लड़के का। वही मुश्किल है अगर न कहा जाय तो हम अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं और कहा जाय तो जो पर्सन इन्वाल्व्ड हैं उनका नाम लेना ही होगा। मैं चीफ मिनिस्टर से उम्मीद करता हूं कि वह लिस्ट को देखेंगे कि यह कहां गलती हुई है और क्यों नहीं उनको मौका दिया गया।

नम्बर आफ कमिश्नर्स---अंग्रेजों के जमाने में 10 कमिश्नर्स होते थे और ज्यादा से ज्यादा 12 या 13। फिर पोस्ट अबोलिश हो गई। फिर जरूरी समझा गया। नम्बर बढ़े, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब हाल यह है कि 18 साल की सर्विस हुई एक आई0ए0एस0 आफिसर की, कमिश्नर का पद जरूरी हो गया, चाहे उसकी जरूरत हो या न हो, कमिश्नर का पद दिया जा रहा है। सन् 1970 में 32 कमिश्नर थे हर प्रकार के---यहां फाइनेंस सेक्रेटरी की पोस्ट कमिश्नर की थी, होम सेक्रेटरी भी कमिश्नर होता था। जैसा मैंने बताया 32 थे, सन् 74 में 63 हो गए। इसके अलावा 50 आई0ए0एस0 अफसर सुपर टाइम स्केल में हैं जो शायद कमिश्नर के बराबर या थोड़ा कम होता है। 310 में से 113 पोस्ट हैं। वेस्टेज आफ पब्लिक मनी है। 18 साल की सर्विस होने पर, चाहे जरूरत हो या न हो, सारा बैच कमिश्नर। यह भी देखने की बात है। यह नहीं होना चाहिए।

फिर नाम का सवाल आयेगा, लेकिन नहीं कहूंगा। एक अफसर हैं जो बराबर सेक्रेटेरिएट में रहे हैं। मैं समझता हूं कि हर जगह रहे और अटर फेलियोर। मेरी मातहती में रहे, लेकिन फेलियोर रहे। कुछ दिन वह बाहर रहे, लेकिन फिर वह यहां आ गए हैं और मोस्ट इम्पारटेंट मुहकमे के हेड बना दिये गए हैं जिसके बारे में उनका कोई ज्ञान नहीं है और न कोई इन्ट्रेस्ट ही। ही नेवर प्रूव्ड ए सक्सेसफुल आफिसर। जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तो वह जौनपुर में कलेक्टर थे। सन् 1955 में बाढ़ आई तो उस सम्बन्ध में रेमीशन और पोस्पोन्मेंट आफ रेवेन्यू की जो रिपोर्ट आई वह मोस्ट होपलेस। मैंने उनसे कहा कि तुम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रहने लायक नहीं हो। वह बराबर नहीं रहे---घूम फिर कर यहीं आ जाते हैं और बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। मैं जान बूझकर नाम नहीं बतला रहा हूं। इतना ही मैंने कह दिया मुख्य मन्त्री जी समझ गए होंगे। नाम बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चल रहा हो, लेकिन जब चौपट हो गया है तो आफिसर का नाम लेने की जरूरत पड़ती है। सवाल यह है कि जितना मैंने कह दिया

है उसी पर न मालूम कितनी नाराजगी और गुस्सा में अपने सिर पर ले रहा हूं। फिर यह बात और है कि अगर उसे मालूम हो जाय कि फलां आफिसर के नाम के पीछे 'सिंह' लगा हुआ है और दूर-दूर का सम्बन्ध रखता है तो वह उसे रिवर्ट जरूर कर देगा। यह पालिटिक्स हो गई है और यह एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। मेरे से बहुत नाराज हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन बहुत डेंटोरिएट हो रही है। दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। अभी हाल में बुलन्दशहर में एक बरात लुटी। हमारी बहू-बेटी दिन छिपने के बाद जेवर पहन कर अपने घरों से नहीं निकल सकतीं।

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए)

और रोज ही एडजर्नमेंट मोशन और डिस्कशन के लिए क्वैचन्स आते हैं। अगर आई0 जी0 पी0 यह रिपोर्ट दे दें कि इतने जुर्म पहले होते थे और अब इतने हो गये तो लिहाजा जुर्म घट गए, नहीं। सन् 61 में मैं होम मिनिस्टर हुआ तो डी0आई0जी0 मि0 सक्सेना थे, बाद में आई0 जी0 हुए।

एक सदस्य—

आपने ही बनाया।

चौधरी चरण सिंह—

डायरेक्टर विजीलेंस पहले थे और मैंने आई0 जी0 बनाया। दोनों कि पोजीशन बराबर होती है। मैंने उनको बनाया, आई0 एम0 प्राउड आफ हिम। इतने अच्छे आफिसर बहुत कम होते हैं। एक सदस्य के पुनः टोकने पर..., पता नहीं कौन साहब बोल रहे हैं। समझे नहीं, बोले जायेंगे। खैर। सन् 1918-20 में जितनी चोरियां होती थीं यहां 1960-61 में भी उतनी ही। आंकड़े यह साबित कर रहे थे। चोरियां और दो तीन जुर्म और इसी तरह के होते हैं जिनको छिपाया जा सकता है। मर्डर और डकैती को तो छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने मुझको आंकड़े दिए और कहा कि रिपोर्टिंग ठीक नहीं हो रही है। मैंने क्राइम रिपोर्ट्स मंगायीं और उनमें यह फैक्ट्स थे। मैंने हुक्म दिया कि सारे क्राइम्स दर्ज होंगे चाहे तहकीकात हो या न हो सके। आफिसर्स की कमी है तो बढ़ाए जायेंगे। नतीजा यह कि फिगर्स दुगनी हो गयीं क्योंकि सारी रिपोर्टिंग होने लगी। जैसे ही मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हटा क्राइम फिगर फिर कम हो गयी, मतलब यह कि रिपोर्टिंग कम हो गयी। लिहाजा एफ0आई0आर0 की तादाद पूरी तरह से निर्णायक नहीं है कि क्राइम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। यह ट्रुथ है। लिहाजा अगर कल आप रिपोर्ट मंगाकर बतलाना भी चाहें तो वह फिगर्स कंविंस नहीं करेंगी। क्राइम बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले दो-तीन साल में पुलिस का 24 करोड़ से 45 करोड़ का बजट हो गया। अब मैं दो-तीन मिसालें पुलिस एटीट्यूट की देता हूं। गोरखपुर के कोतवाल। वहां एक जर्नलिस्ट हैं जिनकी सब इज्जत करते हैं। उनके लड़के को एक मामले में फांसा...

एक सदस्य—

अब इंस्पेक्टर हो गए हैं।

चौधरी चरण सिंह—

अब इंसपेक्टर हो गये होंगे। उनका फार्म भी है। पहले बहू के नाम था अब भतीजे के नाम कर दिया। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एक लम्बा प्रस्ताव पास किया। जर्नलिस्ट

[चौधरी चरण सिंह]

का नाम मुन्ना लाल है। उनके लड़के को भी जानता हूं वह भी जर्नलिस्ट का काम करता है। उनके बड़े भाई मेरे पास आए और जो बर्ताव हुआ वह तफसील से सुनाया। जर्नलिस्ट एसोसिएशन का रेज्योलूशन भी दे गए। उनका ट्रांसफर आर्डर हो गया। दूसरा अफसर भी आ गया। लेकिन वह किसी बिना पर रुके हुए हैं और वह यह कि कोई कैन्सर से बीमार है। अब आप सोचें कि कैंसर का इलाज गोरखपुर में अच्छा हो सकता है या कि लखनऊ में। वहां जो एस0पी0 गए हैं उनके खिलाफ भी लम्बी-चौड़ी शिकायत आई है। उसको भी छोड़ें। मैं ज्यादा वक्त हाउस का नहीं लूंगा।

मुजफ्फरनगर का मनेडा गांव है। डकैती पड़ती है। गांव वालों का कहना है कि डकैतों में दो पुलिस कांस्टेबुल थे जिनको उन्होंने पकड़ा। एक पकड़ा गया जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। गांव वालों का कहना और है। पुलिस कहती है कि पीटा। हो सकता है। केस चलना चाहिए। लेकिन यह राज की बात है। 50-60 पुलिस वालों के साथ सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस पहुचते हैं। साथ में कई थानेदार मौजूद हैं। वह सूबेदार छुट्टी पर आया था, जिसके घर मे दोनों कान्सटेबुल बंद किये गये। उनको गिरफ्तार करके पीटा जाता है। उसका छोटा भाई जब बचाने के लिए जाता है, उसे गोली मार दी जाती है। उसके रिश्तेदार को, जो वहां आया हुआ था, गोली मार दी जाती है। अन-आर्म्ड आदमियों को 50-60 आदमियों की मौजूदगी में गोली मारी जाती है। गवर्नमेंट ने पुलिस को बन्दूक दी है और देना पड़ेगा। सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस को पावर भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस पावर का चेक नहीं रखेंगे तो उसका दुरुपयोग होगा। लम्बी कहानी है। यहां एक ऐसे एम0 एल0ए0 भी हैं, जिनको इस घटना के बारे में इल्म है और उनको भी पीटा गया थाने में। लेकिन आज तक कोई सस्पेंड नहीं है। मैंने होम सेक्रेटरी से कहा तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफर कर रहे हैं। वैसे उस सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस को वहां 3 साल हो गये हैं। उसके खिलाफ पहले से भी कई शिकायतें थीं। मीरपुर वगैरह की शिकायतों का जिक्र है। क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया गया ? उसके खिलाफ रिपोर्ट है। हजारों आदमियों के सामने की बात है कि अन-आर्म्ड आदमी वे थे, जिनको मारा। सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस ने दिन-दहाड़े सूट कर दिया। क्या मतलब है ? पुलिस को कौन काबू करेगा। कौन मालिक है ? आप या पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ? या सब-इंसपेक्टर ?

पी0 ए0 सी0 का रिवोल्ट हुआ। कान्स्टेबिल को किस बात की शिकायत थी ? अफसरों के व्यवहार की ? पुलिस कमान्डेन्ट, पी0ए0सी0 के सलूकात से शिकायत थी ? मैंने पूरी रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी. . . लेकिन एक बुकलेट छपाई गयी थी, जिसमें बीसों शिकायतें थीं, इमालूमेंट्स वगैरह को लेकर, लेकिन मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसका इलाज क्या सोचा गया ? एक डी0आई0जी0 की जगह 5 डी0आई0जी0 कर दिये गये और न मालूम कितने सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, पी0ए0सी0 में मुकर्रर कर दिये गये। क्यों ? पहले एक डी0आई0जी0 था और अब 5 डी0आई0जी0 और एक आई0जी0। क्या अफसरों की तादाद बढ़ा देना ही समस्या का सल्यूशन है ? अफसरों की संख्या केवल बढ़ा दी लेकिन उन पी0ए0सी0 के कर्मचारियों की शिकायत को किसी ने सुना नहीं। न चीफ मिनिस्टर ने सुनी, न डी0आई0जी0 ने सुनी और न आई0जी0 ने सुनी। कमान्डेट और सुपरिन्टेन्डेट आफ पुलिस उनसे बेजा काम लेते हैं, यही उनकी शिकायत थी। सल्यूशन इसका करना चाहिये था। लेकिन सल्यूशन क्या किया ? एक की जगह 5 डी0 आई0 जी0 बढ़ा दिये और एक आई0जी0 कर दिया। ठीक है। मैं उन आई0जी0 को जानता हूं। वह नं0-1 आदमी हैं। श्रवण टंडन हैं, जो दिल्ली से आये हैं। लेकिन यहां पी0 ए0 सी0 की समस्या को हल करने की जरूरत क्या थी ? जरूरत थी कि उस डी0 आई0 जी0 को बदलना चाहिये

था । वह निकम्मा अफसर था । लेकिन आपने 5 डी0आई0जी0, पी0ए0सी0 और एक आई0जी0, पी0ए0सी0 बना दिया । इसके अलावा 4 आई0जी0 और एक सुपर आई0 जी0 हैं । मि0 ए0के0दास को आई0जी0 जनरल बना दिया है, उसी प्रकार जैसे आई0 ए0 एस0 में एक प्रिन्सिपल सेक्रेट्री बना दिया गया है । आई0जी0 रेवेन्यू पुलिस, आई0जी0, पी0ए0सी0, आई0 जी0 इन्टेलीजेंस और आई0 जी0, सिविल डिफेंस . . . ये 4 आई0 जी0 बना दिया अब एक की जगह 4 झगड़े होंगे । जरूरत थी कि 4 आई0 जी0 बनाने के बजाय, उनको एडीशनल आई0जी0 बना देते या ज्वाइन्ट आई0जी0 बना देते । लेकिन आई0जी0 इन्चार्ज एक रहना चाहिये था । अलहदा-अलहदा कर देने से कैसे उनमें वाटर-टाइट कम्पार्टमेंट कन्ट्रोल हो सकता है? आई0जी0, इन्टेलीजेंस एक तरफ, आई0 जी0, रेवेन्यू पुलिस एक तरफ, आई0 जी0 पी0ए0सी0 एक तरफ और आई0जी0, सिविल डिफेंस एक तरफ यह टाप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन और मुख्य मंत्री इसे डिफेन्ड करेगा । हर चीज डिफेन्ड की जा सकती है । यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिये ।

आई0जी0 केवल एक होना चाहिये । जिसकी ओवरआल रिस्पांसिबिलिटी हो । एस0पी0 अथवा डी0आई0जी0 नहीं सारा काम सब इन्सस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डी0एस0पी0 करता है । हेड कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिल अलग हैं । एस0पी0 कुछ नहीं करता है । अंग्रेजों के जमाने से एक पुराना आर्डर चला आ रहा है मर्डर हो जायगा तो एस0 पी0 उस गांव में रात बितायेगा । जब मैं होम मिनिस्टर हुआ तो एक रिपोर्ट मंगाई कितने मर्डर हुये और कितनी जगह मौके पर एस0पी0 पंहुचे । बहुत कम । तो ऐसे रूल से क्या फायदा जो अमल में न आ सके । तो मैंने कि डी0 एस0 पी0 जरूर जायगा । मैं समझता हूं कि अब डी0एस0पी0 भी नहीं जाता होगा । अपने जिले की मैं जानता हूं कि चार दिन तो सब-इंस्पेक्टर ही नहीं गया मर्डर के केस में । रात की गश्त करनी है एस0पी0 को । उसका नम्बर फिक्स है रात को अथवा दिन को इंस्पेक्शन करने का । आप रिपोर्ट मंगाइये कि एस0 पी0 ने महीने भर में अथवा साल भर में कितना इंस्पेक्शन किया ? पता चलेगा कुछ नहीं । एस0 पी0 सिवा बासिज्म कर ने के कुछ नहीं करता । मेरा सजेशन है कि जो इंवेस्टिगेशन करे उसी की जिम्मेदारी कर दो । नीचे के लोगों को गायडेन्स भी नहीं दी जाती । इस तरह एस0 पी0 कुछ नहीं करता । डी0 आई0 जी0 बिलकुल निकम्मा है । कुछ नहीं करता । एबसोलू-टली कोई दिलचस्पी उसे नहीं होती चाहे कितना जुल्म हो जाय । कभी गायडेन्स नहीं देगा कोई मामला हो सी0आई0डी0 के सुपुर्द हो जायगा । करप्शन की इंक्वायरी अपने हलके में खुद डी0 आई0 जी0 कर सकता है बड़े अफसरों के खिलाफ लेकिन नहीं सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द जिसमें दो साल लग जायेंगे ।

सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर शिप के लिये और इंस्पेक्टर का डी0 एस0 पी0 के लिये वह केवल एस0पी0 के डिस्क्रिशन पर है । चन्द आफिसर्स होते हैं जैसे डी0आई0जी0 वगैरह । यह नहीं होना चाहिये । होता यह है कि जो सब इंस्पेक्टर एस0पी0 की ज्यादा खुशामद करता है, उसकी खातिर में ज्यादा रहता है उसका प्रोमोशन और जो एफिशिएंट आदमी है, ईमानदार है उसका प्रोमोशन नहीं होता । लिहाजा मेरा सजेशन यह है कि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिये बाकायदा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होना चाहिये ताकि ईमान-दार आदमी को तरक्की मिलने का मौका होगा और इससे एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट भी होगा इसी तरह से एस0पी0, एस0 ओ0 बना देता है जिसको वह चाहता है । अधिक से अधिक डी0आई0जी0 से सैंक्शन ले लेता है । ऐसे केसेज मालूम हैं कि ईमानदार तथा सीनियर आफिसर को न बना कर जूनियर तथा बेईमान आदमी को एस0ओ0 बना दिया गया और ऐसा जूनियर जो कन्फर्म्ड भी नहीं और शायद उस पर केसेज भी चल रहे हैं । वह एस0ओ0 बना

[चौधरी चरण सिंह]

दिया जाता है । ऐसा नहीं होना चाहिये । इसकी भी लिस्ट होनी चाहिये और वह लिस्ट मेरिट्स के बेसिस पर होनी चाहिये । बम्बई तथा पंजाब में यह नहीं है जब चाहा एस0ओ0 को हटा दिया और जिसको चाहा रख दिया। बकायदा एस0ओ0 के खिलाफ डिस्पिलिनरी प्रोसीडिंग्स होती है तब जा कर वह हटाया जाता है और दूसरा एस0ओ0 वहां बिठाया जाता है । यहां का नियरेस्ट ह्विप आफ दि एस0पी0 इज डी0वाई0एस0पी0 । हमारी इफिशियेन्सी आज पुलिस की वजह से सफर कर रही है । पहले तो मेरी नोटिस में यह बात कोई नहीं लाया था । अब मेरी नोटिस में यह आया है । इसलिये मैं माननीय बहुगुणा जी से कहूंगा कि वे इस पर अमल करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, एस0आई0 के कैरेक्टर रोल में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस एन्ट्री करता है। पहले डी0एम0 भी किया करते थे । मुझे ठीक से याद नहीं है । हो सकता है मेरी राय से ही यह चेंज हुआ हो कि एस0 आई0 के कैरेक्टर रोल में डी0एम0 एन्ट्री नहीं करेगा । लेकिन अब अफसरों का कहना है कि डी0एम0 की राय उसमें होनी चाहिये । अगर दोनों की एक राय हो तो ठीक है अन्यथा यदि अलग-अलग उनकी राय हो तो तब वह मामला डी0आई0जी0 और कमिश्नर को जाता है । डी0एम0 के पास भी खबर आती रहती है । अंग्रेजों के जमाने में भी यह था ।

अब मैं डी0वाई0एस0पी0 के रिवाइज्ड स्केल के बारे में कहना चाहता हूं कि 1 अगस्त, 72 से उनका स्केल अभी तक फिक्स नहीं हुआ है । बहस इस बात पर है कि डी0ए0 जो अफसरों को मिलता है और जो स्पेशल पे मिलती है उसमें पे फिक्सेशन में किसको जोड़ा जाय। स्पेशल पे मिलने की वजह से उनका डी0ए0 कम हो जाता है तो कौन सी रकम डी0ए0 या स्पेशल पे में जोड़ी जाय ? यह झगड़ा है । दो साल हो गये, अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ । मोटी सी बात है । नतीजा यह हो रहा है कि उनको पे के फिक्सेशन न होने पर टी0ए0 में नुकसान हो रहा है, इन्क्रीमेंट सेलेरी में नुकसान हो रहा है और एनुअल इन्क्रीमेंट में नुकसान हो रहा है तथा हा उस रेन्ट में नुकसान हो रहा है । और भी कई डिफीकल्टीज हैं । सी0आई0डी0 के जो एस0पी0 हैं उनको मेंटीनेंस एलाउन्स भी कम मिलता है । तो इन सब बातों की तरफ आप ध्यान दें ।

अब मैं करेप्शन के बारे में बताता हूं । मेयोहाल का ही मामला है । इलाहाबाद के आप रहने वाले हैं, काबिल आदमी हैं। पहले आप सेन्टर में कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे । हर आदमी वहां का आपको जानता है । मेरी नोटिस में यह मामला आया और आपकी नोटिस में नहीं आया तो मैं यही कहूंगा कि आप इस मामले में आइसोलेटेड रहे हैं । जब आपके नोटिस में आया तो आपने उनका जवाब तलब किया ? उन्होंने उसका उटपटांग जवाब दे दिया जिस पर कि आप किसी तथ्य पर नहीं पंहुच सके । क्यों ? यह मामले बड़े आदमी का आपके जिले का है । आपको इन्डिगनेशन क्यों नहीं हुआ । जब मैंने उस रोज आपको ध्यान दिलाया तो आप कहने लगे कि गुस्सा क्यों होते हैं मेरे जमाने में कोर्ट में लोग गये थे और छूटने लगे । मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट से तो कत्ल के मुकदमें भी छूट जाते हैं । तो आपको करेप्शन के खिलाफ सख्त आर्डर करने चाहिये क्योंकि वे अब इतने बढ़ गये हैं कि आसानी से हरेडिकेट होने वाले नहीं हैं । लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि केवल डिसीप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करने से करेप्शन मिटने वाला नहीं है ।

हमारे जितने ऊपर के आदमी हैं—चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स और अन्य लीडिंग आदमी, पब्लिक लाइफ के लीडिंग आदमी—दे विल हैव टू सेट एन एक्जाम्पल । केवल पोलिटिकल अथारिटी नहीं इसके लिये मारल अथारिटी भी जरूरी है । यदि चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर के पास मारल अथारिटी नहीं है तो अफसर बईमान हो जायेंगे जो आज बेईमानी नहीं कर रहे हैं केवल आपके ब्रेव स्टेटमेन्ट से यह भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है । सन् 1960 के उस पीरियड में ज्यादा सजा मिली थी, जब मैं होम मिनिस्टर था । सन् 61 में कम सजा मिली थी और

तीन महीने के अन्दर फरवरी, 61 में बजट का जो सेशन होता है, उसमें सब अपोजीशन पार्टीज के लोगों ने कहा था–दियर एज ए वास्ट इम्प्रूवमेंट इन दि पुलिस । यह पसनल बात मझे नहीं कहनी चाहिये थी, किन्तु मौका ऐंसा था कि मुझे कहना पड़ा । मैं कहता हूं कि पिछले साल कितनों को सजा मिली ? सजा कम इम्प्रूवमेंट ज्यादा । अब ज्यादा सजा देने के बजाये, किसी को कम और किसी को ज्यादा देना और अपनी वाहवाही दिखाना इससे काम नहीं चलेगा । अपनी गल्तियों और कमजोरियों को छिपाने से वे खत्म नहीं होंगी । एक-एक लफ्ज के लिये आप किस तरह से पीठ ठोंकते हैं, वह किसी से छिपा नहीं है । किसी का कन्फरमेशन करते हैं, किसी को डिमोट करते हैं । इस सबका प्रशासन पर असर पड़ेगा यदि आप एक गलत काम करोगे, तो नीचे के लोग सब गलत काम करेंगे । मैं आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय, पी0 आर0 ए0 आई0 में एक अफसर हैं, उनके खिलाफ शिकायत हुई कि वह फर्स्टक्लास का चार्ज कर रहे हैं, जबकि ट्रेवेल किया है थर्ड क्लास में । मुझे यह सब एक साहब ने लिखकर दिया है । तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाये, उनको 10 जून को आपने कन्फर्म कर दिया है । आपको मालूम करना चाहिये कि किसने आपको मिसलीड किया है । उनका कन्फर्मेशन तो हटना ही चाहिये, उस पर समुचित कार्यवाही भी होनी चाहिये । यदि मेरी जानकारी सही है । साथ ही जिसने कन्फर्मेशन को सही बताया है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, तराई से बाजरे का किस्सा हुआ, उसके बारे में राजेन्द्र कुमारी जी कहती थीं कि 4 दिन में रिपोर्ट आ जायगी । वह मामला सी0आई0डी0 को सुपुर्द करने लायक नहीं था । उसमें एक मिनिस्टर साहब के साहबजादे शामिल थे, वह उनके नाम को छिपा रही थीं, मैंने सुना है कि कल कौंसिल में होन वाली डिबेट के समय उन्होंने इस चीज को माना है कि उसमें केन्द्रीय मिनिस्टर साहब के लड़के का हाथ भी बताया जाता है । मार्च में ही मैंने सुना था कि श्री डी0पी0सिंह ने चिट्ठी लिखी है कि यहां से बहुत पडी बाहर जा रहा है । सरकार के उसी समय से कान खड़े होने चाहिये थे और कड़ा एक्शन लेना चाहिये था । एक तुलाराम नामक मार्कटिंग इंस्पेक्टर हैं, जो बड़े ईमानदार व्यक्ति है । उन्होंने उस कांड को पकड़ा, पूरी रिपोर्ट लिख दी, ट्रक का , फर्म का नम्बर लिखकर दे दिया । अब इसके आगे यह होता है कि अगले दिन बड़े लोगों के लोग जाते हैं और उस को डांटते हैं । यह और कहीं ममकि नहीं है । सब हिन्दुस्तान में और कांग्रेस की गवर्नमेंट के मातहत मुमकिन है । वह उससे कहते हैं, जो इसमें दिया हुआ है:—

"व्हेयर इज ब्लेडी एस0एम0 आई0 । ही शुड बी शाट डेड । हमारा ट्रक रोक कर साला नौकरी करेगा । सुबह होते होते उसे अपनी डियूटी फुल नेस का मजा मिलेगा । कड़-कड़ाती आवाज में कहते हुये हरे रंग की एम्पाला जसी कार से कुछ युवक नीचे उतरे । एस0 एम0 आई0 को घूरते हुये एक ने कहा हम सब अमुक केन्द्रीय मंत्रियों तथा भूतपूर्व गवर्नर के सुपुत्र और उसी फर्म के भागीदार है जिसके धान का ट्रक रोकने की तुमने हिमाकत की है । क्या तुम्हें रिश्वत नहीं मिली, इसलिये ! देखो खुद खता खाओगे । हमारा क्या बिगड़ेगा । यह धान ऐसे ही जायेगा जैसे जाता रहा है । तुम्हें कागज देखने से मतलब था या असलियत जान कर आफत मोल लेने से । हमारी पावर न होती तो हमें परमिट मिलता ? जरा सोचो । दिन था 5 मई, 1974 की संध्या और स्थान था रुद्रपुर गल्ला मंडी में प्रकाश चन्द्र विजय कुमार की आढ़त के सामने । एस0एम0 आई0 तुलाराम, अपराधी की भांति अवाक खड़े थे । क्या कहते ? अंग्रेजी भाषा म अपशब्द और समाजवादी महापुरुषों के नामों का रोब उनके परों की जमीन खिसका रहा था । दशक लोग सब अभिनय सा देख रहे थे । 4 मई, 1974 को एस0एम0आई0 न ट्रक नम्बर यू0एस0आर0 3718 को रोका । ड्राइवर की बातचीत से सन्देह हुआ । कागजात मांगे तो 2 कागज मिले । बिल्टी और एक लटरपैड

[चौधरी चरण सिंह]

जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के भतपूर्व डिप्टी सेक्रेटरी का था और जिस पर लिखा था–विष मिश्रित धान का बीज । मनुष्य के खाने अयोग्य जाति आई 0आर 0 24, शुद्धता 98 प्रतिशत । वास्ते एग्रों मारकेंटिंग आरगेनाइजेशन 212 सूर्य किरण । कस्तूरबा गांधी मार्ग, दिल्ली, जांच करन पर पता चला कि माल नैनीताल जिले के प्राग फार्म से खरीदा गया जिसमें 170 कट्टों पर विधिवत् बीज क लेबिल लगे थे लेकिन धान में बीज होने के कोई गुण चिन्हित नहीं दिखायी दिये । फलतः एस 0एम 0आई 0 ने रुद्रपुर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करा दी । ड्राइवर व क्लीनर को बन्द कर दिया ग या । अगले दिन 5 मई को कथित फार्म के मालिक ही अपने इसी ट्रक को छुड़ाने तथा भविष्य,. के लिये एस 0 एम 0 आई 0 को ताना देने आये थे जिनकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करा दी गयी ।"

खेदजनक पहलू यह है कि सुरक्षा कानून की धारा का प्रभाव केवल ड्राइवर तथा क्लीनर पर ही हो कर रह गया है । फर्म के मालिकों तथा केन्द्रीय मंत्रियों के सुपुत्रों के मौजद रहते हुये भी उस पर हाथ डालने का साहस नहीं किया गया । जब कि अपराध के विषय में इतना तो निश्चित हो चुका था कि वह बीज के नाम पर बड़े पमाने पर तस्करो का धंधा है "वह कहता है, पिछले दो महीनों में अब तक लगभग 5 लाख कुन्तल धान दलपतपुर रेलवे स्टेशन से गुजरात जा चुका है ।" (व्यवधान) हम क्या बतलायें । हमारे पास फाइल नहीं है, कौन-सा जिम्मेदार है । जब बड़ लोग रक्षा करेंगे तो छोटे लोग जरूर करेंगे । मैं अपने माननीय दोस्तों से बताना चाहता हूं कि आप देश की सेवा करने आये है । क्या इस तरह भ्रष्टाचार दूर हो पायेगा । आपके बड़े-बड़े लोग करप्शन में शामिल है । नाकाबिल इस किस्म के आदमी गलत ढंग से, एम 0 ए ल 0 ए 0 चुनकर आ जात है । मैंने स्वयं उनको देखा नहीं है । जब उनको टिकट मिला था तो वहां के कांग्रेसमेन ने बड़ी शिकायत की थी, जिनको आगे करके बाजरा स्कैंडल हुआ, अब धान का स्कैंडल हुआ । इसको सी 0आई 0डी 0 को सुपुर्द करने की क्या जरूरत है ? ताकि 6 महीने में सब लोग भूल जयं । मामूली पुलिस बड़ी आसानी से जांच कर सकती है । लेकिन कोई जाना, सब-इस्पेक्टर उसकी तफतीश कोई जगजीवनराम जी के घर जा कर कर सकता है ? अगर कोई ऐसी हिम्मत करेगा तो अगले रोज सस्पेंड हो जायगा । निक्सन के एक सबार्डिनेट ने निक्सन पर 14 हजार डालर की पनाल्टी कर ी और नोटिस दे दिया इतना इनकम टैक्स जमा कर दो । क्या हमारे यहां यह मुमकिन है ?

माननीय मुख्य मंत्री जी नाराज न हों । कोई मेरा मंशा नहीं । मैं चाहता हूं कि हमारा मुल्क जिस तरह आपकी उम्र कम है, आपने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, हमने अंग्रेजों के जमाने में जो ख्वाब देखे थे। अपने मुल्क के लिये वह कैसे पूरा हो, सब डूब गया । उम्मीद थी कि यह मुल्क 10 साल, 50 साल आगे बढ़गा लेकिन दुनिया में कोई इज्जत नहीं । मैंने जो बातें कहीं आपको परसनल लगी होगी और हैं । लेकिन आपसे बड़ा भारी लैप्स उरई के मामले में हुआ । आप दुरुस्त कीजिये । अगर आपन दुरुस्त कर दिया तो लोग समझेंगे कि आपन एकसां बरताव किया । आप उनको वापस लीजिये, देवेन्द्र कुमार यादव और सुशीला के गार्ड को या बुलन्दशहर की उस बेवा को भी गाड़ दीजिये । आप मालूम कर लें कि कोई खतरा है या नहीं । यदि आप ऐक्शन लेते हैं तो आपकी वाह वाह होगी । आप मुझ से नाराज न हों कि चौधरी साहब बड़े वसे आदमी हैं उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है । मैंने कोई ज्यादती नही की है। मेरे जमीर का तकाजा था । मजबूर होकर मैंने किया है ।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय गौरीशंकर राय जी, एम 0 एल 0 सी 0 हैं उन्होंने एक चिट्ठी मुख्य मंत्री जी को लिखी है । हिन्डालकों का किस्सा आपको मालूम है । हिन्डालको पर करोड़ों रुपया बकाया है । 1967 म उसका कनेक्शन काट दिया गया था । लेकिन

फिर से उसे हाई कोर्ट से स्टे मिल गया । हुआ यह कि हिन्डालको के मालिक अपील में चले गये । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले विद्युत परिषद् का ढाई करोड़ रुपया दाखिल कर दो तब कनेक्शन मिल सकता है । इसमें जो हुआ है उसको सुनिये । गौरीशंकर राय जी ने चिट्ठी लिखी है । उसकी कापी मेरे पास है । उससे आप सब लोगों को हिन्डालको की कहानी मालूम हो जायेगी । पहले उन्होंने मुझ से जिक्र किया था तो मैंने कहा था कि उस पत्र की एक कापी मेरे पास भेज देना । वह इस प्रकार है कि:—

मान्यवर,

आपको ज्ञात होगा कि बिड़ला की अल्म्यूनियम फैक्ट्री, हिन्डालको के यहां काफी दिनों से बिजली का महसूल बाकी है । उक्त कम्पनी किसी न किसी बहाने अदालत की शरण लेकर सरकारी रुपया नहीं देती है । उस कम्पनी पर इतना बड़ा सरकार का बकाया है कि उसी रुपये का सूद प्रति वर्ष बिजली का किराया जो कम्पनी देती है, उससे अधिक है । इससे तंग आकर कुछ साल पहले विद्युत परिषद् ने हिन्डालको की बिजली काटने की आज्ञा दे दी थी । लेकिन उक्त कम्पनी ने अदालत से उसे रुकवा लिया । मुकदमा चलता रहा । पिछले साल हाई कोर्ट, इलाहाबाद ने हिन्डालको की बिजली काटने की इजाजत दे दी और बिजली काट दी गई । इस फैसले की अपील हिन्डालको के व्यवस्थापकों ने सुप्रीम कोर्ट में की और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि हिन्डालको को बिजली तभी दी जायेगी जब एक निश्चित धन जो लगभग ढाई करोड़ से अधिक था, वह सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम कम्पनी जमा कर दे । कम्पनी ने उक्त धन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम जमा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के मुकदमें की सुनवाई शुरू हो गयी । गत विधान सभा के चुनाव के करीब डेढ़ महीने पहले जब कि आप इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे उस समय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रुख हुआ कि जो रुपया रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट, के यहां जमा था उसको विद्यत परिषद् को दिला देंगे । जिस दिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने वाला था उसी दिन हिन्डालको के व्यवस्थापकों ने एक दरख्वास्त दी कि वे विद्युत परिषद् से आपसी समझौते के लिये समय चाहते हैं । यह समय उन्हें मिल गया । इस बीच में राज्य विद्युत परिषद् ने मात्र 60 लाख रुपये जमा करा कर बाकी रुपया हिन्डालको के व्यवस्थापकों को लौटा देने के लिये स्वीकृति दे दी और रुपया हिन्डालको के व्यवस्थापकों को लौटा दिया गया । मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि हिन्डालको के व्यवस्थापकों ने जिस समय बिजली काटी जा रही थी, उस समय तत्कालीन मख्य मंत्री, पंडित कमलापति त्रिपाठी, से एक करोड़ रुपया तुरन्त जमा करने और बाकी रुपये की किस्त बनाने का निवेदन किया था जिस पर मख्य मंत्री तैयार न हो सके । मुझे यह नहीं मालूम हुआ कि जिस रुपये की वसूली के लिये सरकार इतने दिनों से मकदमा लड़ रही थी उस रुपये को फिर उन्हें लौटा देने के लिये क्यों स्वीकृति दे दी । मुझे जानकार सूत्रों से मालूम हुआ है कि आपके निर्देश पर विद्युत परिषद् ने ऐसा किया और अगर आपने ऐसा निर्देश नहीं दिया तो सार्वजनिक धन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने के लिये राज्य विद्युत् परिषद् को माफ नहीं किया जा सकता । आज जब हमारे राज्य में एक एक पैसा आर्थिक कठिनाई में है, ऐसी स्थिति में इन धनपतियों के साथ इस रियायत की बात समझ में नहीं आती जब कि रुपया विद्युत परिषद का है ।

इस सम्बन्ध में इस पत्र के अन्दर इसकी पूरी पृष्ठ भूमि का विवेचन सम्भव नहीं है लेकिन यह एक प्रदेश के लिये बड़ी ही दुर्भाग्य पूर्ण बात है और विशेषतौर से आज की आर्थिक स्थिति से यह बात कल्पना के बाहर है । मैं इस मामले पर पूरी छानबीन तथा स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता हूं ।

आपका
गौरी शंकर राय,
एम0 एल 0सी ।

[चौधरी चरण सिंह]

प्रतिलिपि:

1—चौधरी चरण सिंह, नेता विरोधी दल, विधान सभा ।

2—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, नेता, जनसंघ, विधान सभा ।

गौरी शंकर राय,
एम0 एल0 सी0 ।

अब इसमें किसी कमेन्टरी की जरूरत नहीं है। आप इसको देखें। अधिष्ठाता महोदय, यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्लेम किया कि मेरे जमाने में 8 लोगों को डिसमिस किया गया। एस0 बी0 डी0 साढ़े दस महीने रही थी और रिपोर्ट आती है फाइनल 3-3 वर्ष में। इसलिये नहीं कर सकते। जो इन्क्वायरी है उस पर क्या होगा ? आप 2-3 महीने म डिसमिस कर नहीं सकते। अधिष्ठाता महोदय, अब एक तहसीलदार का मामला सुनें, मछली शहर, जौनपुर का है। उसके ट्रांसफर का हुक्म हो गया। मई के महीने में। उसके आनर में एट होम हुआ। यह तहसीलदार करप्ट था। तो एटहोम होने के बाद पान तकसीम हुये। एक साहेब ने पूछा कि अब कहां थूकें। इसको सब ने पकड़ लिया और कहा कि इसके मुंह में थूक दो। पान उसके मंह में थूक दिया। ऐसा मुझे बताया बहुत जिम्मेदार आदमी ने। उस तहसीलदार का ट्रांसफर रुक गया। मालूम ऐसा होता है कि शायद ऐट होम का ढोंग इसीलिये रचा गया था कि ताकि उसे बदला जाय क्योंकि वह बेईमान है। वह ईमानदार हो सकता है। हो सकता है कि मेरी इत्तला गलत हो। खुले आम उसके मुंह में जब आदमी ने थूका तो उसका ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया, उसका ट्रांसफर क्यों रुका ? मैंने शुरू में कह दिया कि मछली शहर में वह तहसीलदार है और अगर मैंने जौनपुर ही कह दिया तब भी काफी है। लेकिन सारा सवाल कि जिस ऐडमिनिस्ट्रेशन में यह हो रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन उस जिले म यह हो रहा है, वह डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट कैसा है ? और आपके कान में जूं नहीं रेंगती है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय बहुगुणा जी ने गालिबन बजट के डिबेट का जवाब देते हुये एक-दो बात कही और उन्होंने यह कहा कि सब मिल कर एक पार्टी हो जायें। तो मैं तो उस दिन का इन्तजार कर रहा हूं कि जब गैर कांग्रेस पार्टी एक होकर, एक पार्टी बना लें और मैं देखूंगा और उनका मोगालता जो है वह कैसे पूरा होगा। यह 68 से 32 कैसे हो जायेंगे। सुन लीजिये 71 म 48, 49 थे और अब रह गये 72 और नत्थूरपुर में रह गये 28। आपने जो कहा कि 32 जो है इनके मकाबले में 68 नहीं जीत सकेगा, तो वह 68 कैसे जीत सकेगा। 68 के वह 31 कैसे हो जायंगे । वह मुझको मालूम है । अगर वही रहा तब तो हमारी समझ में आता है और कोई रहा, यह नहीं है कि 68 माने 31 । वह आप करिये । फिर आपने एक बात कही अन्त में कि जो डिमोक्रेसी के खिलाफ और डिमोक्रेसी के माने बहुगुणा की गवर्नमेंट । जो बहुगुणा की गवर्नमेंट के खिलाफ एजीटेशन माउन्ट करेगा वह वह क्रश कर दिया जायगा । मानता हूं, बहुगुणा जी आपकी उम्र कम है, नवजवान आदमी हैं जोश है, होना चाहिये था, नवजवान आदमी हैं। लेकिन यह पावर जब निभेगी जब आप विनयशील होकर रहेंगे । अभिमान म रह कर यह सब नहीं हो सकता है। आप सब बहुत बड़े-बड़े लोग हो चुके हैं। इतिहास में बड़ी-बड़ी फीगर्स आप सब की रहेंगी । लेकिन इस अभियान के सामने सबका सिर नीचे हो रहा है। आप हमें तो क्रश करवा दीजिये लेकिन अगर इस प्रकार गवर्नमेंट बनती रही और पोलिटिशियन्स के अगर यही स्टण्डर्ड रहे, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी । जनता का वह उबाल उठगा कि आप जैसे आदमी उसको रोक नहीं पायेंगे । मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करता, म तो उसका जवाब दे रहा हूं। आपका यह बराबर कहना है कि क्रश कर देंगे ।

नहीं कहना चाहिये। आपको कहना चाहिये कि भ्रष्टाचार नहीं रहेगा और दिल्ली से यहां तक लेकर भ्रष्टाचार मिटा दिया जाय। तो ये अफसर तो उसी समय मिट जायेंगे। बिना कुछ कहे ही मैं एक बात कहकर समाप्त कर देता हूं।

माननीय प्रभुनारायण सिंह जी ने कहा कि बड़ी फैक्टरीज की भी जरूरत है। कौन कहता है कि जरूरत नहीं है? इस संदर्भ में अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय प्रभुनारायण सिंह जी और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कन्फ्यूशश चीन के एक सेज हुए हैं और दुनिया के जो 12 आदमी, महापुरुषों में आते हैं, उनमें एक हैं। जब उनके पास एक जिज्ञासु जाता है और पूछता है कि किसी राजा और राज्य के लिये 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन-सी हैं तो कन्फ्यूशश कहता है कि सफिशिएन्सी आफ फूड, सफिशिएन्सी औफ मिलिट्री पावर और सफिशिएन्सी औफ पाप्युलर फेथ इन दि गुड इन्टेशन्स औफ दि गवर्नमेंट। खाद की बाहुल्यता, मिलिट्री के सामान की बाहुल्यता और जनता का अपनी गवर्नमेंट की नेकनीयती में विश्वास। जिज्ञासु फिर पूछता है कि अगर इन 3 चीजों म 2 ही हों तो कौन सी को छोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम मिलिटरी पावर को छोड़ने के लिये तैयार हैं क्योंकि आप कितनी ही स्टील और हैलीकोप्टर बना लीजिये अगर फूड न हुआ तो आपकी फौज लड़ नहीं सकती। तो एफिशिएन्सी औफ मिलिटरी पावर के बिना काम चल जायेगा अगर फूड है और पाप्युलर फेथ है। फिर वही जिज्ञासु आकर कहता है कि अगर ये 2 चीजें भी न हों तो उसे जवाब मिलता है कि फूड के बिना भी काम चल सकता है, लोग पानी पी-पी कर भी जिन्दा रह सकते हैं अगर जनता को अपनी सरकार की नेकनीयती और सद्चरित्रता में विश्वास है। आज सारे देश के अन्दर एकोनोमिक कन्डीशन्स खराब हैं, फूड का काम फूड से ही चल सकता है लेकिन अल्टीमेटली वह सेज कहते हैं कि इस बिना भी काम चल सकता है अगर जनता का सरकार की नेकनीयती में विश्वास है। अगर हम को फूड नहीं मिल रहा है। तो नमक खाकर भी रह सकते हैं। तो इस फूड को भी वापस ले लो। इसमें बहस का सवाल नहीं है इसमें दो रायें हो ही नहीं सकती हैं। आज जनता का आपकी पार्टी में विश्वास नहीं है और जब तक यह विश्वास नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सदन में अपना कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जिस तहसीलदार के ट्रांसफर और कैंसीलेशन की बात कही गयी, मैं वे तारीखें जानना चाहता हूं ?

चौधरी चरण सिंह—

मिड मई की बात है और मछलीशहर (जौनपुर) के तहसीलदार की बात है। सुना है कि उसका ट्रांसफर हुआ और फिर कैंसिल हुआ। और लोगों के बीच की बात है, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। आप मालूम कर लीजिये कि बात सही ह या नहीं ?

श्री आगा जैदी (जिला जौनपुर)—

मछली शहर का तहसीलदार करप्ट था। उसका ट्रांसफर हो गया है। वह वहां से चला गया। अब वह वहां पर नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

आप मंत्री जी को बतला दें कि वहां के तहसीलदार का ट्रांसफर हो गया है। उन्हें तो मालूम ही नहीं है।

एक सदस्य—

करप्शन की वजह से कोई कार्यवाही हुयी या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी वरना कार्यवाही अवश्य होती।

चौधरी चरण सिंह—

अब आप स्वयं मालूम करा लें ?

श्री अधिष्ठाता—

इस प्रकार से आप लोग बातचीत न करें ?

श्री गौरी शंकर राय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं चौधरी साहब का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने अपने लम्बे चौड़े व्याख्यान के अन्दर 2 बातें कहीं। मैं बड़ी शांति के साथ, उन्होंने जो आरोप हमारे ऊपर लगाये, उनको सुनता रहा। आज मैं देखता हूं कि माननीय चौधरी साहब भी सदन में हैं। हम जवानों के दिल में जो आक्रोश है, चौधरी साहब उस ओर थोड़ा ध्यान देंगे। मैं यह जनरल-ऐडमिनिस्ट्रेशन पर जो अनुदान प्रस्तुत हैं उसका समर्थन करते हुए माननीय चौधरी साहब के चरणों में कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूं। चौधरी साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता-तुल्य हैं, लेकिन अक्सर यह होता है कि जिस उम्र में आप पहुंच रहे हैं उस उम्र में कोई पहुंच गया हो तो उसकी बुद्धि का संतलन बिगड़ सकता ह, जैसा कि आपका बिगड़ गया है।

मैं प्रारम्भ करूं किस जगह से, यह समझ में नहीं आता, लेकिन संक्षेप में थोड़ा सा कहना चाहता हूं और उन्हीं सुरखीज पर बोलूंगा भी। माननीय चौधरी साहब, आप युवकों के विरोधी हैं।

चौधरी चरण सिंह—

नहीं हूं।

श्री गौरी शंकर—

आप महिलाओं के विरोधी हैं।

चौधरी चरण सिंह—

नहीं हूं।

श्री गौरी शंकर—

आप हरिजनों के बहुत विरोधी हैं। बहुत बड़े दुश्मन हैं। इन तीन सरखियों के अन्दर कुछ कहूंगा.....आप सुनते जाइये। आपको समय कभी मिले तो काट कर देना।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गौरी शंकर जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा....

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

व्यवस्था का प्रश्न है। यह कोई जनरल डिबेट नहीं ह....

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शान्त रहें। मैं गौरीशंकर जी से कह रहा था कि चौधरी साहब पर बहस नहीं है, सामान्य प्रशासन पर अपने विचार दें।

श्री गौरी शंकर––

मैं सामान्य प्रशासन पर बोल रहा हूं और यह अर्ज करता हूं चौधरी साहब का सामान्य प्रशासन क्या था और माननीय बहुगणा जी का सामान्य प्रशासन क्या है––उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)––

अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था चाहता हूं . . . . आप बैठ जाओ।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप सुनिये। आप स्वयं बैठें।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर––

जाट महान है, यह चौधरी साहब कहते रहे हैं। इस तरह से ये उसी दर्शन के पोषक हैं जैसा कि हिटलर का दर्शन रहा है। ये भी जाटों के लिये वही कहते रहे जो उसने जरमन के लिये कहा। इनकी जितनी भी नीति रहीं वह जाटों के लिये रहीं लेकिन चौधरी साहब को हिटलर का अन्त भी पता होगा। चौधरी साहब ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत कुछ कहा और कहा कि मैंने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बहुत कोशिश की। माननीय चौधरी साहब के सगे-सम्बन्धी, उनके जो बिरादरी के लोग चकबन्दी आदि विभाग में ह, मैं चुनौती देता हूं . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य––

व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान तथा शोर)

श्री सत्यपाल मलिक––

(हाथ में जूता लेकर) तुम्हारी राजनीति के लिये यही है।

अधिष्ठाता महोदय, आप सीमा बांधिये विवाद की।

श्री मुहम्मद असरार अहमद––

बन्द करो। (मेज थपथपाना शुरू किया। भारतीय क्रांतिदल के कुछ सदस्यों ने साथ में मेज थपथपाना शुरू किया।)

श्री गौरी शंकर––

आप सुनना नहीं चाहते तो मैं डंके की चोट से कहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता––

मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैंने इससे पूर्व भी दोनों पक्षों से आग्रह किया था, प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन मेरा आग्रह इतना ही

[श्री अधिष्ठाता]

है कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने से अगर कुछ लोगों को चिढ़ होती है तो आप ऐसे व्यक्ति का नाम न लें। मैं आपसे यह भी आग्रह कर रहा हूं कि सामान्य प्रशासन में बहुत सी बातें हैं जिनकी आपको चर्चा करनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर--

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने हरिजनों पर जो अत्याचार होते थे उनको मिटाने के लिये उस गरीब वर्ग के लोगों को थानेदार बनाया है और उस वर्ग विशेष के लोगों को एक विशिष्ट स्थान दिया है। कहना यह चाहता हूं कि नेता विरोधी दल ने अपने जमाने में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं की होगी जैसी व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है, 1500 सिपाही और 180 दरोगा के पद पर हरिजन नियुक्त कर के। इसके लिये उन गरीबों की तरफ से मैं माननीय बहुगुणा जी को बधाई देना चाहता हूं। पुराने प्रशासन में कभी कोई ऐसी बात नहीं की गयी कि गरीब वर्ग का कोई हाई कोर्ट का जज भी बना हो। आज मैं माननीय बहुगुणा जी को इसलिये भी बधाई देता हूं कि उनके विचार में एक मामला किसी हरिजन को हाईकोर्ट का जज बनाने का है। मैं उनको इसलिये भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार कदम उठाया है कि जिन विभागों में आरक्षण पूरा नहीं हुआ है उन विभागों को यह आदेश दिया है कि जब तक वह आरक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक उन विभागों में 50 प्रतिशत उन गरीब लोगों को ही लिया जाय। मैं नाम लेना नहीं चाहता लेकिन उस प्रशासन की बात करता हूं जिसमें कांग्रेस नहीं थी, बहुगुणा जी नहीं थे, नाम लेने से चिढ़ है तो मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर के नाम नहीं लेता हूं, लेकिन उस प्रशासन में एक अमुक मुख्य मंत्री रहे थे जिन्होंने अपने दामाद को जो सेक्रेटेरियट में में यू0 डी0 ए0 में था उसको पी0 सी0 एस0 के पद पर प्रोन्नत कर दिया था। आज वह डिप्टी कमिश्नर है। आपका परिवार खूब फले फूले, मुझे कोई एतराज नहीं है।

(घोर व्यवधान)

आपके भाई मान सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप चल रहा था लेकिन उसे दबवा दिया एक मुख्य मंत्री ऐसा भी था जो प्रजातंत्र का बड़ा हिमायती है उसके खिलाफ एक हरिजन बिरादरी का कैन्डीडेट चुनाव में मैदान में आया था। आज शर्म आनी चाहिये इस बात के लिये कि प्रजातन्त्र के हिमायती उस मुख्य मंत्री ने उस कैन्डीडेट को अपने मैदान से हमेशा के लिये साफ करा दिया। (शेम, शेम की आवाजें) एक मुख्य मंत्री के जमाने में एक बहुत बड़े अधिकारी अनुसूचित वर्ग के बढ़ते-बढ़ते पुलिस विभाग के डी0 आई0 जी0 के पद पर पहुंचने वाले थे। उस गरीब को इन्साफ नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से आदेश आया कि उसको डी0 आई0 जी0 के पद पर आया कि पब्लिक सर्विस कमीशन में अनुसूचित जाति का व्यक्ति नियुक्त किया जाय। (व्यवधान) तो वह मुख्य मंत्री नहीं चाहते थे कि गरीब परिवार का कोई डी0 आई0 जी0 बने। तो उसको उठा कर पी0एस सी0 (पब्लिक सर्विस कमीशन) का एक मेम्बर नियुक्त कर दिया। उसी मुख्य मंत्री ने छात्रों के साथ क्या किया? चाहे उधर के बैठने वाले नवयुवक हों या उधर के बैठने वाले नवयुवक हों, अपने दिल पर हाथ रख कर देखें कि चौधरी साहब ने छात्र संगठन के खिलाफ क्या किया था। मैं माफी चाहता हूं, चौधरी साहब का नाम आ गया, लेकिन उस समय के मुख्य मंत्री के बारे में कह रहा हूं। चौधरी साहब, आप यह समझ लीजिये कि अगर आप गरीबों के लिये कुछ नहीं कर सकते तो आप उनके नाम का ढिंढोरा क्यों पीटते हो, आपने अपने समय में नारियों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी....

एक सदस्य––

आपके ससुर को चौधरी साहब ने भ्रष्टाचार के आरोप में मोअत्तल किया था, उसका क्या जबाव है आपके पास....

(शोर)

श्री अधिष्ठाता––

गौरी शंकर जी आपका समय समाप्त, कृपया आसन ग्रहण करें ।

(इस समय शोर और व्यवधान के बीच श्री गौरी शंकर बोलते रहे जो कुछ भी सुनायी नहीं दिया ।)

मैंने सत्यपाल सिंह जी को बुलाया है, आप लोग कृपया शांत रहें, अपना आसन ग्रहण करें। गौरी शंकर जी आप का समय समाप्त हो गया है ।

एक सदस्य––

मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है....

श्री अधिष्ठाता––

इस समय वह नहीं उठता है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव––

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न व्यवस्था का यह है कि अभी जब विवाद चल रहा था और माननीय गौरीशंकर जी बोल रहे थे तो माननीय सत्यपाल मलिक जी ने जूता निकाल कर मेज पर रखा और कहा कि इस तरह से यह सदन नहीं चलेगा। आप इस पर अपनी व्यवस्था कृपया दें कि क्या यह आचरण उनका संसदीय है, अगर नहीं है तो इसके लिये वे खेद प्रकाश करें। चौधरी साहब ने भी यहां कहा था कि यहां पर हम बहस करने के लिये आते हैं। ऐसे आचरण से पूरे सदन का अपमान होता है।

श्री अधिष्ठाता––

मैंने मलिक साहब के इस आचरण को देखा नहीं। मेरी दृष्टि इस ओर नहीं गयी। हो सकता है कि आपने उनके इस आचरण को देखा हो.....(व्यवधान)। माननीय मलिक जी द्वारा अगर ऐसा व्यवहार किया गया है तो वह असंसदीय ही नहीं, अशोभनीय भी है। माननीय नेता, विरोधी दल, से मैं आग्रह करूंगा, उन्होंने एक दिन इसी सदन में कहा था कि माननीय सदस्यों को नियमों का पालन करना चाहिये और इस सम्बन्ध में कोई पुस्तिका प्रकाशित करा दी जाय ।

(व्यवधान)

एक सदस्य––

व्यवस्था का मेरा सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता––

मैं व्यवस्था दे रहा हूं। इस बीच आपको खड़े होकर नहीं बोलना चाहिये।

मैं यहां माननीय सदस्यों द्वारा पालनीय नियमों के बारे में कह रहा था। हालांकि नियम प्रक्रिया नियमावली में लिखे हुये हैं, पर सम्भवतः उनका आशय यह था कि उन्हें पृथक

[श्री अधिष्ठाता]

से छपवा कर वितरित करवा दिया जाय। मैं नेता विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि वे कम से कम अपने दल के माननीय सदस्यों को बतला दें कि उनका इस तरह का आचरण सदन की मर्यादा के विपरीत है ।

श्री राम सेवक यादव---

मैं माननीय सदस्य से यह भी निवेदन करूंगा कि उनकी नजर जूते पर ही न जाया करे। यदि ऐसा हो तो फिर यह चीज ही न हो ।

(हंसी)

चौधरी चरण सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने नियमों का जिक्र किया, सारे नियम तो इसमें हैं नहीं, मुश्किल से 2-4 होंगे। अगर सत्यपाल मलिक जी ने जूता निकाल कर रखा मुझे बताया गया कि उन्होंने जूता निकाल कर रखा है। मैंने तो देखा नहीं। मुझे जो गालियां भी अभी दी गयी हैं मैंने उनको भी नहीं सुना है। मैं तो कहता हूं कि मैंने देखा नहीं आप कहते हैं तो सही होगा। अगर वह इस बात को तस्लीम करते हैं कि उन्होंने जूता निकाल कर रखा है तो उन्होंने ठीक नहीं किया है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। लेकिन जो बात आइसोलेशन में थी वह क्या थी। उधर से क्या भाषण हो रहे थे। मैं समझता हूं, अधिष्ठाता महोदय मुझे माफ करेंगे। मैं तो इस हद तक जाने के लिये तैयार हूं कि चाहे वह जितनी गालियां दें लेकिन फिर भी मेरे साथी जूता नहीं उठायेंगे, जूता नहीं निकालेंगे ।

मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बेलगाम बातें कही है, फजूल की बातें कही हैं। मैं तो कहता हूं कि उनको अभी ज्ञान नहीं है। उन्होंने जो आरोप पर आरोप लगाये हैं, तरह-तरह की बातें कही हैं वह उचित नहीं है। मैंने तो चन्द बातें कही थीं, प्रशासन के बारे में, करप्शन के बारे में, और उस पर जो भाषण किया गया वह उचित नहीं था ।

श्री अधिष्ठाता---

मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको कोई ऐसी बात नहीं कही गयी है जिससे किसी को गुस्सा आये ।

(कई सदस्यों के साथ खड़े होकर बोलने पर)

यह खराब बात है, आप लोग जब मैं बोल रहा हूं बीच में न खड़े हुआ करें।

चौधरी साहब, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जहां तक मैंने उनका भाषण सुना है, और जैसा आपको बताया गया कि आपको गालियां दी गयीं या असभ्य बातें कहीं गयीं तो मैं यह चाहूंगा कि उनके भाषण की एक प्रतिलिपि आपकी सेवा में हमारा कार्यालय प्रस्तुत कर दे। और जितना ऐसा अंश है जिसमें आपको गाली दी गयी है मैं खुद देखूंगा ।

जहां तक मैंने सुना वह बार-बार आपका नाम ले रहे थे और मैंने उनको ऐसा करने से रोका था और कहा था कि यदि अपनी जानकारी की कोई बात हो तो कहें और उसकी चर्चा कर सकते हैं किसी दूसरे द्वारा बतायी गयी बातें नहीं ।

चौधरी चरण सिंह---

जैसे अभी आपने जूते के सिलसिले में व्यवस्था दी वैसे मैं कहूंगा कि जो गालियां दी गयी हैं उस पर भी आप व्यवस्था दें । गालियां कई तरह की होती हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर गाली में मां बहन को कहा गया हो ।

श्री अधिष्ठाता—

जो अनुचित होगा उसको मैं दे लूंगा ।

श्री सत्य पाल सिंह यादव (जिला शाजहांपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया । मैं इस समय जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है । उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुख्य मंत्री जी ने अभी अनुदान की मांग की है उसमें एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी । अतः मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । आज जैसा अभी हमारे माननीय सदस्य गोरी शंकर जी ने आरोप-प्रत्यारोप किया है, मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं था । मैं चौधरी साहब की पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं चौधरी साहब की जाति से संबंध नहीं रखता हूं लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस समय उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे, जिस समय उनका प्रशासन था उस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा विश्वास था । वह समझ रही थी कि उसे न्याय मिलेगा । उत्तर प्रदेश का कर्मचारी और अफसर समझ रहा था कि उसको न्याय करना पड़ेगा ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मान्यवर, आज वह हालत नहीं है । प्रशासन आज गलत रास्ते पर जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है । इस स्थिति में सुधार किया जा सकता है बशरते कि कुशल प्रशासन हो । आज किसानों को खाद नहीं मिलती है, बीज नहीं मिलती है, शकर नहीं मिलती है, खाने के लिये गल्ला नहीं मिलता है आप किसानों के लिये कोई चीज मुहय्या नहीं कर पा रहे हैं । इस प्रशासन ने देहात में किसानों के ऊपर एक जबरदस्ती गल्ला वसूलयाबी का जेहाद छेड़ा है । प्रशासन जब अधिकारों का उपयोग कर रहा है तो उनका कर्त्तव्य हो जाता है कि प्रशासन किसानों की सहूलियतें की चीजें जैसे बिजली तथा पैदावार बढ़ाने के लिये खाद आदि उपलब्ध कराये। परन्तु वह नहीं हो रहा है इस प्रकार कर्त्तव्यों को निभाने में प्रशासन ढीला रहा है । सही प्रशासन को चलाने में मैं समझता हूं कि शासन को दो हीपर उत्तरदायित्व हुआ करता है । एक तरफ तो शासन वर्ग-सत्तारूढ़ वर्ग है चाहें वह मुख्य मंत्री हों चाहे सदस्यगण हों वह नियमों को बनाते हैं और उनके कार्यान्वयन के लिये कार्यपालिका होती है और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही इन कानूनों का कार्यान्वयन किया जाता है। इसी तरीके से हम समझते हैं कि कुशल तथा स्वच्छ प्रशासन चलाने के लिये कार्यपालिका के अतिरिक्त न्यायपालिका की भी आवश्यकता होती है । अगर इनमें से कोई भी अकुशल हैं और निष्क्रियता का परिचय देता है तो मैं समझता हूं कि स्वच्छ प्रशासन प्रदेश को नहीं मिल सकता है ।

आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जबसे हमारे मुख्य मंत्री जी आये हैं उनके पास 29 विभाग हैं । इतने बड़े प्रांत के अन्दर 54 जिले हैं और 29 विभाग मुख्य मंत्री जी के पास हैं । एक व्यक्ति के अन्दर इतने विभागों को देखने की क्षमता होना स्वाभाविक नहीं है। उसे इतने विभागों की फाइलें देखना तो दूर रहा हस्ताक्षर करने का समय निकालना भी कठिन है । इन विभागों के उत्तरदायित्व को निभाने के लिये उनके पास क्षमता नहीं है। इसलिये शासन में अक्षमता आना स्वाभाविक है । आजकल भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है । हमारे इसी सदन के अन्दर स्वास्थ्य मंत्री जी के बीमार पड़ने के कारण उनका कार्यभार श्रम मंत्री श्री राज मंगल पांडेय जी संभाल रहे थे । जब उन्होंने अपना वक्तव्य चेचक की बीमारी पर दिया था तो एक सप्लीमेंटरी प्रश्न चेचक के बारे में

[श्री सत्यपाल सिंह यादव—]

किया गया कि चेचक से कितनी मौतें हुई हैं तो वे बगलें झांकने लगे । यह हालत है जबकि उनके पास 2 या 3 विभाग ही हैं । यदि वे इसका उत्तर नहीं दे पाये तो हमारे मुख्य मंत्री जी इतने विभाग लेकर कैसे उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं । अब मैं अपने जनपद का उदाहरण इस प्रशासन के विषय में रखना चाहता हूं जो कि आजकल के समय में एक कलंक की बात है । कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे जनपद शाहजहांपुर में प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक, श्री बी0एन0 मिश्र ने कुछ ऐसे भ्रष्ट कार्य किये जिसके कारण अध्यापकों से लड़ाई हो गई और पिट जाने पर उन्होंने अध्यापकों के ऊपर 324–325 धारा का मुकदमा दायर कर दिया । इन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का कुछ दिनों बाद स्थानान्तरण कर दिया गया और वे अध्यापक भी चुप हो गये । एक साल बाद फिर श्री बी0एन0 मिश्रा को उपविद्यालय निरीक्षक से डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के पद पर पदोन्नति करके शाहजहांपुर भेज दिया गया । जिस समय इलेक्शन थे उन्होंने जिला परिषद के माल गोदाम के अन्दर एक लड़की के साथ बलात्कार किया और पकड़ लिये गये । वहां से वे भागे और छत से कूदने पर उनके पैर की हड्डी टूट जाने से लगभग दो महीने अस्पताल में भर्ती रहे हैं । प्लास्टर होता है, उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम होता है, लेकिन उनको अभी भी सस्पेंड नहीं किया गया । मुझे पता यह लगा है कि शासन के अन्तर्गत लोग जो इंडीकेट पार्टी के हैं वह यह कोशिश कर रहे हैं कि वह शाहजहांपुर के अन्दर अब बेसिक शिक्षा अधिकारी बनें । सरकारी पद पर रहते हुए इस प्रकार का जघन्य अपराध करे और विशेषकर शिक्षा विभाग के अन्दर, ऐसा व्यक्ति शाहजहांपुर ही में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में इस पद पर रहने लायक नहीं है जो कि डिप्टी इन्सपेक्टर के पद को कलंकित करे । इन्हें शिक्षा विभाग में ही नहीं रखना चाहिये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी तरह के दो-एक उदाहरण आपके सम्मुख रखना चाहता हूं । हमारे जनपद शाहजहांपुर में एक बी0डी0ओ0 हैं श्री कंचन साहब । इनका रवैया वहां के लोगों के साथ जन-प्रतिनिधियों के साथ, ब्लाक प्रमुख के साथ बहुत ही अविवेकपूर्ण तथा गलत है । वहां की जनता उसे बरदाश्त नहीं कर पा रही है । उनके भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है । टेस्ट वर्क में जितनी सड़कों का निर्माण वह करा रहे हैं उनमें हजारों रुपया वह खा चुके हैं । सरकारी जीप का दुरुपयोग करते हैं । फरजी टी0ए0 बिल्स बनाते हैं, कहीं दौरा नहीं करते हैं । ब्लाक में प्रगति शून्य हो चुकी है । उसकी शिकायत जिलाधीश और मंत्री महोदय से भी की गई कि उनका स्थानान्तरण कर दिया जाय, उनको सस्पेंड किया जाय, लेकिन तीन साल से भी ज्यादा हो चुके हैं उनके लिये कोई सजा नहीं दी गई ।

अभी कुछ दिन पहले, जैसा गौरी शंकर जी कह रहे थे कि विरोधी दल हरिजनों का विरोध करता है, मैं उनके सामने एक घटना पेश कर रहा हूं, उन बी0डी0ओ0 महोदय ने, मेरे सामने की बात है, एक हरिजन से कहा कि आजकल के जमाने में तुम तो सरकारी पंडित हो, तुम लोगों के दिमाग बहुत खराब हो गये हैं । उस हरिजन भाई ने थाने में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उनको कोई सजा नहीं दी गई और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसी तरीके से गांव परशरामपुर थाना कटरा में वहां के ठाकुर लोगों के द्वारा 8 हरिजनों के मकान जला दिये गये क्योंकि उन्होंने बी0के0डी0 के सदस्य को सपोर्ट किया था । मैं भी वहां इन्क्वायरी के लिये पहुंचा और मैंने स्वयं देखा कि लगभग 30 हजार रुपये का उनका नुकसान हुआ है । लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । क्या यही है आपका कुशल प्रशासन जिसके लिये उत्तर प्रदेश की जनता निगाह लगाये बैठी हुई थी । मेरा ऐसा दावा है कि आपका प्रशासन बिलकुल लचर हो गया है, लक्ष्यहीन हो गया है।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश एक कृषि-प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश का किसान जब न्याय पाने के लिये जाता है, चूंकि फौजदारी के केसेज तो आई० पी० सी० से गवर्न होते हैं, इसलिये उनके संबंध में तो नहीं कहना है, लेकिन जो रेवेन्यू के संबंध में जिसका इंसाफ दिलाने का उत्तर प्रदेश की सरकार का उत्तरदायित्व है, उसे नहीं मिल पाता है । जब कोई व्यक्ति मरता है और विरासत की दरख्वास्त दी जाती है तो उसका मामला तहसीलदार तय करता है । पहले तो वह खूब खाता है, कमाता है, रिश्वत लेता है और बाद में जो चाहे वह फैसला करता है । लेकिन उस गलत फैसले की कोई अपील नहीं है । रिवीजन होता है कमिश्नर को जो कि अपनी रिकमन्डेशन के साथ बोर्ड आफ रेवेन्यू को भेज देता है । इस तरह से कोई इंसाफ नहीं मिलता है । इस संबंध में कुछ संशोधन होना चाहिये और डी० एम० अपीलेट अथारिटी रहना चाहिये । इसी तरह से एग्रीकल्चर होल्डिंग्स के जब ट्रांसफर होते हैं तो उनका निर्णय एस० डी० एम० करता है क्योंकि उसमें बैनामा होता है । उनको असिस्टेंट रजिस्ट्रार तस्दीक करता है विरासत जैसे महत्वपूर्ण मुकदमें को तहसीलदार करता है जिसकी कोई अपील नहीं है स्थानान्तरण का मुकदमा एस० डी० ओ० तय करता है । तो क्या यही स्वच्छ प्रशासन है । इसमें तब्दीली होनी चाहिये । ताकि गरीब किसान को शीघ्र और सस्ता इन्साफ मिले । अतएव पुनः कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप मुझे बोलने का अवसर दे रहे हैं । मैं आपके द्वारा चौधरी चरण सिंह जी से, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, यह कहना चाहता हूं कि वह यहां रहने और बात सुनने का कष्ट करेंगे ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

हम सुनने के लिये हैं ।

श्री ईश्वरी सिंह—

वैसे उनके हमदम भाई रामसेवक जी यहां मौजूद हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ । उनकी पार्टी के लोग कहते रहते थे और मैं सुनता रहता था । उन्होंने कहा कि शासक दल का प्रत्येक आदमी चौधरी चरण सिंह की आलोचना इसलिये करता है ताकि उसे मिनिस्टर बना दिया जाय । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता आन्दोलन में जिसमें हमारे बड़े भाई चौधरी चरण सिंह ने कदम रखा तो संभव है कि हमने चार छः महीने बाद कदम रखा हो । उन्होंने जो त्याग किया उससे कम हममें से किसी ने नहीं किया है । यहां हम इस इरादे से आये हैं कि आप हमको तर्क से हरायें और हम आपको तर्क से हरायें । अगर आप यह दलील देकर चाहते हैं कि आपकी बातों की आलोचना न की जाय तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप हमेशा निराश होंगे । आपके हर तर्क का जवाब बराबर मिलेगा और आपकी यह दलील काम नहीं देगी । एक बात यह कही गयी कि सब बिकने वाले लोग हैं । अगर बड़े भाई चौधरी चरण सिंह होते तो उनके मुंह से कहलवाता कि अपने दिल को टटोल कर देखें कि क्या हरेक को इस तरह का सोचते हैं । मैंने इन बातों का जिक्र कर दिया लेकिन यह कोई तर्क नहीं है ।

[श्री ईश्वरी सिंह]

इस वक्त माननीय बहुगुणा जी द्वारा जो अनुदान रखे गये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये और चौधरी चरण सिंह जी के कट मोशन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस अनुदानों में मैं खासतौर से पुलिस के लिये कहना चाहता हूं कि जो धनराशि रखी है वह सही है और एक मायने में कम है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन पर जो कुछ खर्च कर रहे हैं उसमें और ज्यादा खर्च करने की जरूरत है और खास तौर से इस तरह के विंग पर खर्च करने की जरूरत है जैसे कि इंग्लैंड में स्काटलैंड यार्ड है क्योंकि हमारे देश और प्रदेश में इस तरह की प्रवृत्तियां काम कर रही हैं जिनकी छानबीन करना और उन पर निगाह रखना निहायत जरूरी है । मैं किसी अपमान की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं । मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो कि माननीय चौधरी चरण सिंह की बेहद इज्जत करते हैं, जय प्रकाश नारायण जी की बेहद इज्जत करते हैं । लेकिन जहां तक वस्तुस्थिति देखने का सवाल है मैं यह मानता हूं कि चौधरी चरण सिंह चाहे अमल कर पायें या न कर पायें लेकिन एक आरोप प्रशासक दल पर लगाते हैं कि डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है तो मैं सिद्ध कर रहा हूं कि उनकी सारी प्रवृत्तियां डिक्टेटरशिप की तरफ हैं । हमने जर्मनी का इतिहास और खास तौर से हिटलर का इतिहास पढ़ा है । जर्मनी के अन्दर हिटलर ने राष्ट्रीयता का नारा दिया जैसे कि हमारे चौधरी साहब गांधीवाद की हर बात में दुहाई देते हैं । मैं माननीय चौधरी चरण सिंह जी से और उनके हमदम राम सेवक यादव जी से पूछना चाहता हूं कि गांधी जी के क्या मूल विचार थे, कौन से आधारभूत विचार थे । और उन विचारों को आप कहां तक मानते हैं ? मैं यह इसलिये कह रहा हूं, मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कहूं कि इन बातों पर निगाह रखने की जरूरत है । मान्यवर, किसी भी प्रशासन को चलाने के लिये यह देखना होगा, (खासतौर से पुलिस के प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए) कि हमारे प्रदेश में क्या-क्या ट्रेंड चल रहा है । मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि गांधी जी को सबसे पहला सिद्धांत अहिंसा का है । माफ करेंगे रामसेवक यादव जी वह मेरे पुराने साथी हैं । मैं समझता था कि मा0 चौधरी साहब और हमारे पुराने मित्र डा0 राम मनोहर लोहिया, अहिंसा में यकीन करते थे, समाजवाद को मानते हुए अहिंसा में यकीन करते थे । लेकिन जिस रोज चौ0 चरण सिंह जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर यह कहा, कि ऐलानी तौर से कहा, कि जनता को किसी भी प्रकार अर्थात् हर प्रकार से इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा ।

श्री रामसेवक यादव---

मान्यवर, चौ0 चरण सिंह और मैं पूर्णतः अहिंसक हूं और अहिंसा में विश्वास करता हूं । यह अर्थ तो आप उसका लगा रहे हैं ।

श्री ईश्वरी सिंह---

अगर वह अहिंसा में विश्वास करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वह वास्तव में चौ0 चरण सिंह के संशोधन के साथ नहीं थे ?

श्री रामसेवक यादव---

वह तो था, लेकिन वह बात जनता के अखितयार में थी । हम नहीं चाहते । लेकिन जो हालात मुल्क में यह सरकार पैदा कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि जनता मजबूर हो जायेगी उसके लिये ।

श्री ईश्वरी सिंह---

जनता स्वयं निर्णय करेगी । जनता अहिंसा को मानती है। निर्णय आपको और हमको करना है कि हम हिंसा में विश्वास करते हैं कि नहीं । एक तरफ कहते हैं कि हम

गांधी जी को मानते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जनता हर तरीके से पेश आ सकती है। मैं कहता हूं कि गांधी जी ने यह नहीं कहा । गांधी जी ने केवल अहिंसा के तरीके को अपनाया । गांधी जी ने कहा था कि जिसको मेरे तरीके से आजादी को हासिल करना है, उसको अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा । हमारे चौ0 चरण सिंह ने कहा कि जनता हर तरीके से सरकार उखाड़ दे गांधी जी का दूसरा सिद्धांत था थ्योरी आफ ट्रस्टीशिप यानी जनता की थाती का प्रचार। लेकिन चौधरी साहब कारपोरेशन को पसंद नहीं करते पब्लिक अण्डरटेकिंग्स को पसंद नहीं करते, बल्कि हर उद्योग धंधे को पूंजीपतियों को देने को तैयार हैं । मैं तो कहता हूं कि चौधरी साहब पूंजीपतियों और व्यापारियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, बजाय कारपोरेशन्स या पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के । मैं माननीय रामसेवक यादव जी से पूछना चाहता हूं क्या यह सच नहीं है कि क्या हम लोगों ने प्रत्येक कांफ्रेन्स में यह प्रस्ताव नहीं पास किये थे कि सहकारी आन्दोलन या जनता का सहयोग लेने के लिये जितनी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स होंगी, वह हमारी रीढ़ की हड्डी होंगी । मैं तो यह नहीं कह सकता कि मा0 रामसेवक यादव जी में और मा0 चौधरी साहब में सिद्धांतों को लेकर कितना मतभेद है, लेकिन मैं यह देख रहा हूं जैसा कि चौधरी साहब की तकरीरों से आभास मिलता है, कि उनको गांधी जी की थ्योरी आफ ट्रस्टीशिप में विश्वास नहीं है। थ्योरी आफ ट्रस्टीशिप, मान्यवर, गांधी जी नहीं मनवा पाये, चौधरी साहब नहीं मनवा पाये और हम भी नहीं मनवा पाये । चौधरी साहब के व्यवहार से दिखाई देता है कि वह देश को आज पूंजीपतियों की तरफ मोड़ना चाहते हैं । गूजरमल मोदी को कर्नाविस करने के बजाय, चौधरी साहब को गूजरमल साहब को मोदी कर्नाविस करते हैं और पद्मभूषण की उपाधि के लिये चौधरी साहब ने उनको रिकमेंड किया । आप गांधी जी का नाम लेते हैं । उनका कहना था कि प्रेम के रास्ते पर चला जाय । लेकिन आपका रास्ता है निन्दा का, घृणा का, हुल्लड़बाजी का । राम मनोहर लोहिया मेरे बड़े मित्र थे । मैंने उनसे भी साफ कहा था कि लोग आपको समाजवाद के रास्ते को छोड़ कर घृणा और हुल्लड़बाजी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं । आखिर को लोहिया जैसे लोगों को कुछ लोगों ने गुमराह किया, वही लोग आज चौधरी साहब को गुमराह करना चाहते हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । डाक्टर लोहिया को किसी ने गुमराह नहीं किया । वह देश के महान नेता थे ।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं । आप आसन ग्रहण करें।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

डाक्टर लोहिया के साथ मैं माननीय सदस्य के मुकाबले चार गुना उठता रहा हूं और उनसे अधिक जानता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को भी बोलने का अवसर मिलेगा ।

श्री राम सेवक यादव---

आप डाक्टर लोहिया के साथ बहुत दिनों तक रहे हैं लेकिन यह कौन जानता है कि आस्तीन में ही सांप रहता है।

श्री ईश्वरी सिंह---

गांधी जी सत्य पर आग्रह रहने की बात कहते थे लेकिन आज विरोधी दल उसकी हत्या कर रहा है, सत्याग्रह करने के बजाय अव्यवस्था पैदा कर रहा है। हुल्लड़बाजी तथा घृणा फैलाने की बात सोचता है। यह कहा गया कि इस देश व प्रदेश की जो इकोनामिक ग्रोथ है वह 0.5 परसेंट है लेकिन यह सरासर झूठ तथा असत्य है। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। पिछली पंचवर्षीय योजनाकाल में देश की इकोनामिक ग्रोथ 3.7 प्रतिशत रही और प्रदेश की 3.1 प्रतिशत। झूठ बोलने के साथ-साथ दूसरी प्रवृत्ति आप फैला रहे हैं हिंसात्मक कार्यवाही करने की और चाहते हैं कि जैसे भी हो सरकार को उल्टा जाय। एक प्रवृत्ति यह भी आप फला रहे हैं प्रदेश चाहे जितनी भी तरक्की करे उसके लिये यही कहेंगे कि कतई विकास नहीं हुआ है।

मान्यवर, इसी हाउस में चरित्र हत्या के कम के रूप में हमारे नेताओं का नाम लेकर उनको बदनाम किया जाता है। चाहे वह कोई भी प्रधान मन्त्री हो निजी आरोप नहीं लगाने चाहिए....

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हो गया। आप कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

अधिष्ठाता महोदय, प्रशासन की मांगों पर मैं आपकी आज्ञा से कुछ चन्द शब्द कहना चाहता हूं। माननीय बहुगुणा जी ने बहुत ही संक्षेप में इस ग्रांट को पेश करते हुए बहुत ही अच्छे शब्दों में इसका जिक्र किया जिसका कि यहां पर मजाक भी हुआ है। माननीय बहुगुणा जी जब हमारे प्रदेश में आए 8 महीने पहले, तो उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया और बहुत सी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि हम स्वच्छ और कुशल प्रशासन प्रदेशीय जनता को देंगे। बड़ी आशा इस प्रदेश की जनता को और हमको भी थी कि सचमुच में ये स्वच्छ प्रशासन देंगे। लेकिन मान्यवर, हालत यह है कि जो घोषणाएं थीं उनके मुताबिक कार्य तो हुआ नहीं बल्कि हमारा प्रशासन और भी लुंज पुंज हो रहा है। आप जानते हैं कि मैं पिछले वर्ष इस देश के बाहर अपने इलाज के सिलसिले में था। उस वक्त बी0 बी0 सी0 रेडियो से मालूम हुआ कि यहां पर एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया....
(श्री राम सेवक यादव के कुछ कहने पर) आप इधर-उधर क्यों उलझाते रहते हैं। मेरे पास समय कम है। मान्यवर, मैं कह रहा था कि मुझे वहां पर बी0 बी0 सी0 से खबर मिली कि यहां पर पुलिस और पी ए0सी0 में विद्रोह हो गया है और लगभग 95 आदमी उसमें मरे भी थे। पी ए0सी0 के उस विद्रोह से यहां की सरकार पलट भी गयी। यह पी ए0सी0 का विद्रोह क्यों हुआ। मुख्य मन्त्री जी जवाब दे देंगे कि मैं तो यहां नहीं था। उसके बाद एक कमेटी बनी पी ए0सी0 को रिकग्नाइज करने के लिए। मान्यवर, आपको सुनकर ताज्जुब होगा और शायद आपको पता भी होगा कि पी ए0सी0 के जवानों को जब वे ड्यूटी पर रहते हैं तो 2 रुपया भत्ता भी दिया जाने लगा किन्तु समस्यायें उनकी बदली नहीं। दूसरी तरफ पी0ए0सी0 का एक डी0आई0जी0 हमेशा से इस प्रदेश में रहता था इतने दिनों से कोई विद्रोह नहीं हुआ। उसके बाद मुख्य मन्त्री जी ने क्या किया कि हमारे सूबे में 5 डी0 आई0 जी0 पी0ए0सी0 के बना दिए और एक आई0जी0 बना दिया गया। जो आई0 जी0 पहले था जिनके वक्त में यह विद्रोह हुआ था उनके लिए एक पोस्ट डायरेक्टर जनरल की बना दी।

आज 15 साल इस सदन में मुझे हो गया है, हमने इस सदन के सदस्य होने के नाते कई मजबूत सरकारों को देखा है और ऐसे मुख्य मन्त्रियों को भी देखा है जिनके आते ही लोग कांपते थे, किन्तु इस सरकार के अन्दर इस विभाग में न तो कोई ऐसा नाम सुना और न कोई पोस्ट ही बनी---डाइरेक्टर जनरल। उस वक्त का एक और हाल आप सुनें कि जितनी इन्टीलीजेंस की रिपोर्ट थी उस वक्त की, सारी की सारी लीक-आउट हुई और अखबारों में गई और जो इन्टलीजेंस की पोलेटिकल ब्रांच है वह किसके अधीन है, उस आई0जी0 के अधीन थी जो आजकल आई0जी0 जनरल बने हुए हैं। सी0आई डी0 जब इस तरह चलेगी---जिसकी सारी बातें गुप्त होनी चाहिए, वे यदि बाहर चली जायेंगी, प्रेस में चली जायेंगी और फिर भी यदि आपने उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया, तो मैं समझता हूं यह स्वच्छ प्रशासन के अनुकूल नहीं है। 4-4 आई0 जी0 हो गए। सी0आई0डी0 के अलग होमगार्ड के अलग पी0ए0सी0 के अलग तथा सिविल के एक अलग से और उसके ऊपर भी एक आई0जी0 (जनरल)। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बहुत स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं, तो सी0आई0डी0 के लोग पोलेटिकल ब्रांच के अलावा, आपको उन्हें बिलकुल अलग रखना चाहिए। सी0आई0डी0 को आप हर महत्वपूर्ण जांच सौंपते हैं, जनता का भी उन पर विश्वास है, लेकिन उनके लोग जो इंस्पेक्टर हैं, एस0पी0 हैं, जो कांस्टेबिल हैं, उनको आपने सुविधायें कितनी दी हैं? आपने कभी इस पर विचार किया। जब कभी उनके इंस्पेक्टर . . .

(इस समय 4 बजकर 23 मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जाते हैं दूर-दूर नगरों में जांच करने तो स्लीपर में जाते हैं, पैरों में जंजीर बांधकर कागजात के बक्से ले जाते हैं। क्योंकि उनको स्टेटस नहीं मिला है, उनके पास अर्दली नहीं है, चपरासी नहीं है, उनके पास मकान नहीं है तथा तमाम अन्य सुविधायें नहीं हैं जो उनको मिलनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं जो सिविल पुलिस से लोग सी0आई0डी0 में भेजे जाते हैं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा ट्रांसफर रुकवा दो, क्योंकि वहां बंगला मिलता है, मोटर साइकिल मिलती है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार रुके तो इनकी अलग से ब्रांच आपको बनानी चाहिए। इस पर कार्यवाही करने की जरूरत है और अन्य सुविधायें प्रदान करने पर भी गौर करना जरूरी है। इसी सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि सी0आई0डी0 का दरोगा समय-समय पर किसी एस0पी0, किसी कलेक्टर के खिलाफ जांच करने जाता है, किन्तु वही व्यक्ति फिर कभी सिविल पुलिस में लौटता है, तो आप सोचें कि क्या उस समय उसकी खैरियत रहेगी, तो क्या वह वहां रहने पायेगा या जान से मार दिया जायगा, इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप सी0आई0डी0 को मजबूत बनायें और उसके आई0जी0 को आपको अपने अन्डर में रखना चाहिए, आपके प्रति उसे वफादार होना चाहिए, न कि आई0जी0 के अधीन उसे होना चाहिए।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मैंने बजट भाषण में देखा, जो नारायण दत्त तिवारी जी का है, उसके पृष्ठ 26 पर देखा कि आपने अफसरों के कल्याण के लिए एक विशेष अफसर की नियुक्ति की है। उनके कल्याण की आपको बहुत चिन्ता है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, और छोटे कमचारी हैं, जिनका जनता से सम्बन्ध है, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। कानूनगो, तहसीलदार, अमीन आदि जैसे आम जनता के आदमी ह उनके कल्याण की आपको चिन्ता नहीं है, उनकी सुविधा के लिए आपने क्या किया? आपका प्रशासन भ्रष्ट होगा कि नहीं यदि तहसीलदारों का प्रमोशन और कनफरमेशन अनिश्चितकाल तक नहीं होगा। (लाल बत्ती होने पर)

[श्री ऊदल]

श्रीमन्, मुझे दो मिनट और दे दीजिये। मैं आपसे पूछता हूं कि कितने दिनों से आपने तहसीलदारों को कन्फर्म नहीं किया। आज हमारे प्रदेश में 98 प्रतिशत तहसीलदार बिना कन्फर्म हुए पड़े हैं और उनसे जो 25 परसेंट परगना हाकिम प्रमोट होते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उनका प्रमोशन हो रहा है?

आपने पहले 45 या 48 वर्ष की उम्र रखी थी। जब आपने 50 वर्ष रख दिया। जो 50 वर्ष में प्रमोट हुआ, आप क्यों उसको रिवर्ट कर रहे हैं, कि उनका डेढ़ साल ज्यादा हो गया। क्या कुसूर है उसका? मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके जितने कमिश्नर, कलेक्टर, कप्तान साहब हैं, आपने सब को इजाजत दे रखी है। बंगले की जमीन में खेती करने की। चार-पांच बीघे खेती करते हैं। यह कलेक्टर और कमिश्नर की खेती कौन करवाता है? इनकी खेती करवाता है प्रदेश का ऐग्रीकल्चर विभाग और इनकी पैदावार जो है वह सोड में खरीदी जाती है। सारा फर्टिलाइजर और बीज ऐग्रीकल्चर विभाग प्रोवाइड करता है। वह अपने पैसा खर्च करें और उसकी पैदावार ले जायं, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से एक कमिश्नर साहब के यहां देखा कि पूरा-पूरा एग्रीकल्चर का मुहकमा खेती करवा रहा था। जिले का कृषि अधिकारी खाद डाल रहा था। क्या होगा इस देश का? आप गौर करें इसके ऊपर।

आप रूल्स बनाना चाहते हैं अफसरों के लिए। कितने लोग सेक्रेटेरिएट में हैं जिनको दस वर्ष से ज्यादा हो गए। अपने आई0एस0 आफिसरों को देखें। कितने लोग मकान बनाते हैं उसको किराये पर उठा देते हैं और खुद किराये के मकान में रहते हैं। पूरी लिस्ट बनी थी। आपने विचार किया? आप यहां बाराबंकी रोड पर जाइए या दूसरी जगहों में देखिए कितने फार्म हैं इनके। आप को इन छोटी-छोटी बातों पर विचार करना चाहिए। माननीय चौधरी चरण सिंह से एक बात में सहमत हूं। नियम में है कि आठ साल सर्विस करने के बाद किसी आई0एस0 को कलेक्टर का रैंक देना चाहिए। आपके सेक्रेटेरिएट में साढ़े तीन साल काम करने के बाद ही तुरन्त आई0ए0एस0 को कलेक्टर का दर्जा दे दिया गया। पी0सी0एस0 बीस बीस साल के पड़े हुए हैं उनमें असन्तोष होगा या नहीं? इसलिए आप इसको देखें।

श्रीमन्, आप ताज्जुब करेंगे, आपके कैबिनेट मिनिस्टर की बात है। हम लोगों की तो कोई वकत नहीं। अगर डेमोक्रेसी में आपको विश्वास है तो आपका मेथड भी उसी प्रकार का होना चाहिए। तो मैथड आपको अपने अफसरों को सिखाना पड़ेगा और उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर का जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने एक अफसर से कहा कि हमारे जिले में कलेक्टर बिलकुल निकम्मा है हमारे जिले का कप्तान बिलकुल निकम्मा है। उनको हटवा दीजिए। मैं संयोग से वहां बैठा था। उन्होंने कहा कि जब मैं कलेक्टर या कप्तान को फोन करता हूं तो उसका चपरासी कहता है कि साहब नहीं हैं। जब कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का यह हाल है कि आपके कलेक्टर, कप्तान साहबान सुनते नहीं। इसके मतलब यह है आपका विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं है।

माननीय चरण सिंह ने जयप्रकाश जी का उदाहरण दिया, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। जयप्रकाश जी किसी समय में हमारे पूरे देश के लीडर होंगे लेकिन आज जयप्रकाश जी पूरे देश के रहनुमा नहीं हैं। विचारों में भिन्नता है। चौधरी साहब और हमारे विचारों में विभिन्नता है। चौधरी साहब ने उदाहरण दिया कि माननीय नारायण तिवारी किसी सड़क का उद्घाटन करने गए थे।

चौधरी साहब ने मेरी जान पहचान 1954 से है। 20 साल हो गए हैं। जब ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो बहुत नाराज हो गए थे। आज ये उदाहरण देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के

और पूरे संविधान को बदलने की बात करते हैं। नम्बुद्रीपाद ने तो संविधान की 2—3 धाराओं को बदलने की बात कही थी लेकिन तब हमारे चौधरी साहब और जन संघ के भाई इसका विरोध कर रहे थे और आज कहते हैं कि इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए, एसेम्बली को भंग कर दिया जाय। यह है हमारे जय प्रजकाश जी का नारा, जिसके पीछे हमारे चौधरी साहब चलना चाहते हैं।

हमारे सुबे में छ आई0 ए0 एस0 महिलायें थीं। उनमें से एक तो कुसुम लता मित्तल थीं और 4—5 और थीं। जब चौधरी साहब प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तो वे सब उनसे मिलने आयीं तो उन्होंने मिलने से इंकार कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख दी कि इन्हें वापस बुला लिया जाय। माननीय नवल किशोर जी ने इस बारे में राज्य सभा में प्रश्न उठाया। आपका कहना था कि औरतों को नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट इनको रखना चाहती है तो हमारे सूबे से इन औरतों को वापस बुला ले, यह इन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा था। आप पैरिटी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इन बातों से देश प्रगति नहीं कर सकता है। अगर देश में समाजवाद लाना है तो संविधान में परिवर्तन करना होगा। चौधरी साहब कुछ कहना चाहते थे कि भीखा लाल जी उधर हैं या नहीं। मैंने चौधरी साहब को राइट रिएक्शनरी कहा है और जनता की दुश्मन कहा है। और आज भी कहता हूं कि वे राज रिएक्शनरी हैं, जनता के दुश्मन हैं, समाजवाद के दुश्मन हैं। स्टेट को पीछे ले जाना चाहते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बहुत ही सोच समझकर प्रशासन को चलाना चाहिए। (व्यवधान) रामसेवक जी ऐसा समाजवाद लाये कि उन्होंने अपने को अपने निशान को बेच दिया, अपने झंडे को बेच दिया।

एक सदस्य—

बहुत बन्धागीरी कर चुके हो, बहुत दलाली कर चुके हो।

(व्यवधान)

श्री ऊदल—

ये लोग जय प्रकाश नारायण की बात करते हैं।

(मोती लाल वेहलवी के खड़े होकर बोलने पर माईक काट दिया गया और सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री ऊदल—

जो लोग राजाओं के समर्थक थे, बिड़लाओं के समर्थक थे, (व्यवधान) (शोर के बीच में कुछ सुनाई नहीं दिया।)

श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि विरोधी दलों से कि जब उनके माननीय सदस्य अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं तो हमारे दल के सदस्य उनके बीच में रोड़े नहीं अटकाते हैं। लेकिन जब उनकी असलियत खुलने लगती है तो वे बीच में चिल्लाने लगते हैं। मेरा निवेदन है कि वे बीच में न उठें और नम्बर आने पर अपनी बात कहें।

आज हमारी बहुगुणा सरकार ने जो बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है उसको चौधरी साहब तथा उनके समर्थकों ने कभी भी खोल कर देखा नहीं है। अगर वे उसको देखे होते तो हमारी पार्टी को तरह-तरह की बधाइयां देते, धन्यवाद देते। जब

[श्री हुबराज]

उनकी सरकार थी, जब उनका राज्य था और जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने साधारण सवस्यों के कहने पर जिले के अच्छे अधिकारियों की वह स्थिति बिगाड़ी थी कि उसको कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार में है कि जब तक पूरी जाँच नहीं कर ली जाती है तब तक कोई कदम उठाया नहीं जाता है।

आज हमारा विरोधी दल हरिजनों का बड़ा हमदर्द बना है। वे खेती में बड़ी रुचि रखते हैं, किसानों की बड़ी दुहाई देते हैं लेकिन क्या उनका ध्यान कभी उधर गया है कि उन खेतों में जो मजदूर काम करते हैं वे अब तक रुपया बीस आने पाते थे, हमारे सरकार ने उनके लिए बजट में प्रथम बार प्राविधान किया है और उनकी मजदूरी बढ़ाई गई है। इसलिए उनको हमारी सरकार को समर्थन देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। कौन-सी ऐसी बात हमारी सरकार ने छोड़ी है जिसका वे विरोध करते हैं। उनका मुख्य काम विरोध करना है। इसलिए विरोध करते हैं। उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिस पर कुछ कर सकें। एक कहावत है कि "एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशाप"। उनके पास किसी योजना के बारे में, जनता की भलाई के लिए तथा देश के विकास के लिए कोई बुद्धि नहीं है इनका एक काम है जनता को बरगलाना इनका एक काम है विद्यार्थियों को बर गलाना और इनका एक काम है हड़ताल कराना। ऐसे राजनीतिज्ञों को तो देश द्रोही कहा जा सकता है।

हमारी सरकार ने स्कूलों के प्रति मजदूरों के प्रति कौन सा कदम नहीं उठाया। पुलिस के निम्न वर्ग के कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ायीं। जब उनकी मांगें पूरी हो जायेंगी तो जनता से घूस नहीं लेंगे या नोच घसोट नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, (दूसरी तरफ से आवाज आने पर) आप चुप रहें। चुपचाप सुनते रहें। मेरा निवेदन है बस। आप पूरे सेशन भर इनके जितने भी विरोधी दल के सदस्य हैं खड़े होते हैं केवल 2 बातों पर चर्चा करते हैं एक तो इलेक्शन पर। और कहते हैं कि बिहार बना देते, गुजरात बना देंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इनमें हिम्मत नहीं है कि विरोध करें। इनकी हिम्मत नहीं है कि बंगाल बिहार की स्थिति बना दें। अगर बनाने की हिम्मत है तो जनता में है। हमारी जनता ने इनको निकाल बाहर किया। इन्होंने कौन सा नाटक बाकी रखा। कोई नाटक बाकी नहीं रखा लेकिन जनता ने इनके सब इरादों पर पानी फेर दिया। अब विद्यार्थियों पर आये हैं और सोच रहे हैं कि शायद सफल हो जाये। आज का विद्यार्थी समझ गया है वह इनके बहलावे में नहीं आ सकता है। वह जनता के विकास के लिए और देश के विकास के लिए कदम से कदम मिलायेगा।

मैं ज्यादा न कहकर 2—3 सुझाव देना चाहता हूं और उन्हीं सुझावों के साथ इस बजट का समर्थन करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कुछ निगमों की स्थापना की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन निगमों में हरिजनों को प्राथमिकता दी जाए और जो उनमें नियुक्तियां की जायें उनमें रिजर्वेशन का प्रबन्ध किया जाये। दूसरी बात है यह कहना चाहता हूं कि जो शिक्षण संस्थान है या प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उनमें भी रिजर्वेशन हो। तीसरी यह कहना चाहता हूं कि जिले में विभिन्न अधिकारियों के पास गाड़ियां हैं, उनके लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाये जिसके अधीन ये सब गाड़ियां रहें जिससे लोग इनका दुरुपयोग न कर सकें। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय महोदय, आपने मुझे जो बोलने का टाइम दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज मुख्य मन्त्री जी ने जो इन अनुदानों पर अपना भाषण दिया वह बड़ा

ही सुन्दर है और जहां तक भाषण का सवाल है बहुत ही प्रभावशाली है, परन्तु मैं माननीय मख्य मन्त्री जी से यह नम्र निवेदन करूंगा कि थोड़ा कार्यों की तरफ भी देखें और आज हो क्या रहा है, उसको भी देखें और समझें, जनता में क्या हालत है, जनता क्या भोग रही है, जनता की क्या परेशानी है। उसकी तरफ अगर नहीं कान लगायेंगे खाली अपने पीछे बैठने वाले साथियों के साथ जो हर बातें सुनकर टाल देते हैं, चलते रहेंगे तो आज जो देश की हालत बदतर हो रही है इससे भी बदतर होती चली जायगी।

आज थाने पर सुरक्षा और व्यवस्था करने वाला कांस्टेबिल गांव को लूट रहा है, बुरी तरह लूट रहा है। पूरे गांव को बरबाद कर रहा है और एक जगह नहीं अनेक जगह की यही रिपोर्ट है इलाहाबाद में मुजफ्फरनगर में सिपाही डकैती डालते पकड़े गए हैं। अनेकों जगहों पर कत्ल हो रहे हैं। ये सब कत्ल पुलिस की मौजूदगी में और एस0 पी0 की मौजूदगी में हो रहे हैं। एस0 पी0 की मौजूदगी में गोलमाल किया जा रहा है और आप हंसकर इसको टाल देंगे तोइसको जनता आपको नहीं माफ करेगी। मैं अपने सभी साथियों से यह अनुरोध करूंगा कि जहां गम्भीरता से विचार करने की बात आये उसको गम्भीरता से सोचना चाहिए। उसको गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। क्या यह धान बीज के बहाने से इस तरह से इःमर्गालिग हुआ जहां करोड़ों रुपया का धान बड़ लोगों द्वारा स्मगलिंग हुआ। जहां बाजरा कई करोड़ का जिम्मेदार लोगों द्वारा बेचा गया, वहां पर इस देश की क्या हालत होगी। आज तो एक तरफ एक किसान बीज के लिए अगर 2 मन, 3 मन गल्ला ले जाता है तो थानेदार उसको रोककर परेशान करता है। गाड़ीवान अपना चावल बेचने के लिए ले जाता है तो थानेदार गाड़ी को रोक कर, जब तक 100—100 रुपए नहीं ले लेता है तब तक वह उसको जाने नहीं देता है और उसे छोड़ता नहीं है।

हमारे मुख्य मन्त्री के भाषण पर माननीय सदस्य उधर ताली पीटें और हंसे, यह बड़े शर्म की बात है। यह किसी बड़े आदमी का काम नहीं है। तो मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने इस उच्च विचार को जो यहां जाहिर करते हैं उसको अमल में लेकर भी दिखलायें और उन अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दें जो इसमें जरा सा भी लिप्त हो। अगर सजा होगी और सही माने में सजा होगी, तो करप्शन नहीं होगा अधिकारी डरेगा। मान्यवर, अगर गलत ढंग से सजा होगी, किसी पार्टी बन्दी की बिना पर सजा होगी, तो उससे करप्शन घटेगा नहीं बढ़ेगा, उससे जनता को आराम नहीं मिलेगा।

मान्यवर, जहां पर पोलिटिकल असर डालकर काम लिया जायगा, उन अधिकारियों से, जो अधिकारी बेचारे बिलकुल निरोह हैं, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, वह कमी भी सही न्याय चाहते हुए भी नहीं कर सकेंगे। उसका मेरे पास प्रमाण है। मेरे एक साथी जोकि इसी आपके कौंसिल के सदस्य हैं, एक अधिकारी से इसी पुलिस विभाग के अधिकारी के खिलाफ जिक्र किया कि साहब यह बड़ा गन्दा आदमी है, इसकी बड़ी शिकायत फैल रही है, तो उस जिलाधिकारी ने हमारे साथी से कहा कि साहब वह तो मन्त्री जी के आदमी हैं, मैं क्या कर सकता हूं। मन्त्री जी जानते होंगे जिन्होंने थानेदार की मदद की होगी। भगवान ने ताकत दिया है तो गरीबों को लुटवाने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल न करें और कम से कम अगर वह आपका साथी है, आपका दूर का रिश्तेदार है, तो आप उसको सख्त सजा देकर उसको आगाह कीजिये और कहिये कि देखिए मेरे नाम को कलंकित मत कीजिए।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस साल के दंगे और फसाद को रोकवाने के सिलसिले में शाबाशी दी है पुलिस को और अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को, और उसी में यह शिया-सुन्नी का जिक्र आ गया है लखनऊ शहर का मान्यवर। मुख्य मंत्री जी, मेरा सवाल है कि इससे

[श्री अब्दुल रऊफ लारी---]

दुःखी होंगे। और उनको मालूम होगा कि एक महीना 20 रोज पहले उस मोहल्ले में वह गये थे। वहां के सुन्नी मुसलमानों ने, जिम्मेदार लोगों ने मुख्य मंत्री जी से कहा था। मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली जाने से पहले यहां के एस0 एस0 पी0 को बुलाकर कह दिया था कि आश्वस्त करो कि कोई दूसरा खतरा नहीं है, सुन्नी बेखबर होकर रहें। एस0 एस0 पी0 ने बुलाया और सुन्नी मसलमानों और वहां के बड़े बड़े मौलवी-मौलानाओं से कहा कि आप घबरायें नहीं, कुछ नहीं होने पायेगा, इतमिमान रखें। क्या हुआ? तमाम सुन्नी मुसलमान इत्मिनान से अपनी सारी दुकानों को बन्द कर, अपने घरों को बन्द कर घरों में घुस रहे और गली में से जलूस पास हुआ और जब अलम चला गया तो उसके बाद वह नंगा नाच नाचा गया कि इंसानियत भी शरमा रही थी। लोगों को मारा ही नहीं गया, बल्कि पटक-पटक कर जिबह किया गया। पुलिस के दारोगा और कांस्टेबिल खड़े तमाशा देख रहे थे। उनकी ना-जानकारी में नहीं, जानकारी में सब कुछ हुआ। क्योंकि 3-4 साल इसी शहर में पहले ऐसा वाकया हो चुका था और उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने हुआ था। वहां के लोगों ने शिकायत की थी कि ये डी0 वाई0 एस0 पी0 और सरकिल इन्सपेक्टर खास तौर से इसमें इंटेंगिल हैं। ये मैजिस्ट्रेट जो एक वर्ग के हैं वह उसको प्रोत्साहित करते हैं, वह इंटेलिगल्ड हैं और उसने लोगों को जिबह कराया है। उसको हटाया गया, लेकिन फिर कौन सी मजबूरी हुई इस सरकार में कि दोनों अधिकारियों को उसी हल्के में फिर बुला दिया गया और उस रोज उन्हीं की तलाती वहां थी। मैंने तो खुद मौके पर जाकर देखा था। इस किनारे भी पलिस थाना है, वायरलेस लगा हुआ है और उस किनारे भी पुलिस चौकी है और बीच में एक पतली सी गली है जिसके अन्दर इतने लोगों को बुरी तरह मारा गया, लूटा गया, दरवाजे तोड़े गये, घर फूंके गये और बरबाद करके रख दिये गये। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उस आदेश को जो एस0 एस0 पी0 को दिया था और वह एस0 एस0 पी0 जिन्होंने उनको आश्वस्त किया था कि कुछ नहीं होने पायेगा, उनसे जवाब तलब किया? उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की? अगर इसी तरह से हाल रहा तो इन अधिकारियों और कर्मचारियों का, पुलिस के जवान लोगों का क्या हाल होगा?

मान्यवर, इसी का नतीजा है कि आज मुजफ्फरनगर में पुलिस डकैती डलवाती है, डकैती में साझा करती है डकैतों के साथ। इलाहाबाद में सशस्त्र पुलिस का जवान डकती में सरकारी बन्दूक के साथ पकड़ा जाता है। कहीं थानेदार डकैतियों में शरीक पाया जाता है, हिस्सा लेते हुए पाया जाता है। उन्हीं के विभाग के लोग कहते हैं कि ये नेता बदमाशों और चोरों-डकैतों से मिला हुआ है और डकैती डलवाता है।

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि इस मुकहमे के अन्दर सभी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं। इसमें मेहनतकश और अपना फर्ज अंजाम देने वाले भी हैं। मुश्किल से 10-20 प्रतिशत पुलिस वाले होंगे जो इस किस्म के हैं, लेकिन होता यह है कि जो 10-20 प्रतिशत बुरे हैं वह बहुत खुशामद करते हैं हमारे मंत्रियों की, हमारे उस पार्टी में बैठने वाले सदस्यों की और उनके चक्कर में रहने के नाते वह सुर्खरू रहते हैं। और जो अच्छे हैं वह अपने काम में लगे रहते हैं, अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं। वह उनकी ट्रक को रोकते हैं तो उनका गलत जगह पर ट्रांसफर किया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है। चौधरी साहब ने जैसा कि बतलाया, जब एस0 एस0 आई0 ने धान की ट्रक रोका तो वहां तुरन्त पहुंच कर दबाव डाला गया कि क्या तुम अपनी नौकरी खोना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं कि किसकी ट्रक है? जहां इस तरह की बातें की जायेंगी मान्यवर, ये अच्छे अधिकारी और कमचारी कैसे काम कर सकेंगे? तो मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि और कुछ न कर, आप केवल सही मानों में जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा देकर एक नमूना पेश करें। एक डर पैदा कर दें ताकि यह बुराई बन्द हो सके।

मान्यवर, मैं अपने जिले का एक मामूली मसले का जिक्र करके खत्म कर दूंगा, 5 मिनट और चाहिये---जिसमें दो मिनट तो मेरे हैं ही तीन मिनट आप और देने की कृपा करेंगे। मैंने बताया था और आज फिर दोहराता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी या पुलिस के अधिकारी यहां बैठे होंगे और सुन लें और इसमें अगर एक रत्ती भर भी गलत हो तो हम जो चाहें सजा दे सकते हैं। गोरखपुर जिले में पुरन्दरपुर एक थाना है। वहां एक नये थानेदार आये हैं। मैं पहली बार वहां गया। इत्तफाक से डी0 एम0 वहां मौजूद थे। लक्ष्मीपुर डाक बंगले पर मैं भी मिलने गया। वहां एक गरीब किसान आता है अपने बच्चों के साथ जिसका सारा सीना छुरी से छलनी हो गया था। उसके बच्चे के भी भी छुरें लगे थे। हाथ पर पट्टी बंधी थी। उसके यहां 12 बजे रात को डकती पड़ी थी। उसकी औरतों को पीटा गया, उसको बन्दूक से मारा गया, गांव के लोग आये तो फायर कर के भगा दिया गया। इस सब के बाद भी डकती की रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। डी0 एम0 ने जब थानेदार से पछा तो उसने कहा डकैती नहीं हुई, मारपीट हुई, मैं तहकीकात करूंगा। दूसरी तरफ उसके खिलाफ उसी क्षेत्र के उसी थानेदार के लिये वहां के 4-5 सभापतियों ने जब मे बाजार में आया तो मालूम हुआ कि उस मुलजिम से जो भैंसों और गायों का चोर था, उसमे से एक लड़का जो चोरी में शरीक था, कबूल किया कि हम लोग मवेशी चुरा रहे थे और चुरा कर महुर अली नाम का आदमी जो जंगल में ट्रक लिये खड़ा था सारी भैंसें उसमें भर कर मेरठ भेजी गयीं। चोर ने कहा कि अगर हमको पहचान लो तो म मान लूंगा। पंचों ने उसे पहचान लिया। तब पांच भैसों की रवानगी लिखा दी। गांव वालों ने उसको मारा जरूर। तो उसने लिख दिया कि तम्हारी भैंसें मैं दिला दूंगा नहीं तो हमारी भैंसें ले लना। दलाल लोगों ने कहा कि कैसी बात करते हो, चलो थानेदार को रुपया दे दो। थानेदार ने 700 रुपया लेकर पंचों पर डकती का मुकदमा कायम कर दिया और भैंसें वापस दिला दी।

'सुन तो सहीजहां है तेरा फिसाना क्या कहती है मुझे खल्क खुदा यबाना क्या।'

आज जनता पर क्या बीत रही है इसको देखने की जरूरत है, खाली तालियों से काम नहीं चलेगा। (सरकारी पक्ष के एक सदस्य द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर)। बड़ी खुशी की बात है कि उधर स समर्थन तो होगा। जो भ्रष्ट अधिकारी होगा, चाहे हरिजन हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाह ब्राह्मण हो, तकाजा किया जायगा। हरिजनों के प्रति श्रद्धा है लेकिन अगर डकैती डालेगा कोई हरिजन चाहे वह बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ जरूर बोला जायगा, यहां चीखन चिल्लान से कोई डरेगा नहीं।

मैं श्रीमन् से यही निवेदन करूंगा कि कम से कम सामान्य प्रशासन के अन्दर जो अधिकारी आज अपनी जगह पर हैं उनको उनकी जगह की गारंटी तो दे दी जाय। मेरा ख्याल है कि 80 परसेंट अधिकारी कर्मचारी ऐसे है जो नायब तहसीलदार ह मगर तहसीलदार बना कर बैठाय गये हैं, जो तहसीलदार हैं वह डिप्टी कलेक्टर बना कर बठाये गये हैं और जो डिप्टी कलेक्टर हैं वह किसी ऊंची जगह पर बैठाये गये ह। कन्फर्म नहीं हैं इस लिय हाफ हार्टेड काम करते हैं। इस तरह स कभी भी प्रशासन ठीक से नहीं चल सकता है। हमन रेवन्यू मिनिस्टर को लिख कर सुझाव दिये, काफी सुझाव थे, उन्होंने मंजूर किया और कहा कि मैं डी0 एम0 को भज दूंगा। वरासत अमलदरामद की सारी गड़बड़ी प्रशासन की होती है। एक आदमी मरता है 4 साल तक उसकी विरासत दर्ज नहीं होती। एक आदमी अमलदरास के लिये तीन साल दौड़ना है। लेखपाल आपका, नायब तहसीलदर आपका, तहसीलदार आपका। सबूत लेकर 3 महीने के अन्दर हो जाना चाहिये, वरासत 1 माह के अन्दर अदर

[श्री अब्दुल रऊफ लारी—]

हो जानी चाहिये। रजिस्टर्ड डाकूमेन्ट लेकर ऊपर अमल दरामद होना चाहिये और जो घूस लेने का तरीका है उसको अगर ठीक रोक दिया जाय तो प्रशासन चुस्त हो सकता है। यही मुझे निवेदन करना था।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनायें आयी हैं। 3 ऐसी हैं जो पुलिस प्रशासन से संबंधित हैं। माननीय ओम प्रकाश सिंह, माननीय शिवनाथ सिंह कुशवाहा तथा माननीय देव कुमार यादव की सूचनायें ऐसी है जिन पर यहां विवाद में बोला जा सकता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

उस वक्त बोलने के लिये अगर समय न मिले तो क्या किया जाय। इस पर वक्तव्य तो स्वीकार करें या आवश्यक कार्यवाही ही करने के लिये भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही के लिये भेज देते हैं।

2 और हैं, श्री बाबूलाल शर्मा तथा श्री अवधेशकुमार की, जिसमें प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं के अभाव का जिक्र है। इस पर बहस हो चुकी है। यह अस्वीकार हैं। फिर जब इसका अनुदान आयेगा तब कहा जा सकता है।

माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा की गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की लापरवाही के बारे में है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय ने हजार नाम ही भेज, शेष नहीं भेजे। इसका सीधा संबंध शासन से किसी प्रकार नहीं है। इसमें आप कारण भी दे रहे है और प्रश्न भी कर रहे हैं। इस पर वक्तव्य कैसे हो सकता है। विश्वविद्यालय ने अगर प्रार्थना-पत्रों को नहीं भेजा तो सरकार क्या कार्यवाही करे ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपर)—

उनका परीक्षा फल रुका हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

कुछ भी हो, पर सरकार से उसका सीधा संबंध कहां है ?

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

कार्यवाही करने के लिये भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

अब कार्य सूची 10 पर, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया आदि में चीनी वितरण से संबंधित चौधरी चरण सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर आधे घंटा की चर्चा होगी. (चौधरी चरण सिंह, नेता, विरोधी दल, के सदन में न होने पर) चूंकि वे इस समय सदन में हैं नहीं इसलिये हम आगे चलते हैं। आइटम नं0 11 लिया जाय।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)---

अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ी गम्भीर समस्या के बारे में है। श्रीमन् बांदा जेल में जेलर द्वारा 18 घंटे तक कैदियों को पानी नहीं दिया गया। जब शिकायत की गयी तो कहते हैं कि जिससे कहना हो कहो देखे हमारा क्या बिगड़ता है।

श्री अध्यक्ष---

इसको बहस में आप कह सकते हैं, यह बाद में आयेगा।

श्री देव कुमार यादव---

श्रीमन् यह बड़ा ही गम्भीर मसला है। 18-19 घंटे पानी नहीं दिया गया है। जो जेल में राशन दिया जाता है उसमें चोरी कर ली जाती है।

श्री अध्यक्ष---

इस पर बहस चलेगी, आप चाहे तो सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट कर सकते हैं। मैं इसको कार्यवाही के लिये भेज दूंगा।

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974†

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मैं अपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) बिधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

श्रीमन् अभी मैंने अपने बजट भाषण में जो प्रस्ताव आमोद-कर को बढ़ाने के संबंध में प्रस्तुत किया था वह विचारार्थ प्रस्तुत है। इस प्रकार यह प्रस्ताव किया गया है कि नाम-मात्र का भार आमोद-कर द्वारा बढ़े। मैं समझता हूं कि यह ऐसा भार है जिसे सिनेमा देखने वाली जनता आसानी से बर्दास्त कर सकती है। यह अत्यन्त निर्दोष विधेयक है। इसके बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। आशा है सदन स्वीकार करेगा।

*श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट 1 माह में दे दे।

मान्यवर, जब भी किसी विधेयक पर संशोधन दिया जाता है तो शायद अपने सत्ता पक्ष के लोग यही समझते हैं कि विरोधी पक्ष के लोग केवल मात्र विरोध के लिये खड़े होते हैं। मेरी मंशा इसके पीछे जो है कि सरकार को एक ऐसी राय दें कि सरकार अपने बजट के घाटे को पूर्ण कर सके। लेकिन जब शोर होता है, उधर से आवाजें उठती हैं तो मैं यह सोचता हूं कि सत्ता दल शायद यह चाहता है कि उनके द्वारा रखा गया विधेयक बिना बहस के ही पास हो जाय। मैं यह समझता हूं कि हमारे यहां बैठने का महत्व है कि जो विधेयक में त्रुटियां हों उनको इंगित करें।

मान्यवर यह जो आमोद के साधनों पर या प्रवेश शुल्क पर 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है वह सभी आमोद के साधनों पर समान रूप से की गयी है जो सर्वथा अनुचित है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे आमोद के साधन आजकल हो गये हैं जो समाज

---

†25 जून, 1974 की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओमप्रकाश सिंह--]

में और समाज को विकृति की ओर से ले जा रहे हैं। हमारी जो समाज की ओर संस्कृति की जो मान्यतायें हैं उनको यह नष्ट कर रहे हैं। इन पर जो 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत का कर लगाया गया है वह मैं समझता हूं कि विवेक पूर्ण है। पर जो राष्ट्रीय भावना को बढ़ाते हैं और जो समाज की पुरानी मान्यताओं को बनाये रखे हैं उन पर कर लगाना उचित नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं नहीं समझता कि मंत्री लोगों में से कितने लोग आज जो सबसे बड़ा साधान आमोद का सिनेमा है उसको देखते होंगे। मैं समझता हूं कि मंत्री लोगों को फुरसत नहीं होगी और न समय होगा। मैं तो देखता हूं किन्तु समय-समय पर लेकिन इस समय कम कर दिया है। मैंने पहले सुना था अपने बनारस के एक एम0 एल0 ए0 श्री बख्शी जी से कि पहले एक मंत्री थे जो होटल के सामने गिरे हुये पाये गये थे। तो मैं समझता हूं कि आपके मंत्रि मंडल में ऐसे कुछ नहीं होंगे लेकिन जनता का जो आमोद का साधन है वह मुख्य रूप से सिनेमा है जिन्हें यह मनोरंजन प्रदान करता है। इस सरकार को चाहिये कि आज जो ये साधन समाज की मान्यताओं को तोड़ रहे हैं मैं उनकी तरफ मान्यवर सत्ता पक्ष का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन है कि वह इसे गम्भीरता से सुने और मंत्रि महोदय पर डबाव डालें कि मेरा सुझाव कुछ हद तक सही है कि नहीं।

आज सिनेमा जो मनोरंजन का साधन है उसमें हिंसा, अपराध और वासना की वृद्धि होती जा रही है। ऐसे सिनेमा जो समाज में हिंसा, अपराध और वासना को बढ़ावें उन पर 5 से 10 प्रतिशत का कर बढ़ावें और जो सिनेमा अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक वस्तुओं को प्रदर्शित करें और समाज को सही दिशा की तरफ बढ़ाये उन पर 5व 10 प्रतिशत का कर लगाना सही नहीं है। मेरा सुझाव है कि जो आमोद का साधन अपनी मान्यताओं को अपनी संस्कृति को या अपनी राष्ट्रीयता को बढ़ाने में सहयोग दें और उनके माध्यम से यह भाव प्रदर्शित किये जायं उन पर इस कर की बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिये। जो आमोद के साधन हिंसा, अपराध और वासना को बढ़ावा दें उन पर 5 से 10 प्रतिशत ही नहीं बल्कि इससे अधिक कर की वृद्धि की जानी चाहिये क्योंकि समाज के निर्माण के लिये, पुरानी संस्कृति एवं पुरानी मान्यताओं को बनाये रखने के लिये इनको रोकना पड़ेगा। यदि ऐसे आमोद के साधनों को पूर्ण रूप से रोका गया तो मुझे प्रसन्नता होगी। इसलिये यह 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि आमोद के साधनों के भाव और उनकी प्रधानता के आधार पर की जानी चाहिये। इसलिये मैं इस मसले पर विचार करने के लिये इस विधेयक को प्रवर वर्ग समिति को सुपुर्द करने के पक्ष में हूं जिससे कि समिति इस पर विचार करके कि हिंसा, अपराध और वासना से दूर आमोद के साधनों पर यह इस कर में वृद्धि हो या नहीं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं को बनाये रखने वाले आमोद के साधनों में इस शुल्क में वृद्धि नहीं होनी चाहिये।

*श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर मैं इस संशोधन विधेयक के बुनियादी वसूल से कोई मतभेद नहीं रखना चाहता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर वर्ग समिति को इसलिये भेजा जाय क्योंकि इसको लगाने का जो उद्देश्य है और जो बोझ पड़ने वाला है वह उन लोगों पर पड़ने वाला है जो इस साधन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे जो धन कमाने वाले लोग हैं उनके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ रहा है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय ताकि यह भी संशोधन हो कि जितना कर का भार जितने सिनेमा या वे दूसरे आमोद के साधन हैं उन को जो लोग देखने जायं उन पर कितना पड़ता है और उतना ही कम से कम उन लोगों पर पड़े जो लोग उस साधन से धन कमाते हैं। एक तो मेरा उद्देश्य यह है और दूसरा उद्देश्य यह है कि जो आमोद प्रमोद के साधनों से कर वसूल होता है और काफी बड़े पैमाने पर इन्टरटेनमेंट टैक्स वसूल के रूप में सरकार के पास जाता है उसमें मैं यह चाहता हूं कि कर्मचारियों का भी कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हिस्सा मिले यह मेरी इच्छा है और मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को और सरकारी पक्ष के लोगों को विशेषकर हमारे जो कम्युनिस्ट दोस्त हैं उनको कतई विरोध नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय कि जो सिफारिश माननीय सदस्यों ने की है उसको माननीय मंत्री जी मान लें ताकि यह संशोधन उसमें हो जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय सदस्य श्री दिघे ने जो कहा उससे मेरा कोई विरोध नहीं है। इस इन्टरटेनमेंट टैक्स की तीन श्रेणियां हैं—फर्स्ट, सेकेन्ड और थर्ड। थर्ड में बेचारे रिक्शा वाले, खोंमचे वाले ही जाते हैं। तो मैं और कुछ न कह कर सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि तीसरे दर्जे वाले लोग जिनमें ज्यादातर रिक्शा वाले और खोंमचे वाले होते हैं उनके साथ अगर रियायत कर दी जाय और माननीय वित्त मंत्री जी चाहें तो फर्स्ट क्लास और सेकेन्ड क्लास वालों से 25 प्रतिशत 50 प्रतिशत भी बढ़ा दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर यह सुझाव मान लेंगे तो अच्छा है और अगर आप एक भाव ही रगड़ना चाहते हैं और अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा तो रगड़िये, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बहुत ही आभारी हूं अपने माननीय सदस्य चुनार, माननीय सदस्य गोरखपुर और माननीय सदस्य गोंडा का कि उन्होंने इस कर-प्रस्ताव को सिद्धान्त स्वीकार किया और माननीय सदस्य चुनार ने बल्कि यह भी कहा कि अगर यह चौगुना कर दिया जाय तो बुरा नहीं है। उनका जो दृष्टिकोण है उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने बड़े अच्छे विचार किये कि इस प्रकार की फिल्में जो अराजकता, अशान्ति और अनैतिकता को बढ़ाती हैं उनको अधिक महंगा होना चाहिये। यह उनका सुझाव भी था कि अगर उस पर 400 प्रतिशत भी बढ़ा दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं। अब मुश्किल यह है कि अपने अपने मापदण्ड होते हैं। केन्द्रीय सेंसर बोर्ड वह प्रत्येक फिल्म का सेंसर करता है यह हो सकता है कि जिस फिल्म से यह समझा जाय कि अराजकता या इस प्रकार के तत्वों का समावेश कम है, उसके बारे में किसी माननीय सदस्य की यह राय हो सकती है कि उसमें अधिक हो। तो मत में भिन्नता हो सकती है। तो केन्द्रीय सेंसर बोर्ड की इस बात की सारी शक्ति है और उनसे यह आशा की जाती है कि इस प्रकार के जो अवगुण बताये हैं उनको भी दूर करके ही फिल्म को सेंसर करके भेजें। तो मैं उनके सुझाव को मानने में असमर्थ हूं, लेकिन मैं उनके जो विचार है उनका स्वागत करता हूं।

मैं इस सम्बन्ध में सम्मानित सदस्य गोरखपुर श्री दिघे से व्यक्तिगत परामर्श भी करना चाहूंगा कि किस प्रकार हम एन्टरटेनमेंट टैक्स की प्रक्रिया को सुचारु रूप से चला सकते हैं। ऊदल जी ने जो कहा तो उस सवाल में जिसमें रिक्शे वाले जाते हैं उसमें केवल 5 प्रतिशत बढ़ा रहे है। सभी यह बात स्वीकार करेंगे कि पिछले पांच छः महीनों में किराया बहुत बढ़ा है। इस वृद्धि से केवल हमें 1 करोड़ 50 लाख रुपया प्राप्त होगा। इस समय तक इससे आमदनी 11 करोड़ 61 लाख है। इसमें डेढ करोड की वृद्धि और हो जायगी। मैं समझता हूं सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह में दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974

संयुक्त प्रांत आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 8, 1937 की धारा 3 का संशोधन

2—संयुक्त प्रांत आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 की धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द "पचहत्तर प्रतिशत" तथा "शत प्रतिशत" के स्थान पर क्रमश शब्द "अस्सी प्रतिशत" तथा "एक सौ दस प्रतिशत" रख दिये जायें ।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड 2 के अन्त में निम्नलिखित जोड दिया जाय:—"तथा इसी उपधारा के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड दिया जाय—

स्पष्टीकरण:—जिस दर्शक से जितना कर लेना इष्ट होगा उतने धन का टिकट दर्शक को दिये जाने वाले टिकट की पुश्त पर चिपका दिया जायेगा । इस टिकट की आपूर्ति की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।"

अध्यक्ष महोदय, हमारे सहयोगी और साथी ओम प्रकाश जी का जो संशोधन था वह तो वित्त मंत्री जी ने इसलिये स्वीकार नहीं किया कि प्रवर समिति को देने के बाद उसमें महीना भर लग जाता है और इस प्रकार जिस उद्देश्य से वह इसको लाये है कि सरकार को आमदनी शीघ्र होनी शुरू हो जाय उसमें देर होती । लेकिन मेरा जो संशोधन है वह उनके उद्देश्य से मिलता जुलता है । उनका उद्देश्य है कि राज्य सरकार क निरन्तर बढते हुय दायित्व को पूरा करने के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि अमोद कर की अधिकतम दर में ऐसे प्रवेश शुल्क पर जो एक रुपये से अधिक न हो प्रवेश शुल्क के पांच प्रतिशत की तथा अन्य किसी दशा में उसके दस प्रतिशत की वृद्धि की जाय । सरकार चाहती है कि उसकी आमदनी बढ़े और इसी उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त मेरा भी संशोधन है । मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे । आप जानते है कि कर लगाया जाता है तो दो बातें होती है । एक तो कर की चोरी होती है और दूसरे कर बचाने की चेष्टा की जाती है । यह बात सभी सदस्यों को पता है कि बिक्री कर लगता है जिसका कम से कम 15 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है । लोग नहीं दे रहे है । मैंने एक बहुत सीधा सादा सा तरीका बतलाया कि जिस समय टिकट की कापी विन्डो पर आये और टिकट देना शुरू किया जाय तो कोरा टिकट न हो । जैसे हम अपना रसीदी टिकट छपवाते हैं वैसे ही अमोद प्रमोद टिकट छपवायें जो टिकट पर चिपका रहे । फाडने के बाद आधा हिस्सा इस पर चिपका रहेगा और आधा हिस्सा दर्शक को दे दिया जायगा । इस तरह से सिनेमा के मालिक चोरी नहीं कर सकेंगे ...

मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी को इस संशोधन को, जिससे उनकी ही उद्देश्य की पूर्ति होती है, स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी । कम से कम एक करोड़ रुपया इससे आय होगी तो मैं कहना चाहता हूं कि इतना अगर इन्होंने कर दिया तो शायद इसकी ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आमदनी और हो जायेगी । इस तरह की बेईमानी अब भी बड़े सिनेमाज में चलती है । इसमें कोई ज्यादा छपाई नही होगी । इस तरह से मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, माननीय सदस्य, मेरठ, ने जो संशोधन रखा है, कर-अपवंचना को रोकने के लिये, इस सम्बन्ध में उनकी जो मन्सा है, उसका मैं स्वागत करता हूं । मैं उनकी सहायता चाहता हूं लेकिन जो संशोधन उन्होंने रखा है, उसकी व्यवस्था पहले से ही विधेयक में है । दि यूनाइटेड प्राविन्सेज इन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टेक्स एक्ट, 1937 की धारा 4(2) में लिखा हुआ है:--

"4 (2) Government may, on such conditions as may be prescribed, require the proprietor to pay the amount of the entertainment tax due either--

(*a*) by stamping the tickets with an impressed, embossed, engraved or adhesive stamp (not before used) issued by the Government for the purposes of revenue and denoting that the proper entertainment tax payable under section 3 has been paid."

इस प्रकार, मान्यवर, यह धारा 4(2) (अ) में पहले से ही व्यवस्था रखी हुयी है । इसे लागू करने में जो कठिनाई है, वह यह है कि अलग-अलग दर पर इत ने टिकट छपाकर सारे सिनेमा-घरों को देना सम्भव नहीं होगा । इसलिये यह व्यवस्था सम्भव नहीं है, इसलिये इसको लागू नहीं कर सकते ।

श्री मोहन लाल कपूर--

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि दिल्ली में, हरियाना में और कई दूसरे स्टेट्स में, इसी प्रकार टिकट देते हैं । स्टैम्प लगाकर टिकट देते है । वहां कर-अपवंचन नहीं है । मंत्री जी न चाहे तो न चाहे वेलेकिन सहायता होते हुये भी नहीं करते तो इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खड 2 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"तथा इसी उपधारा के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय--

स्पष्टीकरण:--जिस दर्शक से जितना कर लेना इष्ट होगा, उतने धन का टिकट दर्शक को दिये जाने वाले टिकट की पुश्त पर चिपका दिया जायेगा । इस टिकट की अपूर्ति की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974, पारित किया जाय ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, मैं अकबर बादशाह की कहानी सुना रहा हूं ।

ी अध्यक्ष--

नहीं, समय अब नहीं है ।

*श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय, केवल 2 मिनट लगेंगे ।

अकबर बादशाह ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल, जब हम टैक्स लगाते हैं, तो जनता गाली देती है । कोई तिकड़म बताओ कि टैक्स भी लग जाय, नाम भी हो, और जनता कुछ कहे भी नहीं । बीरबल ने कहा की व्यवस्था कर देंगे, आप परेशान न हों । उन्होंने एक सेना बनाई और उस सेना से कहा कि तीर-कमान लेकर घूम आओ । जब वह सेना तीर-कमान लेकर निकली तो लोगों ने कहा कि यह तीर-कमान किस लिये है । तो सेना के लोगों ने कहा कि अकबर बादशाह का हुक्म है कि तीर-कमान को लेकर सड़क पर निकल जाओ और जिस-जिसका मकान इसके पीछे पड़ेगा, वह गिरा दिया जायेगा । लोगों ने कहा भागो, भागो । मेरा मकान गिर जायेगा । तब सेना के लोगों ने कहा कि टैक्स दीजिये तो मकान नही गिराया जायेगा । और इस प्रकार अकबर बादशाह, जितना टैक्स लगता था उसका 10 गुना अधिक आ गया । इसी तरह से हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने भी सोचा कि समाजवाद की बड़ाई भी हो जाय और जनता के ऊपर टैक्स भी लग जाय । इसलिये उन्होंने बीरबल को खड़ा किया कि कोई तरीका बताओ । माननीय, इस बिल के माध्यम से जो तीर चलाया है . .

तो बड़े आदमी को मार दिया । लेकिन 75 पैसे का 80 पैसे न करते तो सही में समाजवाद आ पाता ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्यप्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:

27 जून, 1974 ई० ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परिशिष्ट "क"

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 227 पर)

संलग्नक

क्रम-संख्या	अभ्यर्थी का नाम	शैक्षिक योग्यता	श्रेणी	रिसर्च का अनुभव
	सर्वश्री:—			
1	अशोक कुमार	केमिस्ट्री में एम0एस0-सी0 ।	प्रथम	..
2	भगवान स्वरूप	तदैव	द्वितीय	..
3	सी0 के0 मुकर्जी	तदैव	द्वितीय	1 वर्ष
4	देवी प्रसाद पांडे	तदैव	द्वितीय	3 वर्ष
5	गिरजा नन्दन मिश्रा	तदैव	द्वितीय	पी0एच0डी0
6	मोहम्मद ऐजाज अली	तदैव	द्वितीय	पी0एच0डी0
7	मोहम्मद अहमद फारुकी	तदैव	द्वितीय	2 1/2 वर्ष आरगेनिक केमिस्ट्री में।
8	मोहम्मद फारुक	तदैव	द्वितीय	..
9	मोहम्मद मुश्ताक	तदैव	प्रथम	2 1/2 माह जूनियर रिसर्च फेलो
10	पुत्तु सिंह	तदैव	द्वितीय	4 वर्ष
11	राजेन्द्र कुमार	तदैव	प्रथम	4 वर्ष
12	राजीव कुमार	तदैव	द्वितीय	..
13	रमाकान्त जायसवाल	तदैव	प्रथम	2 वर्ष
14	राम कुमार शर्मा	तदैव	प्रथम	1 वर्ष 4 माह स्वा0 शा0 अभि0वि0 में भी कार्य करने का अनुभव ।
15	शरद चन्द्र गोयल	तदैव	द्वितीय	..
16	शिव प्रकाश शुक्ला	तदैव	द्वितीय	3 वर्ष
17	सुशील कुमार अग्रवाल	तदैव	द्वितीय	3 वर्ष
18	सुशील कुमार	तदैव	द्वितीय	पी0एच0डी0 2 वर्ष Analytical अनुभव 4 वर्ष रिसर्च अनुभव
19	विमल किशोर	तदैव	प्रथम	3 1/2 वर्ष
20	विनोद कुमार पांडेय	तदैव	प्रथम	3 1/2 वर्ष

परिशिष्ट "ख"

[विधि नियम 28 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 241 पर]

मुख्य शिकायतों का विवरण

(1) महाविद्यालय के वित्त सचिव जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती (पदेन) हैं जिन्हें वित्त सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं दी जाती और नहीं वित्तीय मामले उनके द्वारा संचालित हैं

(2) बिल्डिंग प्रांट के नाम पर 50,000 रु0 सरकार तथा अन्य स्रोतों से महाविद्यालय को प्राप्त हुये परन्तु 4कमरे तक पूरे नही हो सके ।

(3) विद्यार्थियों से कमीशन का रुपया भवन निर्माण के नाम पर 15 से 25 रुपये लिया जाता है जो लगभग 15,000 रु0 हो गया है परन्तु इस धनराशि का कुछ पता नहीं ।

(4) महाविद्यालय के प्रबन्धक जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री के सुपुत्र हैं, के एक आगमन पर हजारों पया शराब, मुर्गा एवं अन्य दुर्व्यसनों पर व्यय किया जाता है ।

(5) प्राचार्य प्रबन्धक महोदय को अपनी मुट्ठी में करके सारी गलत नियुक्तियां करते हैं

(6) कालेज के पैसे से खरीदा गया सोफा, पंखा, फर्नीचर आदि प्राचार्य द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग में लाया जाता है।

(7) यात्रा भत्ता के नाम पर अध्यापकों एवं प्राचार्यों द्वारा धन का दुरुपयोग किया जाता है ।

(8) फीस माफी व छात्र सहायता कोष की सुविधा केवल ऐसे छात्रों को उपलब्ध है। जो प्राचार्य एवं उनके गुर्गों की हामी भरते हैं ।

(9) प्राचार्य की नियुक्ति फर्जी है तथा जो व्यक्ति चुना गया उसकी नियुक्ति नही की गयी ।

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 244 पर)

1—राज्य विद्युत् परिषद् ने वर्ष 1972-73 के लिये लघु एवं मध्य श्रेणी के औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं के विभिन्न चाज की दर में विद्युत कटौती के अनुपात में छूट देने के आदेश प्रेषित कर दिया है जो चुनार नगर में भी लागू है ।

घरेलू उपभोक्ताओं से तीन रु0 प्रतिमाह की दर से मिनिमम चार्ज लिया जाता है। मिनिमम चार्ज की धनराशि लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर में केवल 11 यूनिट तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर केवल 8 यूनिट विद्युत प्रयोग करने में ही पूरी हो जाती है । घरेलू बत्ती तथा पंखे पर 50 यूनिट प्रतिमाह तक विद्युत खर्च करने पर कोई कटौती लागू नहीं होती है । अतः इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को छूट देने का प्रश्न नहीं उठता । 50 यूनिट प्रतिमास से अधिक के उपभोक्ताओं को न्यूनतम चाज की सीमा से छूट देने का भी कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

परिशिष्ट "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 245 पर)

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 13 का संलग्नक

बस्ती जिले में गृह निर्माण हेतु अनुदान होने वाले हरिजनों की सूची

क्रम संख्या	अनुदान ग्रहीता का नाम	स्वीकृत धनराशि	भुगतान की तिथि	भुगतान की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
		रु0		रु0	रु0
1	श्री सोमई ..	1,000	20-3-74	500	..
			17-4-74	500	..
2	श्री जगई ..	1,000	20-3-74	500	..
			17-4-74	500	..
3	श्री प्यारे लाल	1,000	19-3-74	500	..
			11-4-74	250	250
4	श्री भरोसे ..	1,000	20-3-74	500	..
			24-4-74	200	300
5	श्री कोदन ..	1,000	20-3-74	500	500
6	श्री सुरेश ..	1,000	13-4-74	500	500

नोट:--भवनों के निर्माण पूरे होने का रिपोर्ट प्राप्त होने पर अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायगा।

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 246 पर)

क्षेत्रवार लाभ हानि के वर्ष 1971–72 एवं वर्ष 1972–73 के तुलनात्मक आंकड़े

क्षेत्र का नाम	शुद्ध लाभ एवं हानि (–) 1971–72	शुद्ध लाभ एवं हानि (–) 1972–73
आगरा	65,54,594	31,83,285
इलाहाबाद	2,04,753	(–) 30,11,544
अलीगढ़	43,01,225	15,83,961
बरेली	13,53,215	(–) 5,06,195
देहरादून	8,48,001	19,10,438
गोरखपुर	25,56,620	(–) 3,36,991
कानपुर	(–) 11,86,011	(–) 47,73,744
कुमायूं	(–) 18,03,900	(–) 31,21,384
लखनऊ	32,50,660	(–) 28,96,279
मेरठ	52,12,592	25,86,121
टमकपुर	(–) 24,87,146	(–) 25,37,656
वाराणसी	24,54,736	(–) 9,07,680
योग ..	2,12,59,339	(–) 88,27,668
मुख्यालय समायोजन ..	35,52,570	42,70,050
कुल योग ..	2,48,11,909	(–) 45,57,618

नत्थी "च"

(देखिये तारांकित प्रश्न में संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 243 पर)

प्रश्न संख्या 31 का संलग्नक

प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए विद्युत परिषद [तत्कालीन एवं दीर्घ-कालीन उपाय कर रही है जिनका संक्षिप्त ब्योरा निम्नलिखित है:—

(1) वाष्प विद्युत गृहों में उत्पादन बोनस दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप वाष्प विद्युत गृहों से विद्युत की उपलब्धि 13 मिलियन यूनिट से बढ़कर लगभग 15 मिलियन यूनिट हो गई है । इस प्रकार लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि 6 महीने में हुई है।

(2) पड़ोसी प्रदेशों से अधिक से अधिक विद्युत प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) तकनीकी लाईन हानि को कम करने के लिए कैपोसिटर्स लगाये जा रहे हैं तथा नये विद्युत उपगृह बनाये जा रहे हैं । प्रदेश के चारो चीफ जोनल इंजीनियरों को अपने अपने इलाके में बिजली का हिसाब देने पर बाध्य किया गया है ।

(4) नई प्रयोजनाओं को जल्द से जल्द लाने का प्रयास किया जा रहा है और आशा है कि यमुना प्रायोजना की चार मशीन छिब्रों (4×60 मेगावाट) विद्युत गृह तथा दो मशीनें ओबरा तापीय विद्युत गृह (2×190 मगावाट) व 10 मेगावाट की एक मशीन यमुना परियोजना के चतुर्थ चरण में कुलहल में 1974–75 में चालू किये जाने की आशा है । इस प्रकार 450 मेगावाट इस वर्ष में चालू करने का प्रयास है।

नत्थी "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछले पृष्ठ 249 पर)

सूची

क्रम संख्या	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम	गिरफ्तारी का कारण
1	2	3
1	सर्वश्री राम प्यारे	खाद्यान्न की तस्करी के
2	अमर नाथ	संबंध में
3	जगदीश	" "
4	पारस नाथ	" "
5	सूरज नाथ	" "
6	बसंत लाल	" "
7	अमृत सिंह	" "
8	मोती लाल	" "
9	पन्ना लाल	" "
10	राजद्र प्रसाद	" "
11	राम नरायन	" "
12	बिदुर प्रसाद	" "
13	कैलाश नाथ	" "
14	मिठाई लाल	" "
15	मुन्नी लाल	" "
16	भरत लाल	" "
17	सतीश चन्द्र	" "
18	हरिश्चन्द्र	" "
19	शम्भू नाथ	" "
20	श्री राम	" "
21	त्रिवेणी नाथ	" "
22	फूल चन्द	" "
23	देवी दयाल	" "
24	गिरजा शंकर	" "
25	मालिक वर्मा शेल पेट्रोल पम्प थाना चोपन ..	" "
26	मोती कान्दू	" "
27	वशीर अहमद	" "
28	राम लखन	" "
29	सनद कुमार	" "
30	शिव प्रसाद	" "
31	स्वामी नाथ	" "
32	लल्लू	" "
33	रामप्यारे	" "

1	2				3	
34	सुदामा	..	..	..	खाद्यान्न की तस्करी के सम्बन्ध में	
35	जंगी	..	..	..	,,	,,
36	शिवनाथ	..	..	..	,,	,,
37	चनरू	..	..	..	,,	,,
38	आनन्द लाल खत्री	..	..	..	,,	,,
39	मु0 अनीस खां	..	..	..	,,	,,
40	श्यामू	..	..	..	,,	,,
41	भगवती	..	..	..	,,	,,
42	राम खेलावन	..	..	..	,,	,,
43	जगन कलवार	..	..	..	,,	,,
44	राम घनी	..	..	..	,,	,,
45	झूरी	..	..	..	बिजली सप्लाई में बाधा पहुंचाने के कारण	
46	राम किशोर	..	..	..	,,	,,
47	समशुद्दीन	..	..	..	,,	,,
48	फूल चन्द	..	..	..	,,	,,
49	सत्य नरायन	..	..	..	,,	,,
50	कन्हैया	..	..	..	,,	,,
51	जब्बार	..	..	..	,,	,,
52	झूरी	..	..	..	,,	,,
53	फूल चन्द	..	..	..	,,	,,
54	सत्य नरायन	..	..	..	,,	,,
55	शंकर	..	..	..	,,	,,
56	भीखम	..	..	..	,,	,,
57	कृपा शंकर दूबे	..	..	..	,,	,,
58	खालिक	..	..	..	,,	,,
59	राम बचन सिंह	..	..	..	रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण	
60	राम अधार सिंह	..	..	..	,,	,,
61	गौरी शंकर राय	..	..	..	,,	,,
62	विश्वनाथ ओझा	..	..	..	,,	,,
63	दलीप सिंह	..	..	..	,,	,,
64	के0 एन0 सिंह		..	..	,,	,,
65	दूधनाथ	..	..	..	,,	,,
66	ब्रह्मा सिंह	..	..	..	,,	,,
67	मोहन सकसेना	..	..	..	,,	,,
68	गनेश खलाशी	..	..	..	,,	,,
69	विनोद कुमार	..	..	..	,,	,,
70	काशी प्रसाद मिश्रा	..	..	..	,,	,,

1	2			3	
71	के0 एन0 शर्मा	..	..	.. रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण	
72	रामेश्वर सिंह	..	..	.. ,,	,,
73	एन0 एम0 पांडेय	..	..	.. ,,	,,
74	डी0 एन0 सिंह	..	..	.. ,,	,,
75	बिन्द्रा प्रसाद]	..	..	.. ,,	,,
76	चन्द्रिका प्रसाद	..	..	.. ,,	,,
77	ईश्वरी प्रसाद	..	..	.. ,,	,,
78	जगत नरायन पांडेय	..	..	.. ,,	,,
79	भरत राम पांडेय	..	..	.. ,,	,,
80	विक्रमा दित्य सिंह	..	..	.. ,,	,,
81	पारस नाथ यादव	..	..	.. ,,	,,
82	मानिक चन्द्र प्रसाद	..	..	.. ,,	,,
83	कैलाश बिहारी गुप्ता		..	.. ,,	,,
84	हनुमान प्रसाद	..	..	.. ,,	,,
85	उदय प्रसाद	..	..	.. ,,	,,
86	कामता प्रसाद	..	..	.. ,,	,,
87	अनन्त प्रसाद श्रीवास्तव		..	.. ,,	,,
88	दया शंकर लाल	..	..	.. ,,	,,
89	इन्द्र पाल सिंह	..	..	.. ,,	,,
90	हरीहर नाथ सिंह	..	..	.. ,,	,,
91	राम प्रसाद मिश्रा	..	..	.. ,,	,,
94	मन्ना लाल	..	..	.. ,,	,,
93	श्री श्याम कृष्ण	..	..	.. ,,	,,
94	राम चन्द्र पांडय	..	..	.. ,,	,,
95	लक्ष्मण दूबे	..	..	.. ,,	,,
96	शराफत मिर्जा	..	..	.. ,,	,,
97	नागेन्द्र मिश्र	..	..	. ,,	,,
98	तीर्थ राम सिंह	..	..	.. ,,	,,
99	द्वारिका प्रसाद सिंह	..	..	.. ,,	,,
100	राधा कृष्ण दूब	..	..	.. ,,	,,
101	गिरधारी	..	..	.. ,,	,,
102	प्रेम शंकर	..	..	.. ,,	,,
103	शिव अधार	..	..	.. ,,	,,
104	रमाशंकर शुक्ला		..	.. ,,	,,
105	विश्वनाथ राय	..	..	.. ,,	,,
106	पारस राम सिंह	..	..	.. ,,	,,
107	कन्हैया लाल दूबे		..	.. ,,	,,

नत्थी "ज"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पिछले पृष्ठ 249 पर)

11-6-74 को थाना डेरापुर की पुलिस के पास विवेचनाधीन मुकदमों का विवरण

9	ओपियम ऐक्ट	7 मकदमें
60	आबकारी ऐक्ट	5 मुकदमें
394, 395/397 तथा 396 भारतीय दंड विधान ..		4 मकदमें
302 तथा 147/149/302 भारतीय दंड विधान ..		3 मकदमें
324, 324/504 325-504 323/325 148/1485 148/323 तथा 147/148/307 भारतीय दंड विधान		10 मुकदमें
279/304 भारतीय दंड विधान		3 मुकदमें
379 भारतीय दंड विधान		3 मुकदमें
437/380 भारतीय दंड विधान व 380 भारतीय दंड विधान		7 मकदमें
457/380 भारतीय दंड विधान		4 मकदमें
25 आर्म्स ऐक्ट		3 मकदमें
153 एक भारतीय दंड विधान		1 मुकदमा
376/342 भारतीय दंड विधान		1 मुकदमा
279/337 भारतीय दंड विधान		1 मकदमा
3/7 आवश्यक वस्तुएं अधिनियम		8 मकदमें
383 भारतीय दंड विधान		1 मुकदमा
452/323 भारतीय दंड विधान		1 मकदमा
13 जी ऐक्ट		1 मुकदमा
कुल योग		63 मुकदमें

इन मुकदमों में से कुछ में तनकी का परिणाम आना, कुछ में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कुछ में गवाहों के बयान लेना तथा कुछ में कैमिकल इक्जामिनर की रिपोर्ट आना शेष है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 93 वि० सभा (1380)—1974—835.